अगस्त 2015

मध्यप्रदेश पंचायिका

पंचायतों की मासिक पत्रिका

प्रबंध सम्पादक
रघुवीर श्रीवास्तव

समन्वय
मंगला प्रसाद मिश्रा

प्रमुख सम्पादक
देवेन्द्र जोशी

परामर्श
शिवानी वर्मा

सम्पादक
रंजना चितले

वेबसाइट
आत्माराम शर्मा

आकल्पन
अल्पना राठौर
आलोक गुप्ता
विनय शंकर राय

एक प्रति : बीस रुपये
वार्षिक : दो सौ रुपये

सम्पर्क
मध्यप्रदेश पंचायिका
मध्यप्रदेश माध्यम
40, प्रशासनिक क्षेत्र, अरेरा हिल
भोपाल-462011
फोन : 2764742, 2551330
फैक्स : 0755-4228409
Email : panchayika@gmail.com

कृपया वार्षिक ग्राहक बनने के लिए अपने ड्राफ्ट/मनीआर्डर मध्यप्रदेश माध्यम, भोपाल के नाम से भेजें।

मध्यप्रदेश पंचायिका में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं, इसके लिए सम्पादक की सहमति अनिवार्य नहीं है।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 'मन की बात' में मध्यप्रदेश के हरदा जिले में स्वच्छता के लिए चलाये गये ऑपरेशन मल युद्ध और ब्रदर नं. 1 को सराहा।

इस अंक में

कार्यशाला : पंचायतों को मिलेंगे ज्यादा संसाधन और अधिकार 3
खास खबरें : बुजुर्गों का सम्मान और सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी 21
स्वच्छ भारत : प्रधानमंत्री ने मन की बात में सराहा हरदा के ऑपरेशन मल युद्ध को 22
उपलब्धि : मध्यप्रदेश को मिला गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड सर्टिफिकेट 23
पर्यावरण : मनरेगा कन्वर्जेंस से होंगे जल संरक्षण के कार्य 24
प्रयास : ग्रामीण विकास योजनाओं का बेहतर अमल 28
विकेन्द्रीकृत नियोजन : जिला विकेन्द्रीकृत नियोजन अंतर्गत गठित विभिन्न समितियों... 34
पंचायत दर्पण : पंचायत दर्पण, मनरेगा और समग्र पोर्टल से बेहतर निगरानी और... 43
पंचायत : पंचायतें और सहभागी विज्ञान 44
अच्छी पहल - मध्यप्रदेश में सुगंधित मीठे दूध का वितरण शुरू 46
मंत्रिपरिषद के निर्णय : एक हुए मुख्यमंत्री शहरी स्वच्छता मिशन और स्वच्छ... 48

आयुक्त की कलम से...

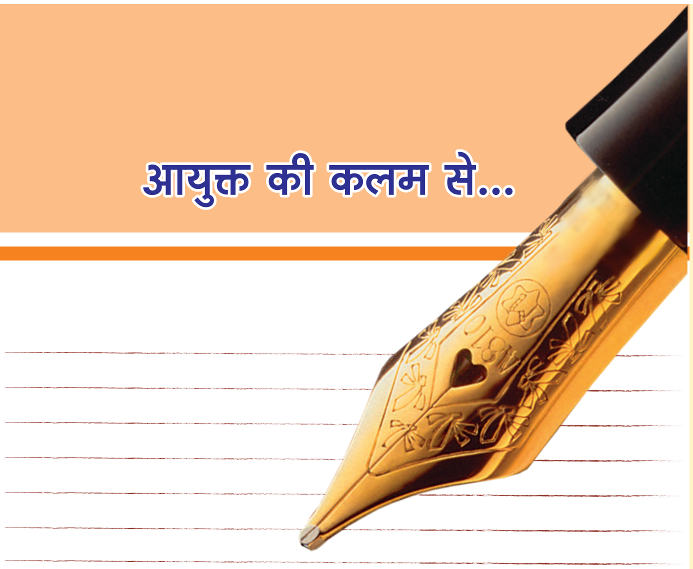

प्रिय पाठको,

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के प्रयासों के चलते मध्यप्रदेश के गाँव समृद्धि की ओर अग्रसर हैं और समावेशी विकास की ओर कदम बढ़े हैं। विकास के इसी क्रम में अब प्रदेश ने स्मार्ट ग्राम और स्मार्ट पंचायत बनाने की कल्पना की है। प्रदेश के गाँवों की आदर्श स्थिति निर्माण में पंचायत प्रतिनिधि महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर सकते हैं। इसके लिए पंचायतों का और अधिक सशक्तीकरण किया जाना आवश्यक है। इसी उद्देश्य से त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण को लेकर नव निर्वाचित जिला पंचायत अध्यक्षों, उपाध्यक्षों तथा जनपद पंचायत अध्यक्षों की भोपाल में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में जहां पंचायत प्रतिनिधियों को विभिन्न विषयों पर मार्गदर्शन दिया गया वहीं प्रतिनिधियों ने कार्य संचालन में उठने वाले संदेह को लेकर प्रश्न भी पूछे तथा सुझाव भी दिये। इस परस्पर संवाद से कई निष्कर्ष निकलकर आये। यह कार्यशाला पंचायत राज व्यवस्था के भावी आयोजना निर्माण के लिए महत्वपूर्ण और उपयोगी पक्ष है। कार्यशाला की सम्पूर्ण रिपोर्ट तथा अनुशंसाएं हम कार्यशाला स्तम्भ में प्रकाशित कर रहे हैं।

खास खबरें में 'सामाजिक सरोकार से बुजुर्गों का सम्मान और सुरक्षा' शामिल है। मध्यप्रदेश के हरदा जिले में स्वच्छ भारत अभियान के तहत जिले को शौच मुक्त करने के लिए ऑपरेशन मल युद्ध प्रारंभ किया गया है। शौचालय निर्माण और खुले में शौच मुक्ति के इस प्रयास और ब्रदर नं. 1 कार्यक्रम को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में सराहा। इस समाचार को हमने स्वच्छ भारत स्तम्भ में प्रकाशित किया है। विश्व हाथ धुलाई दिवस 15 अक्टूबर 2014 को मध्यप्रदेश में एक साथ 7 लाख 40 हजार 870 लोगों ने हाथ धोकर विश्व कीर्तिमान रचा था। इसके लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा मध्यप्रदेश को प्रमाण पत्र दिया गया। यह समाचार हमारे उपलब्धि कॉलम में शामिल है।

पर्यावरण स्तम्भ में मनरेगा कन्वर्जेंस से होंगे जल संरक्षण के कार्य, मनरेगा से पेड़ लगाएं पैसे कमाएं, फलदार पौधे बनेंगे आजीविका का साधन आदि शामिल हैं। ग्रामीण विकास योजनाओं को लेकर मध्यप्रदेश में बेहतर कार्य किया जा रहा है यह बात ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की वास्तविकता को जानने के लिए मध्यप्रदेश पहुँचे केन्द्रीय दल ने कही। केन्द्रीय दल ने योजनाओं के क्रियान्वयन में प्रदेश को अन्य राज्यों के लिए अनुकरणीय बताया। दल द्वारा मध्यप्रदेश के विभिन्न ग्रामों का दौरा किया गया। प्रयास कॉलम में इसी पर केन्द्रित 'ग्रामीण विकास योजनाओं का बेहतर अमल' समाचार प्रकाशित है।

प्रदेश के विकास में स्थानीय लोगों की भागीदारी बढ़ाने तथा योजना निर्माण में सहभागी बनाने के लिए विकेन्द्रीकृत नियोजन प्रक्रिया का क्रियान्वयन किया जा रहा है। प्रदेश में विकेन्द्रीकृत नियोजन के सुचारु रूप से संचालन के लिए राज्य योजना आयोग द्वारा जारी विस्तृत मार्गदर्शिका को हम विकेन्द्रीकृत नियोजन में प्रकाशित कर रहे हैं।

पंचायत दर्पण, मनरेगा और समग्र पोर्टल से कार्य का त्वरित क्रियान्वयन हो सकता है तथा बेहतर निगरानी भी संभव है। विगत दिनों विधानसभा स्थित मानसरोवर सभागृह में विधायक गणों को इसकी उपयोगिता से अवगत कराया गया। इस समाचार को पंचायत दर्पण में लिया है। पंचायत कॉलम में पंचायत और सहभागी विज्ञान। मध्यप्रदेश में बच्चों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए पौष्टिक सुगंधित मीठे दूध का वितरण शुरू कर दिया गया है। इसे अच्छी पहल में शामिल किया है। इसके अलावा मंत्रिपरिषद के निर्णय।

इस अंक में बस इतना ही। हमें आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा।

(रघुवीर श्रीवास्तव)

ipk;rk dk feyx T;knk
l l k/ku vkj vf/kdkj

जिला पंचायत अध्यक्षों, उपाध्यक्षों तथा जनपद पंचायत अध्यक्षों की कार्यशाला का आयोजन

त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था में पंचायतों द्वारा होने वाले कार्यों से ग्राम की आदर्श स्थिति निर्मित की जा सकती है। इसी उद्देश्य के तहत समय-समय पर पंचायतों के सुदृढ़ीकरण की दिशा में कार्य किये गये। पंचायतों के अधिकारों में बढ़ोत्तरी के साथ नवाचार भी हुए। इससे ग्रामीण मध्यप्रदेश में विकास को लेकर आने वाले सकारात्मक परिणामों से बदलाव साफ दिखाई दे रहा है। अब प्रदेश के गांवों को स्मार्ट ग्राम और पंचायतों को स्मार्ट पंचायतों की दिशा में आगे बढ़ना है। इसी उद्देश्य से प्रदेश के नव निर्वाचित जिला पंचायत अध्यक्षों, उपाध्यक्षों और जनपद पंचायत अध्यक्षों की 7 जुलाई को एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में पंचायत एवं ग्रामीण विकास तथा सामाजिक न्याय एवं सहकारिता मंत्री श्री गोपाल भार्गव के मार्गदर्शन के साथ अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास श्रीमती अरुणा शर्मा सहित विभिन्न वरिष्ठ शाखा प्रमुख द्वारा विविध विषयों पर जानकारी दी गयी। कार्य संचालन की बारीकियों से अवगत कराया गया। साथ ही पंचायत प्रतिनिधियों द्वारा दिये गये सुझावों और प्रश्नों के आधार पर निष्कर्ष निकाले गये तथा अनुशंसाएं जारी की गयीं। प्रस्तुत है त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था में सुदृढ़ीकरण के लिए आयोजित विचार मंथन की विस्तृत रिपोर्ट :

त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था को और अधिक सशक्त बनाने के उद्देश्य से मंत्री पंचायत एवं ग्रामीण विकास, सामाजिक न्याय तथा सहकारिता विभाग मध्यप्रदेश शासन श्री गोपाल भार्गव की अध्यक्षता में 7 जुलाई 2015 को एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन होटल आमेर ग्रीन्स होशंगाबाद रोड भोपाल में किया गया। इस कार्यशाला में प्रदेश के सभी नवनिर्वाचित जिला पंचायत अध्यक्षों, उपाध्यक्षों तथा जनपद पंचायत अध्यक्षों ने भाग लिया।

कार्यशाला के शुभारंभ अवसर पर संबोधित करते हुए पंचायत एवं ग्रामीण विकास तथा सहकारिता मंत्री श्री गोपाल भार्गव ने कहा कि पंचायतों को सशक्त बनाने के लिए और ज्यादा संसाधन तथा अधिकार सौंपे जायेंगे। स्मार्ट-सिटी योजना के अनुरूप प्रदेश के विभिन्न विकासखण्डों और जनपद पंचायत क्षेत्रों के चुनिंदा गाँवों को स्मार्ट-गाँव के रूप में विकसित किया जाये। पंचायत प्रतिनिधियों के सहयोग से ही ग्रामीण अंचलों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ा जा सकता है। अत: ग्रामीण निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर सतत निगरानी रखें और पूरी जिम्मेदारी के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें। मध्यप्रदेश में पंचायतों के काम-काज को पारदर्शी बनाने के लिये अब इलेक्ट्रॉनिक पद्धति से भुगतान की व्यवस्था शुरू की गयी है। श्री भार्गव ने यह भी बताया कि मध्यप्रदेश में पंचायत राज व्यवस्था में महिलाओं को 50 फीसदी आरक्षण दिया गया है, जिसके बदले 60 फीसदी पदों पर महिला प्रतिनिधि निर्वाचित हैं। उन्होंने मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम वर्ष 1993 के प्रावधानों का पूरी तरह से पालन सुनिश्चित करने की बात भी कही।

इस एक दिवसीय कार्यशाला में पंचायत राज व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण, सुचारु कार्य संचालन को लेकर अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास श्रीमती अरुणा

शर्मा सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा मार्गदर्शन दिया गया। साथ ही पूरे सत्र के दौरान जिला पंचायत अध्यक्षों, उपाध्यक्षों तथा जनपद उपाध्यक्षों द्वारा उठाए गए प्रश्नों का अपर मुख्य सचिव द्वारा समाधान किया गया। कार्यशाला के समापन अवसर पर पंचायत एवं ग्रामीण विकास, सामाजिक न्याय तथा सहकारिता मंत्री श्री गोपाल भार्गव ने कहा कि अब समय स्मार्ट ग्राम, स्मार्ट पंचायत की ओर अग्रसर होने का है। कार्यशाला में हुई चर्चा के आधार पर राज्य शासन मापदण्ड जारी करेगा। श्री भार्गव ने कहा कि हमें जिला पंचायत, जनपद पंचायत से अपेक्षा है कि वे अपने जिले व जनपद के कार्यों को लेकर मार्गदर्शन और मूल्यांकन करें। शासन स्तर पर कार्य को लेकर आने वाली हर कठिनाई को दूर किया जायेगा। श्री भार्गव ने पंचायतों के कम्प्यूटीकरण से होने लाभ और समस्याओं के हल होने की जानकारी दी। श्री भार्गव ने कहा कि पंचायत राज अधिनियम के तहत त्रि-स्तरीय पंचायत राज व्यवस्था जो वर्ष 1993 से प्रारंभ हुई थी उसे लगभग 18 से 20 वर्ष हो चुके हैं। अपने अनुभव के दौरान जो कमियां ज्ञात हुई हैं उन्हें दूर करने को लेकर यदि आवश्यक हुआ तो संशोधन के लिए शासन स्तर पर प्रयास किए जायेंगे। श्री भार्गव ने सभी पंचायत प्रतिनिधियों को शासन स्तर पर पूर्ण सहयोग दिये जाने को लेकर आश्वस्त किया। साथ ही आह्वान किया कि आप अपना-अपना कर्तव्य और जिम्मेदारी अनुसार कार्य करें। हम साथ चलकर कार्य को आगे बढ़ाएंगे।

इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास श्रीमती अरुणा शर्मा ने पंचायत प्रतिनिधियों से कहा कि वे गाँव की तकदीर और तस्वीर बदलने में महती भूमिका निभायें। पंचायतों को और अधिकार सम्पन्न बनाने के लिये नियमों और कानूनों में जरूरी बदलाव और संशोधन पर विचार होगा। उन्होंने कहा कि 14वें वित्त आयोग की राशि ग्राम पंचायतों को और राज्य वित्त आयोग की राशि जनपद, जिला और राज्य स्तर पर मुहैया करवायी जायेगी। ग्रामीण

जनसंख्या तथा विकासखण्ड में ग्राम पंचायतों की संख्या के अनुसार बजट आवंटन तथा पंचायतों में सामग्री क्रय की व्यवस्था में बदलाव के लिये जरूरी पहल की जायेगी।

अपर मुख्य सचिव ने बताया कि स्मार्ट विलेज, स्मार्ट पंचायत की परिकल्पना को किस तरह से साकार किया जा सकता है। स्मार्ट विलेज बनने से आम जनता जो अन्य सुविधाओं के लिये शहर की ओर प्रेरित हो रही है, उस पर भी नियंत्रण हो सकेगा। इससे पहले अध्यक्ष जिला पंचायत भोपाल श्री मनमोहन नागर, अध्यक्ष जिला पंचायत मण्डला श्रीमती सम्पतिया उइके तथा अध्यक्ष जनपद पंचायत शाजापुर श्री अजब सिंह पंवार ने पंचायत मंत्री श्री भार्गव को पुष्प-गुच्छ भेंटकर उनका स्वागत किया।

कार्यशाला के उद्घाटन सत्र में आयुक्त पंचायत राज श्री रघुवीर श्रीवास्तव ने स्वागत उद्बोधन तथा विषय प्रवेश रखा। आयुक्त द्वारा कार्यशाला की रूपरेखा, विचार मंथन, विभिन्न विषयों पर चर्चा, प्रश्नों के समाधान एवं समस्याओं का निराकरण इत्यादि कार्यशाला में चर्चा के विषयों से सभी प्रतिनिधियों को अवगत कराया गया। आयुक्त पंचायत राज ने जानकारी दी कि पंचायत विभाग द्वारा सभी ग्राम पंचायत स्तर पर पदस्थ सचिव तथा ग्राम रोजगार सहायक, जो करीब शासन की 150 योजनाओं से संबंध रखते हैं, वे अपने कार्यकलापों में प्रवीण रहें इसके लिए सभी को प्रशिक्षित किया जा रहा है। पंचायत विभाग द्वारा पंचायत दर्पण विकसित किया है, जिसमें ग्राम पंचायत की सभी जानकारियां पोर्टल पर उपलब्ध की जा रही हैं। सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास श्री संजीव कुमार झा ने नवनिर्वाचित अध्यक्षों, उपाध्यक्षों तथा जनपद अध्यक्षों की एक दिवसीय कार्यशाला पर कहा कि सभी शासकीय अधिकारियों, निर्वाचित प्रतिनिधियों को अपने-अपने दायित्व अनुसार कार्यवाही करनी है। दोनों की ही महत्वपूर्ण भूमिकाएं हैं। श्री झा ने बताया कि सुचारु कार्य संचालन में आने वाली कठिनाई को देखते हुए यदि आवश्यक हुआ तो अधिनियम में संशोधन की कार्यवाही की जा सकती है।

कार्यशाला में, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के शीर्षस्थ अधिकारियों डॉ. अरुणा शर्मा, अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, डॉ. संजीव कुमार झा, सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, श्री रघुवीर श्रीवास्तव, आयुक्त, पंचायत राज संचालनालय, मध्यप्रदेश, श्रीमती स्मिता भारद्वाज, आयुक्त, मध्यप्रदेश रोजगार गारंटी परिषद, भोपाल, श्रीमती हेमवती बर्मन, राज्य कार्यक्रम अधिकारी, स्वच्छ भारत मिशन, भोपाल, श्री अजीत कुमार, संचालक, समग्र, भोपाल, श्री विभाष कुमार ठाकुर, समन्वयक मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम, श्री एम.के. गुप्ता, प्रमुख अभियंता, आरआरडीए, श्री डी.के. कपाले, प्रमुख अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा तथा समस्त, विभाग स्तरीय कार्यालयों के वित्तीय प्रमुख, सलाहकार उपस्थित थे।

● रंजना चितले

पंचायत प्रतिनिधियों के प्रश्नों का समाधान

आयुक्त, पंचायत राज संचालनालय द्वारा समय-समय पर उठे बिन्दुओं पर प्रस्तुतीकरण

सभा कक्ष में उपस्थित सभी नवनिर्वाचित जिला पंचायत अध्यक्षों, उपाध्यक्षों तथा जनपद पंचायत अध्यक्षों के समक्ष समय-समय पर कार्य संपादन को लेकर उठाए गए बिन्दुओं पर आयुक्त पंचायतराज श्री रघुवीर श्रीवास्तव द्वारा पावर पाइंट प्रस्तुतीकरण दिया गया। स्मार्ट ग्राम, ग्राम सभा तथा स्मार्ट पंचायत बनाने की परिकल्पना, कार्य और विषय वस्तु को लेकर उठे संदेह को समाधानित किया गया। पंचायत प्रतिनिधियों द्वारा कार्य के अनुश्रवण, मूल्यांकन और क्रियान्वयन, स्थापना, लेखा, करारोपण, पंचायत निधि, ऑडिट व्यवस्था, सामाजिक, अंकेक्षण, पंचायतों की बैठकें, प्रस्ताव अनुमोदन, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, मध्यान्ह भोजन के क्रियान्वयन तथा की जाने वाली सुविधाओं पर उठने वाले प्रश्नों का यथायोग्य अभिमत दिया गया। प्रस्तुत है पंचायत प्रतिनिधियों द्वारा पूछे गये प्रश्नों और विभाग के अभिमत का विस्तृत विवरण :

जिला पंचायत अध्यक्ष-उपाध्यक्ष तथा जनपद पंचायत अध्यक्ष द्वारा पूछे गये प्रश्न और विभाग का अभिमत

क्र.	जिला पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं जनपद पंचायत अध्यक्ष द्वारा पूछे गए प्रश्न	विभाग का अभिमत
1.	प्रत्येक ग्राम सभा में सरपंच से पृथक ग्राम सभा के किसी सदस्य की अध्यक्षता में ग्राम सभा आयोजित की जाये।	मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 6 में प्रावधान है कि ग्राम सभा की अध्यक्षता सरपंच द्वारा की जाएगी। पेसा एक्ट 1996 के प्रावधानों के अनुसार मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 129 (ख) 4 अनुसार अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में सरपंच/उप सरपंच के स्थान पर ग्राम सभा के अन्य सदस्य द्वारा ग्राम सभा की अध्यक्षता की जाती है। पेसा प्रावधानों के अनुरूप इसे सामान्य क्षेत्र में भी लागू किया जा सकता है। सुझाव व्यवहारिक है। इस आशय का संशोधन अधिनियम की धारा 6 में करना होगा।
2.	म.प्र. पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 7 के तहत् कर्मचारियों पर व्यापक नियंत्रण सौंपा गया है, परंतु विभागों द्वारा कर्मचारियों के वेतन, छुट्टी, गोपनीय प्रतिवेदन तथा अनुशासनात्मक कार्यवाही के प्रकरणों में ग्राम सभा की राय नहीं ली जाती यहां तक कि ग्राम सभा के प्रस्तावों पर विचार भी नहीं किया जाता जिससे कर्मचारी नियंत्रण के बाहर हैं। उपरोक्त व्यवस्था कड़ाई से लागू की जाये।	मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 7-ठ में ग्राम सभा क्षेत्र की सीमा के भीतर अधिकारिता क्षेत्र वाले शासकीय कर्मचारियों पर ग्राम सभा के नियंत्रण का प्रावधान है। इस प्रावधान का पालन किया जाना आवश्यक है। यद्यपि पंचायतों द्वारा विभिन्न विभागों की ग्रामीण क्षेत्र में संचालित योजनाओं और कार्यक्रमों का सुपरविजन तथा मॉनीटरिंग का कार्य किया जा रहा है, किंतु वेतन आदि के संबंध में ग्राम सभा द्वारा निर्णय लिया जाना व्यवहारिक नहीं है। प्रत्येक 10 पंचायतों पर एक संकुल केन्द्र स्थापित किया गया है, जहां पंचायत समन्वय अधिकारी, सहायक विकास विस्तार अधिकारी, पंचायत सचिव आदि समग्र रूप से बैठकर कार्य करते हैं।
3.	ग्राम सभा में पंचायत के साथ-साथ उस क्षेत्र में कार्यरत सभी विभागों एवं समितियों का भी सामाजिक अंकेक्षण कराया जाये। बगैर सामाजिक अंकेक्षण के उक्त व्यय को वसूली योग्य माना जाये।	मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 129 में सामाजिक संपरीक्षा का प्रावधान है। पंचायतों के लेखाओं की संपरीक्षा करने के लिए राज्य स्तर पर सामाजिक अंकेक्षण सेल का गठन किया गया है। मनरेगा के समस्त कार्यों का सामाजिक अंकेक्षण तथा ग्रामीण विकास की समस्त योजनाओं का भौतिक सत्यापन किया जाता है। अन्य विभागों की योजनाओं की संपरीक्षा का विचार किया जा सकता है।
4.	ग्राम सभा के प्रस्तावों पर संज्ञान न लेने वाले विभागों को धारा 86 के अंतर्गत निर्देश देने की शक्ति जनपद पंचायत अथवा जिला पंचायत को प्रदान की जाये।	धारा 86 - कतिपय मामलों में पंचायतों को संकर्मों का निष्पादन करने के लिए आदेश देने की राज्य सरकार की शक्ति - 1. राज्य सरकार या विहित प्राधिकारी, लिखित आदेश द्वारा, किसी भी पंचायत को इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा या उसके अधीन उस पर अधिरोपित किसी भी ऐसे कर्तव्य का पालन करने या किसी ऐसे संकर्म के संबंध में निर्देश दे सकेगी/सकेगा जिसका उसके द्वारा यथास्थिति पालन या निष्पादन नहीं किया जा रहा है।

क्र.	जिला पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं जनपद पंचायत अध्यक्ष द्वारा पूछे गए प्रश्न	विभाग का अभिमत
		ग्राम सभा द्वारा लिए गए निर्णय पर समय-सीमा में कार्यवाही की जाना आवश्यक है। जनपद वार ग्राम सभा के प्रस्तावों को आमंत्रित कर विभाग वार कार्यवाही हेतु संबंधित जिला प्रमुख को भेजा जाता है। इस व्यवस्था को अधिक सुदृढ़ किया जाकर जनपद/जिला पंचायत स्तर पर मॉनीटरिंग की जायेगी।
5.	जिस तरह सांसद तथा विधायक जिला पंचायत एवं जनपद पंचायत में मनोनीत सदस्य होते हैं उसी प्रकार जिला पंचायत सदस्यों को संबंधित जनपद पंचायत में तथा जनपद पंचायत सदस्यों को ग्राम पंचायत में मनोनीत सदस्य नियुक्त किया जाये।	त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था अनुसार तीनों स्तर की पंचायतों हेतु पृथक-पृथक निर्वाचन होकर प्रतिनिधि निर्वाचित हैं। सभी अपने-अपने कार्यक्षेत्र में कार्य के लिये सक्षम हैं। यदि प्रस्तावित व्यवस्था लागू की जाती है तो एक्ट में संशोधन किया जाना होगा। इस पर विचार कर निर्णय लिया जाएगा।
6.	ग्राम सभा द्वारा पारित सभी संकल्प 7 दिवस में स्केन कर पंचायत दर्पण पोर्टल पर दर्ज कराये जायें।	ग्राम सभा प्रस्तावों का जनपद स्तर पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत विभागवार तथा योजनावार छटनी कर कार्यवाही हेतु संबंधित को भेजना सुनिश्चित करते हैं। ग्राम सभा प्रस्तावों को स्केन कर पंचायत पोर्टल में अपलोड की व्यवस्था पर कार्यवाही की जायेगी।
7.	जनप्रतिनिधियों को क्रियान्वयन के बजाय अनुश्रवण या मूल्यांकन का कार्य सौंपा जाये। क्रियान्वयन का कार्य सरकारी तंत्र को सौंपा जाये।	मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 47 अनुसार जनपद पंचायत और जिला पंचायत की स्थायी समितियों का प्रावधान है। (क) सामान्य प्रशासन समिति (ख) कृषि समिति (ग) शिक्षा समिति (घ) संचार संकर्म समिति (ङ) सहकारिता और उद्योग समिति (च) स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास समिति (छ) वन समिति। प्रत्येक जिला स्तर/जनपद स्तर पर उपरोक्त में से गठित पांच स्थायी समितियों में विभिन्न विभागों की योजनाओं तथा कार्यक्रमों की समीक्षा की जाती है। शासकीय योजनाओं का क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन सरकारी तंत्र द्वारा ही किया जाता है। जिला एवं जनपद स्तर

क्र.	जिला पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं जनपद पंचायत अध्यक्ष द्वारा पूछे गए प्रश्न	विभाग का अभिमत
		पर स्थाई समितियां बनी हैं, जो सभी विभागीय कार्यों की समीक्षा एवं अनुश्रवण प्रतिमाह करती हैं।
8.	ग्राम सभाओं की वीडियो रिकार्डिंग अनिवार्य हो। इस हेतु वित्तीय प्रावधान हो तथा शिकायतों का निराकरण करने में वीडियो रिकार्डिंग के फुटेज का इस्तेमाल हो।	ग्राम सभाओं की वीडियो रिकार्डिंग करने से संबंधित निर्देश शासन के पत्र क्रमांक एफ 16-1/2011/22/पं-2 दिनांक 23.06.2015 अनुसार जारी किये गये हैं। पंचायतों द्वारा ग्राम सभाओं की रिकार्डिंग की जा रही है।
9.	म.प्र. पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 66 (1) में प्रावधान है कि प्रत्येक पंचायत एक निधि स्थापित करेगी जो पंचायत निधि कहलायेगी तथा पंचायत को प्राप्त समस्त राशियां इस निधि का भाग होंगी। धारा 66 (4) में पंचायत निधि से आहरण की व्यवस्था देते हुए लेख किया गया है कि ऐसी रकमें जिला पंचायत या जनपद पंचायत की सामान्य प्रशासन समिति के अनुमोदन से आहरित होंगी। उक्त मामले में विसंगति यह है कि ग्राम पंचायत में सभी केन्द्र पोषित एवं राज्य पोषित योजनाओं की राशि एक खाते में जा रही है तथा जनपद पंचायत एवं जिला पंचायत में पृथक खातों में रखकर पृथक लेखा संधारण किया जा रहा है। इस अंतर के आधार पर ग्राम पंचायत में सभी राशियां पंचायत निधि हैं तथा जनपद पंचायत एवं जिला पंचायत में उक्त निधि पंचायत निधि नहीं है।	कार्य व्यवस्था को व्यवहारिक बनाने हेतु जिला पंचायत में कम से कम खाते रखे जाने के निर्देश दिए जायेंगे। पंचायत निधि, मुद्रांक शुल्क, डीआरडीए वेतन भत्ते, स्वच्छ भारत मिशन, मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम, एन.आर.एल.एम. कालोनाईजर लाईसेंस फीस, आई.डब्ल्यू. एम.पी. आदि। धारा 66 (1) जिला पंचायत निधि में केवल वही राशि रखी जाएगी, जो जिला पंचायत या जनपद पंचायत द्वारा स्वयं स्त्रोतों से अर्जित राशि तथा कर्मचारियों के वेतन भत्ते आदि रखे जाने हैं। ग्राम पंचायत स्तर पर एक-एक खाता प्रणाली लागू की गई है।
10.	उपरोक्त विसंगति का उद्‌भव मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय भोपाल के एफ 2-39/22/पं-1/2014/987/2015 दिनांक 19.05.2015 से हुआ जिसमें मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 66 (1) एवं 66 (4) के विपरीत मार्गदर्शन दिया गया। ध्यातव्य है कि विधान सभा द्वारा पारित अधिनियम में संशोधन के बगैर उसके प्रतिकूल मार्गदर्शन विधि सम्मत नहीं है।	धारा 66 (4) के प्रावधान अनुसार जनपद पंचायत या जिला पंचायत की रकमों का बजट में प्रावधान किया जाता है, और उक्त बजट का जनपद पंचायत तथा जिला पंचायत की सामान्य प्रशासन समिति से अनुमोदन आवश्यक है। जनपद पंचायत तथा जिला पंचायतों द्वारा किये जाने वाला आय-व्यय आगामी सामान्य प्रशासन समिति में अनुमोदन संबंधित पंचायत द्वारा करवाया जाता है। 7-7 स्थाई समितियां बनाई गई हैं, इसमें प्रत्येक विभाग की योजनाओं का अनुमोदन जिला/जनपद से किया जाता है, जो परिपत्र जारी किया है, वह धारा 66 में विपरीत नहीं है। अतः दिनांक 19.05.2015 द्वारा जारी परिपत्र नियम विरुद्ध नहीं है।
11.	आडिट की व्यवस्था को सशक्त बनाये जाने की जरूरत है। ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत या जिला पंचायत की आडिट के बाद यदि वित्तीय अनियमितता या भण्डार क्रय नियमों का उल्लंघन पाया जाता है तो संबंधित चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट या आडिटर के विरुद्ध भी कार्यवाही की जाये। अपितु प्रत्येक सीएफटी स्तर पर लेखा संधारण हेतु एक आडिटर को जिम्मेदार बनाया जाये।	तीन स्तरीय पंचायतों का ऑडिट स्थानीय संपरीक्षा निधि द्वारा किया जाता है। तीन स्तरीय संस्थाओं का सी.ए. ऑडिट तथा ऑडिट भी अनिवार्यतः करवाया जा रहा है। ऑडिट में आने वाली वित्तीय अनियमितताओं पर कार्यवाही हेतु मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत को निर्देश पूर्व में दिए गए हैं। तीन ग्राम पंचायतों पर सी.ए. ऑडिट हेतु एक-एक व्यक्ति को पदस्थ किया गया है, जो ऑडिट पश्चात्‌ प्रतिवेदन पंचायत पोर्टल पर अपलोड करेंगे।
12.	पंचायत राज व्यवस्था के प्रारंभ में सभी विभागों का बजट जिला और जनपद पंचायत को प्राप्त होता था तथा उनके अनुमोदन उपरांत कार्ययोजना के आधार पर बजट	केन्द्र सरकार प्रवृत्त योजनाओं की राशि (मनरेगा, इंदिरा आवास, 13 वें वित्त आयोग) योजना की गाइड लाइन अनुसार सीधे पंचायतों के खातों में भेजी जाती है। अन्य विभागों के जिला स्तर पर प्राप्त होने

क्र.	जिला पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं जनपद पंचायत अध्यक्ष द्वारा पूछे गए प्रश्न	विभाग का अभिमत
	पुनरावंटित होता था। उसी व्यवस्था को पुनः बहाल किया जाये।	वाली राशि से किए जाने वाले कार्य का अनुमोदन जिला/जनपद पंचायत की सामान्य प्रशासन समिति से ही किये जाते हैं। उक्त व्यवस्था पूर्व से ही लागू है।
13.	तीन-तीन महीने में ग्राम सभा की भांति जिला एवं जनपद पंचायतों की बैठक हो जिसमें तीन माह में किये कार्यों का ब्यौरा ग्राम सभा स्तर तक प्रेषित कर समस्त योजनाओं एवं विभागों के कार्यों का सामाजिक अंकेक्षण कराया जाये जिसमें कार्य में अधिक समय व्यय हो सके।	मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 44 में प्रतिमाह एक बार बैठक रखने का प्रावधान है, इसमें संशोधन व्यवहारिक नहीं है।
14.	लाटरी पद्धति से प्रत्येक विकासखंड में तीन माह में दो पंचायतों एवं जिला स्तर में वर्ष भर में दो पंचायतों की विस्तृत जांच कराई जाये ताकि ग्राम पंचायतों में अनुशासन बना रह सके। निरीक्षण ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के बजाय अन्य विभागों के अधिकारियों से कराया जाये।	किसी भी स्तर पर पायी जाने वाली शिकायतों, अनियमितता की जांच समय-समय पर खंड विकास अधिकारी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, अतिरिक्त कलेक्टर, कलेक्टर द्वारा की जाती है। कार्यों की तकनीकी नियंत्रण हेतु ग्रामीण यांत्रिकी सेवाओं के अधिकारी अधिकृत हैं, जिससे कार्यों में तकनीकी रूप से कार्यों की गुणवत्ता बनी रहे।
15.	राज्य या केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित प्रशासनिक व्यय सीमा से अधिक व्यय करने पर शासन से पूर्व अनुमति ली जावे एवं उक्त व्यय की प्रतिपूर्ति राज्य सरकार से करायी जाये अन्यथा संबंधित अधिकारियों से राशि वसूली जावे।	निर्धारित प्रशासनिक मद अनुसार सीमा के भीतर राशि व्यय की जाती है। निर्धारित सीमा के बाहर प्रशासनिक मद में व्यय करने का प्रावधान नहीं है।
16.	ग्राम सभा द्वारा चयनित हितग्राही का अनुमोदन जनपद पंचायत एवं जिला पंचायत में कराया जाये। अनुमोदन उपरांत स्वीकृत	म.प्र. पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 7 - च अनुसार गरीबी उन्मूलन तथा हितग्राही मूलक योजनाओं में

क्र.	जिला पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं जनपद पंचायत अध्यक्ष द्वारा पूछे गए प्रश्न	विभाग का अभिमत
	राशि सीधे खाते में अंतरित हो।	हितधारकों का चयन ग्राम सभा में किया जाना व्यवहारिक है। ग्राम सभा का "स्वरूप" स्थायी है। ग्राम सभा का प्रत्येक निर्णय अपील योग्य है। यदि ग्राम सभा नियमों के विपरीत कोई निर्णय लेती है तो उस नियम विपरीत निर्णय को चुनौती देकर न्याय प्राप्त करने का प्रावधान है। ग्राम सभा के निर्णय का अनुमोदन जनपद/जिले से कराना विधि विपरीत है क्योंकि ग्राम सभा एक संवैधानिक इकाई है।
17.	ग्राम सभा द्वारा चयनित हितग्राही का अनुमोदन जनपद पंचायत एवं जिला पंचायत में कराया जाये। अनुमोदन उपरांत स्वीकृत राशि सीधे खाते में अंतरित हो।	म.प्र. पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 7-च अनुसार गरीबी उन्मूलन तथा हितग्राही मूलक योजनाओं में हितधारकों का चयन ग्राम सभा में किया जाना व्यवहारिक है। ग्राम सभा का "स्वरूप" स्थायी है। ग्राम सभा का प्रत्येक निर्णय अपील योग्य है। यदि ग्राम सभा नियमों के विपरीत कोई निर्णय लेती है तो उस नियम विपरीत निर्णय को चुनौती देकर न्याय प्राप्त करने का प्रावधान है। ग्राम सभा के निर्णय का अनुमोदन जनपद/जिले से कराना विधि विपरीत है क्योंकि ग्राम सभा एक संवैधानिक इकाई है।
18.	परफारमेंस ग्रांट की राशि अनाबद्ध हो जिससे जिला पंचायत स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप राशि व्यय कर सके हैण्डपंप, प्रधानमंत्री सुरक्षा एवं जीवन ज्योति बीमा में उपयोग की अनुमति प्रदान की जाये।	14वें वित्त आयोग की गाइड लाइन के अनुसार अब परफारमेंस ग्रांट की राशि सीधे ग्राम पंचायतों के खातों में जमा की जाएगी। ग्राम पंचायतें ग्राम सभा में कार्य योजना तैयार कर कार्य करेंगी।
19.	ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये कि विभाग या तो प्रस्तावों का अनुपालन करे अथवा विहित प्राधिकारी के माध्यम से विहित प्रक्रिया का पालन कर प्रस्ताव को निरस्त करायें। प्रस्तावों के अनुपालन की समय सीमा भी होनी चाहिये।	पंचायतों की बैठकों में लिए गए निर्णयों पर कार्यवाही करने का प्रावधान अधिनियम/नियमों में है। नियम विपरीत प्रस्ताव को निलंबित करने या निरस्त करने का प्रावधान धारा 85 में है। राज्य सरकार या विहित प्राधिकारी पंचायत द्वारा पारित किसी संकल्प, जारी किए गए किसी आदेश, अनुज्ञा के निष्पादन को निलंबित कर सकेगा।
20.	त्रिस्तरीय पंचायतों में स्थापना, लेखा, करारोपण आदि के लिये सामान्य प्रशासन स्थायी समितियां विधिक प्रावधानों से गठित हैं, परंतु किसी प्रकार की नियुक्ति एवं हितग्राही मूलक योजना के चयन हेतु शासन प्रशासन द्वारा पृथक से चयन समिति बनायी जाती है जिसमें जनप्रतिनिधियों को दरकिनार कर दिया जाता है। सुझाव है कि सभी नियुक्तियां सामान्य प्रशासन समिति एवं योजनाओं में हितग्राही का चयन संबंधित अस्थाई समिति के माध्यम से ही करायी जाये।	अधिनियम में स्थापना तथा वित्तीय विषय सामान्य प्रशासन समिति को सौंपे गए हैं। इनका कड़ाई से पालन होना चाहिए।
21.	सचिव, ग्राम पंचायत को सचिवीय अधिकार प्रदत्त करने के लिये मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 69 (1) के तहत प्रावधान है। सचिव भर्ती नियम बन जाने के बाद भी इस धारा को संशोधित न करने के कारण सचिव व्यवस्था में कठिनाई होती है। ऐसी व्यवस्था अपेक्षित है कि यदि एक बार सचिव को वित्तीय अधिकार प्रदत्त कर दिये गये तो पंचायत परिवर्तन पर पुनः सचिवीय अधिकार की आवश्यकता न पड़े। सचिवों का अतिरिक्त प्रभार भी 90 दिन के बजाय कम से कम एक वर्ष के लिये दिया जाये। सचिवीय घोषणा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद द्वारा भेजे जा रहे	जिस प्रकार की प्रक्रिया जिला/जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी की नियुक्ति में अपनाई जाती है, तद्नुरूप ही ग्राम पंचायत सचिव के मामले में अपनाई जाए। सुझाव व्यवहारिक है, चूंकि ग्राम पंचायत सचिवों का जिला काडर बनाया जाकर भर्ती नियम बनाये जा चुके हैं। भर्ती नियमों के तहत ही स्थानांतरण का प्रावधान किया गया है। ग्राम पंचायत सचिव घोषित करने की कार्यवाही नियुक्ति प्रक्रिया का भाग है। एक बार ग्राम पंचायत सचिव नियुक्ति घोषित होने पर प्रत्येक स्थानांतरण के पश्चात् सचिव घोषित करने की कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है। समस्त कलेक्टर/मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत/

क्र.	जिला पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं जनपद पंचायत अध्यक्ष द्वारा पूछे गए प्रश्न	विभाग का अभिमत
	प्रस्ताव अनुमोदन जनपद पंचायत/जिला पंचायत से होकर विहित प्राधिकारी के पास होना चाहिये।	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत को उक्त आशय के निर्देश जारी कर उक्त प्रक्रिया में शीघ्र सुधार किया जा रहा है। भरती नियम 12 के तहत एक सचिव को दो पंचायतों का प्रभार नहीं दिया जा सकता है। ग्राम रोजगार सहायक को अतिरिक्त प्रभार देने के आदेश कलेक्टरों को दिए जा चुके हैं।
22.	अतिरिक्त पंचायतों का प्रभार दिये जाने हेतु जनपद पंचायत कार्यालय से नजदीक ग्राम पंचायत की एकजाई सूची मंगा कर दर्ज कर ली जावे जिससे नाम मंगाये जाने की प्रक्रिया भ्रष्टाचारमुक्त रहे साथ ही सचिवों की स्थानांतरण नीति में प्रावधान रखा जावे कि उनके साथ स्थानांतरण पूर्व से प्रभार में अतिरिक्त ग्राम पंचायत का प्रभार भी बदला जाये ताकि प्रभार एवं स्थानांतरित ग्राम पंचायत की दूरी की अद्यतन समस्या से निजात मिल सके।	मध्यप्रदेश पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा ग्राम पंचायत सचिव का पद रिक्त होने की स्थिति में ग्राम रोजगार सहायक को सचिव की नियुक्ति होने तक प्रभार देने के शासन के आदेश दिनांक 06.07.2013 अनुसार जारी किये गये हैं। ग्राम पंचायत सचिव भरती नियम 2011 के नियम 12 अनुसार ग्राम पंचायत सचिवों को किसी भी स्थिति में अतिरिक्त प्रभार नहीं दिया जा सकता। समस्त जिलों को निर्देश जारी किये जा रहे हैं।
23.	संविदा कर्मचारियों की सेवावृद्धि या अनुशासनात्क कार्यवाही की प्रक्रिया सामान्य प्रशासन समिति के अनुमोदन से करायी जाये।	संविदा कर्मचारियों की सेवा वृद्धि या अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु जिला पंचायत/जनपद पंचायत को संविदा नीति का पालन करना चाहिए, जो राज्य स्तर से जारी की गई है।
24.	जिला पंचायत, जनपद पंचायत एवं ग्राम पंचायतों को	सुझाव व्यवहारिक है। किंतु उसे मूर्त रूप देने में समय लग सकता

क्र.	जिला पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं जनपद पंचायत अध्यक्ष द्वारा पूछे गए प्रश्न	विभाग का अभिमत
	वीडियो कांफ्रेन्सिंग सुविधा से जोड़ा जाये।	है।
25.	सभी विभागों की चयन समितियां जन प्रतिनिधियों की अध्यक्षता एवं जनप्रतिनिधियों के बाहुल्य वाली गठित होनी चाहिये।	हितग्राही मूलक सभी योजनाओं में हितग्राही चयन के अधिकार ग्राम सभा को हैं। विभागीय चयन समितियां विभागीय प्रशासकीय निर्देशों के तहत गठित हैं। संविदा शिक्षा कर्मी वर्ग 1, 2 एवं 3 की नियुक्ति संबंधी कार्यवाही जिला पंचायत/जनपद पंचायत सामान्य प्रशासन समिति द्वारा की जाती है।
26.	पंचायत समन्वय अधिकारी सहित सभी ग्रामीण स्तर के कर्मचारियों का जिले के अंदर स्थानांतरण का अधिकार जिला पंचायत की सामान्य प्रशासन समिति को तथा जनपद पंचायत स्तर पर वहां की समिति को दिया जाये।	पंचायत समन्वय अधिकारी का पद राज्य काडर का पद है। अतएव स्थानांतरण राज्य स्तर से ही किये जाने का प्रावधान है।
27.	अविवादित नामांतरण एवं अविवादित बंटवारा में पूर्व दिये गये अधिकारों को पुनः ग्राम सभाओं को प्रदान किया जाये। क्योंकि राजस्व विभाग की तुलना में पंचायत द्वारा किये गये नामांतरण प्रकरणों की अपीलों की संख्या नगण्य है।	अविवादित नामांतरण तथा बंटवारे के अधिकार पूर्व में राजस्व विभाग द्वारा पंचायतों को सौंपे गये थे, किंतु उक्त विभाग द्वारा उक्त अधिकार पंचायतों से वापस ले लिये गये हैं। पुनः उक्त कार्यवाही पंचायतों को सौंपने हेतु राजस्व विभाग को प्रस्ताव भेजा जा रहा है।
28.	लघु उद्योग निगम एवं राज्य उपभोक्ता संघ से खरीदी का बंधन समाप्त कर खुली प्रतिस्पर्धायुक्त निविदा की प्रक्रिया की जावे एवं अनुमोदन सामान्य प्रशासन समिति से कराया जावे।	मध्यप्रदेश शासन के द्वारा लघु उद्योग निगम को उक्त कार्य के लिये अधिकृत किया है।
29	प्रोटोकाल - प्रोटोकाल में जिला पंचायत अध्यक्ष का स्थान महापौर से ऊँचा होना चाहिए। राज्यमंत्री तथा राज्यमंत्री का दर्जा प्राप्त की कुटिल व्यवस्था नहीं की जानी चाहिए स्पष्ट रूप से राज्यमंत्री का प्रोटोकाल होना चाहिए साथ ही उसे आवश्यक रूप से सुरक्षा व्यवस्था हेतु गनमैन प्रदत्त किया जावे, तद्नुरूप जिला पंचायत अध्यक्ष को लाल बत्ती एवं उपाध्यक्ष को पीली बत्ती अपने कार्य क्षेत्र अंतर्गत लगाये जाने का अधिकार प्रदान किया जावे।	सामान्य प्रशासन विभाग को प्रस्ताव भेजा जाएगा।
30.	मध्यान्ह भोजन के क्रियान्वयन में ग्राम सभा एवं स्थायी समितियों की प्रभावी भूमिका हो। ग्राम सभा की त्रैमासिक समीक्षा के आधार पर जनपद स्तरीय स्थायी समिति को निर्णय लेने का अधिकार हो। त्रिसदस्यीय समिति सहित बीआरसीसी की भूमिका नगण्य हो। अनुश्रवण समिति का अध्यक्ष क्रमशः जनपद पंचायत एवं जिला पंचायत के अध्यक्ष को बनाया जाये। मध्यान्ह भोजन के क्रियान्वयन में चयनित समूहों को कार्य दिये जाने हेतु महिला आरक्षण के साथ-साथ अजा/अजजा/पिछड़ा वर्ग एवं सामान्य का 25-25 प्रतिशत के अनुपात में आरक्षण के आधार पर करते हुए गांव के दबंगों से व्यवस्था को बाहर निकालें।	त्रैमासिक ग्राम सभा में मानीटरिंग की जाती है, महिला पंचों को जिम्मेदारी सौंपे जाने पर विचार किया जाना है, शासन स्तर पर विचाराधीन है। बीआरसी विकासखंड स्तर पर शिक्षण संस्थाओं की मॉनीटरिंग सीआरसी के माध्यम से करता है। उसी अनुरूप स्कूलों में मध्यान्ह भोजन के व्यवहारिक संचालन, मध्यान्ह भोजन की गुणवत्ता संबंधी प्रशासकीय जिम्मेदारी बीआरसी की होती है, महिला स्वयं समूहों को मध्यान्ह भोजन हेतु जो ठेका दिया जाता है, उसमें समूह द्वारा जो अनुबंध किया जाता है, उसमें ग्राम पंचायत भी पार्टी होती है। अतः ग्राम पंचायत को समूह के मध्यान्ह भोजन संचालन की पूर्व जानकारी होती है। ग्राम पंचायतें/जिला/ जनपद पंचायतों में गठित शिक्षा समिति में मध्यान्ह भोजन की मॉनीटरिंग एवं समीक्षा के अधिकार पूर्व से ही दिये गये हैं।
31.	जिला के सभी मुख्य मार्गों में अन्य राज्यों की भांति (व्ही.पी) जिला पंचायत का नाका स्थापित कर चुंगी राशि वसूली जावे। इसी तरह गाड़ी स्टेण्ड, बाजार, हड्डी, चमड़े का ठेका एवं माईनिंग लीजों की नीलामी जिला पंचायत द्वारा करायी जावे ताकि स्वायत्त	(1) मध्यप्रदेश ग्राम पंचायत (घृणोत्पादक या खतरनाक वस्तुओं के व्यापार का विनियमन) नियम 1998 में हड्डियों, चमड़े का संग्रहण, ठेका आदि के संबंध में प्रावधान होकर पंचायतों को व्यवस्था सौंपी गयी है।

क्र.	जिला पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं जनपद पंचायत अध्यक्ष द्वारा पूछे गए प्रश्न	विभाग का अभिमत
	शासी संस्था का आर्थिक स्त्रोत स्वयं ही मजबूत हो सके।	(2) मध्यप्रदेश ग्राम सभा वैकल्पिक कर तथा फीस (शर्तें तथा अपवाद) नियम 2001 के तहत ग्राम सभाओं को नियम 4 के तहत ग्राम सभा के भीतर सवारी करने, चलाने, खींचने या बोझा ढोने के उपयोग में लाये जाने वाले पशुओं पर कर निर्धारण की शक्तियां हैं। (3) मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम के तहत वर्ष 2001 से पंचायतों को अधिकार सौंपे गये थे, जो वर्ष 2004 से वापस ले लिये गये हैं क्योंकि पंचायतों को उक्त कार्य को संपन्न करवाने हेतु पर्याप्त अमला नहीं होता है।
32.	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की कार्य योजना प्रतिवर्ष जिला पंचायत में प्रस्तुत की जाये। जनसंख्या के अनुसार ग्राम को पक्की सड़कों से जोड़े जाने हेतु प्राथमिकता का क्रम सामान्य प्रशासन सभा के माध्यम से तय किया जाये।	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की कार्य योजना जिला पंचायत में प्रस्तुत करने के संबंध में शासन स्तर पर विचार कर निर्णय लिया जा सकता है।
33.	एक ही कार्य की विभिन्न योजनाओं में पुनरावृत्ति न हो तथा भुगतान प्रक्रिया सरल हो इस संबंध में शासन द्वारा समस्त कार्यों की जीईओ टेगिंग की जाये। जीईओ टेगिंग में प्रत्येक कार्य की यूनिक आई डी हो पंचायत दर्पण पोर्टल को लिंक किया जाये साथ ही पंचायत दर्पण पोर्टल में ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित की जाये कि जैसे ही संबंधित एजेंसी द्वारा प्राप्त राशि के बराबर कार्य कर लिया हो तो पंचायत दर्पण पोर्टल से होम पेज पर लाल रंग या अन्य किसी रंग से एलर्ट के रूप में कार्य की स्थिति दर्शाने लगे यह पता चल जायेगा कि उक्त कार्य हेतु प्राप्त राशि का उपयोग कर लिया गया है। ऐसी एजेंसी जिसने तीन महीने में प्राप्त राशि का उपयोग भी नहीं किया है वह भी अलर्ट के रूप में दिखने लगे।	मनरेगा योजना में इलेक्ट्रानिक फंड ट्रांसफर सिस्टम लागू कर कार्यों में भुगतान प्रक्रिया प्रचलित है। पंच परमेश्वर योजना में भी ई भुगतान व्यवस्था हेतु निर्देश जारी कर कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई है। प्रत्येक जनपद स्तर पर ई भुगतान व्यवस्था पर प्रशिक्षण की कार्यवाही भी प्रचलित है। पंचायत वेब पोर्टल पर जियोटेग फोटो द्वारा कार्य को यूनिक से पहचानने हेतु प्रावधान विकसित किया जा रहा है, जो शीघ्र ही उपलब्ध होगा। प्रत्येक योजना में उपलब्ध राशि कार्य बनाते समय दिखाई देगी, यदि राशि उपलब्ध नहीं है तो व्यय भी संभव नहीं होगा। अलर्ट के रूप में तीन महीने तक राशि उपयोग ना करने वाली एजेंसी भी दिखाई देगी।
34.	समग्र स्वच्छता अंतर्गत योजनाओं (शौचालयों) निर्माण राशि को आवास योजनांतर्गत स्वीकृत कार्य राशि में पूर्व से समायोजित की जावे।	इस संबंध में विचार किया जाएगा।
35.	राशि आहरण कर कार्य न करने वाले पदाधिकारियों के विरुद्ध सिविल न्यायालयों में वसूली एवं दण्ड हेतु कठोर व्यवस्था निर्धारित की जाये।	मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 89 तथा धारा 92 में वसूली का प्रावधान है। पंचायत पदाधिकारियों अथवा कर्मचारियों के विरुद्ध किसी धन या अन्य संपत्ति की हानि, दुरुपयोग की वसूली का प्रावधान है। ऐसी रकम भू-राजस्व के बकाया तौर पर वसूल की जा सकती है।
36.	कालोनाइजर एक्ट के तहत शुल्क संग्रहण एवं अनुमति में जिला पंचायत की प्रभावी भूमिका निर्धारित की जाये।	मध्यप्रदेश ग्राम पंचायत कालोनी विकास नियम 2014 मध्यप्रदेश राजपत्र असाधारण क्रमांक 627 भोपाल दिनांक 24 दिसम्बर 2014 के नियम 2 परिभाषा (ग) "सक्षम प्राधिकारी" "जिन जिलों में नगर निगम है, उन जिलों के लिये जिले का कलेक्टर एवं अन्य जिलों हेतु उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) उनकी अधिकारिता के अंतर्गत कालोनी की अनुमति देंगे। नियम 12 आश्रय शुल्क - 1. जहां कि उस क्षेत्र का, जिस पर कालोनी विकसित की जा रही है, भूमि उपयोग, मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 के उपबंध के अधीन तैयार की गई लागू विकास योजना में इस प्रकार है कि आर्थिक रूप से

क्र.	जिला पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं जनपद पंचायत अध्यक्ष द्वारा पूछे गए प्रश्न	विभाग का अभिमत
		कमजोर वर्गों तथा निम्न आय समूहों के लिए विहित भूखण्ड का आकार अनुज्ञेय नहीं है, आश्रय शुल्क लागू होगा। (2) जहां कि कालोनी का विकास उस भूमि पर किया जा रहा है जो कि राज्य सरकार द्वारा कालोनाईजर को पट्टे पर दी गई है और पट्टे की शर्तों में निवास एककों का निर्माण करने या आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों और निम्न आय समूहों को भू-खण्ड उपलब्ध कराने की अनुज्ञा नहीं है, आश्रय शुल्क लागू होगा। नियम 14 अनुसार आश्रय शुल्क "जिला पंचायत की आश्रय निधि" में जमा किया जाएगा। उक्त राशि का उपयोग आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों तथा निम्न आय समूहों के लिए भू-खण्डों या मकान बनाने के लिए किया जाएगा। (आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों तथा निम्न आय समूहों के लिये - प्रत्येक के लिये 3 प्रतिशत) आश्रय शुल्क की इस राशि के उपयोग पर आपके सुझाव आमंत्रित हैं, ताकि उक्त राशि से गरीबों हेतु सुनियोजित ढंग से आवास निर्माण किये जा सके।
37.	आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का अतिरिक्त प्रभार एवं कुपोषण तथा अन्य कार्यक्रमों के शिविर जिला पंचायत के अनुमोदन से आयोजित किये जायें एवं अनुश्रवण समिति में चुने हुए जनप्रतिनिधियों को रखते हुए अध्यक्ष जनपद/जिला पंचायत अध्यक्ष को रखा जाये।	जनपद पंचायत तथा जिला पंचायत की महिला बाल विकास स्थायी समिति में उक्त विभाग के कार्यक्रमों की समीक्षा का प्रावधान है। कार्यक्रम तथा अन्य शिविर के संबंध में स्थानीय स्तर पर सामंजस्य बनाया जाकर जनपद/जिला प्रतिनिधियों को जानकारी उपलब्ध करवायी जाने के निर्देश दिये जा सकते हैं।
38.	योजनाओं अंतर्गत बैंकों से मिलने वाली ब्याज योजना निधि न मानकर पंचायत निधि मानी जाये तथा जिला पंचायत की निर्धारित कार्य योजना अनुसार व्यय की अनुमति दी जाये।	जिस योजना की जमा राशि पर ब्याज प्राप्त होता है, वह योजना की मार्गदर्शिका अनुसार योजना के कार्यों में व्यय करने का नियम है।
39.	समान वेतनमान - संविदा कर्मचारियों से लेकर चुने हुए क्रियाशील जनप्रतिनिधि/सरपंच जनपद अध्यक्ष जिला पंचायत अध्यक्ष का वेतन इतना होना चाहिए कि जीवन यापन सामान्य आवश्यकता की पूर्ति हो सके एवं व्यवस्था में भ्रष्टाचार को बढ़ावा न मिले।	वर्ष 2013 में ही सरपंच, पंच, जिला/जनपद अध्यक्षों, सदस्यों के मानदेय में वृद्धि निम्नानुसार की गई है :- 1. अध्यक्ष जिला पंचायत - रु. 11,100/- 2. उपाध्यक्ष जिला पंचायत - रु. 9,500/- 3. सदस्य जिला पंचायत - रु. 4,500/- 4. जनपद पंचायत अध्यक्ष - रु. 6,500/- 5. उपाध्यक्ष जनपद पंचायत - रु. 4,500/- 6. सदस्य जनपद पंचायत - रु. 1,500/- 7. सरपंच, ग्राम पंचायत - रु. 1,750/- 8. पंच रु. 100/- प्रति मासिक बैठक के मान से अधिकतम रु. 600/- वार्षिक। वेतन देने का कोई प्रावधान नहीं है।
40.	विहित प्राधिकारी - विहित अधिकारी, जनपद पंचायत, जिला पंचायत निर्वाचित व्यक्ति प्रभारी मंत्री को बनाया जाये।	प्रभारी मंत्री न्यायालय की परिभाषा में नहीं आते। केवल घोषित राजस्व न्यायालय को ही विहित प्राधिकारी घोषित है तथा उन्हें विधि अनुसार न्यायिक शक्तियां प्राप्त हैं।
41.	सुविधायें- जनपद एवं जिला पंचायत अध्यक्ष को एक कम्प्यूटर एवं शासकीय ऑपरेटर आवश्यक है।	मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत/मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत उक्त व्यवस्था सुनिश्चित करें।

प्रथम सत्र

मनरेगा

कार्यशाला में आयुक्त, मनरेगा श्रीमती स्मिता भारद्वाज द्वारा इलेक्ट्रानिक फण्ड मैनेजमेंट सिस्टम पर प्रस्तुतीकरण किया गया। आयुक्त ने यह भी अवगत कराया कि पूर्व में मनरेगा कार्यक्रम के संचालन में जो कठिनाईयां और समस्याएं उत्पन्न हुई थीं, उसे इलेक्ट्रानिक फंड मैनेजमेंट सिस्टम के माध्यम से सफलपूर्वक हल किया गया है। ग्राम पंचायतों में यदि हम ज्यादा से ज्यादा कम्प्यूटराईजेशन की ओर जायेंगे और इसे अपनायेंगे तो सभी को कार्य करने में सुगमता होगी और समस्या विहीन स्थिति निर्मित होने लगेगी।

इसी सत्र में संचालक समग्र श्री अजीत कुमार ने पॉवर पाईंट प्रस्तुतीकरण द्वारा बताया कि समग्र पोर्टल पर एक ही आवेदन देने से अन्य सभी सुविधाएं अपने-आप प्राप्त होंगी, इसके लिये अलग से आवेदन देने की आवश्यकता नहीं है, इस जानकारी से सभी को अवगत कराया जाना चाहिए। प्रथम सत्र में

पंचायत दर्पण

उप संचालक, पंचायत राज संचालनालय ने पंचायत दर्पण, पोर्टल तथा ग्राम पंचायतों में ई-भुगतान व्यवस्था पर प्रस्तुतिकरण दिया।

सुदृढ़ पंचायत राज व्यवस्था

श्रीमती शिवानी वर्मा, संयुक्त संचालक, पंचायत राज संचालनालय द्वारा सुदृढ़ पंचायत राज व्यवस्था पर प्रस्तुति दी गयी। इसमें मध्यप्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 77 - करारोपण की शक्तियां, धारा 92 - अभिलेख एवं वस्तुएं वापस कराने तथा धन वसूल करने की शक्ति, पंचायतों को स्वयं के आय स्त्रोत में वृद्धि के प्रयास, बकाया राशि का वसूली, पेसा अधिनियम के प्रावधानों की जानकारी, सामाजिक अंकेक्षण की विस्तृत रूपरेखा, निर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों के प्रशिक्षण पर विस्तृत रूप से आवश्यक दिशा-निर्देशों तथा जानकारियों से अवगत कराया गया।

मुख्यमंत्री आवास मिशन और इन्दिरा आवास मिशन

प्रमुख अभियंता ग्रामीण विकास एवं सड़क प्राधिकरण श्री एम.के. गुप्ता ने मुख्यमंत्री आवास मिशन की विशेषताओं और समन्वयक मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम श्री विभाष ठाकुर ने इंदिरा आवास योजना के प्रावधानों के बारे में जानकारी दी।

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) मध्यप्रदेश

संचालक, स्वच्छता मिशन श्रीमती हेमवती बर्मन ने स्वच्छ भारत अभियान के बारे में जन जागरूकता लाने और स्वच्छता कार्यक्रम के बेहतर अमल के बारे में बताया कि 2018 तक हमें खुले में शौच मुक्त मध्यप्रदेश करना है। श्रीमती बर्मन ने बताया कि स्वच्छ ग्राम स्वस्थ ग्राम के लिए सभी घरों में स्वच्छ शौचालय तथा साबुन से हाथ धोने की व्यवस्था सुनिश्चित हो, गांव में सीमेंट-कांक्रीट रोड के साथ नालियों का उपयोग हो, गंदे पानी के प्रबंधन की व्यवस्था हो,

परिचर्चा सत्र

परिचर्चा के निष्कर्ष :

कार्यशाला में परिचर्चा सत्र के दौरान नव निर्वाचित जिला पंचायत अध्यक्षों, उपाध्यक्षों तथा जनपद पंचायत अध्यक्षों द्वारा, ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, जिला पंचायत, जनपद पंचायत के सशक्तीकरण तथा कार्य संचालन को लेकर अनेक प्रश्न भी पूछे गये तथा सुझाव भी दिए। कार्य के क्रियान्वयन को लेकर उठे प्रश्नों, बिन्दुओं तथा सुझावों के आधार पर अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मध्यप्रदेश शासन डॉ. अरुणा शर्मा द्वारा निष्कर्ष निकाले गये। प्रस्तुत हैं कार्यशाला के निष्कर्ष तथा मुख्य अनुशंसाएं :-

अपर मुख्य सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, म.प्र. शासन डॉ. अरुणा शर्मा पंचायत प्रतिनिधियों द्वारा उठाए गये बिन्दुओं के निष्कर्ष देते हुए।

ग्राम सभा

1. ग्राम सभाओं में हितग्राहीमूलक योजनाओं में हितग्राही के चयन हेतु ग्राम सभा द्वारा चयनित एवं प्राथमिकता क्रम को परिवर्तित नहीं किया जाएगा। उक्त संबंध में निर्देश जारी किये जा रहे हैं। **(कार्यवाही-समस्त कार्यक्रम अधिकारी, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग)**

2. म.प्र. पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 06 - ग्राम सभा सम्मिलन अनुसार ग्राम सभा को कम से कम जनवरी, अप्रैल, जुलाई तथा अक्टूबर में ग्राम सभा का आयोजन करना अनिवार्य है किन्तु धारा 06-क अनुसार यदि सरपंच या ग्राम सभा के दस प्रतिशत से अधिक सदस्य या पचास सदस्य जो भी कम हो, ग्राम सभा का विशेष सम्मिलन बुलाया जा सकता है। **(कार्यवाही-आयुक्त, पंचायत राज संचालनालय)**

3. ग्राम सभा कार्यवाही की रिकार्डिंग करने हेतु मध्यप्रदेश शासन क्र. एफ/16-1/2011/22/पं-2 दिनांक 23.06.2015 अनुसार निर्देश जारी किये जाकर रिकार्डिंग की कार्यवाही की जा रही है।

4. प्रत्येक जिला पंचायत अध्यक्ष,

बच्चों के मल का सुरक्षित निपटान और स्वच्छ जल का उपयोग जरूरी है। उन्होंने स्वच्छ भारत मिशन के मुख्य घटक के तहत व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालय का निर्माण, सामुदायिक स्वच्छता परिसर, तरल एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और संचार तथा क्षमता वृद्धि के बारे में जानकारी दी। मध्यप्रदेश में स्वच्छ भारत मिशन की रणनीति को स्पष्ट करते हुए उन्होंने बताया कि प्राथमिकता के आधार पर ग्राम पंचायतों का चयन, वर्ष 2015-16 में निम्न श्रेणी की ग्राम पंचायतों को खुले में शौच की प्रथा से मुक्त कर स्वच्छ बनाना।

शौचालय निर्माण की दर 5 लाख प्रतिवर्ष से 18 लाख प्रतिवर्ष करना। स्वच्छ भारत मिशन में विकासखण्ड प्रेक्षक दल, स्वच्छता दूत, स्वसहायता समूह, समुदाय आधारित संगठनों और विभागों को सहभागी बनाना है। श्रीमती बर्मन ने स्वच्छता मिशन के तहत होने वाली गतिविधि के विभिन्न चरणों को भी स्पष्ट किया जिसमें ग्राम स्वच्छता स्थिति का आंकलन, खुले में शौच बंद करने के लिए सहमति निर्माण, परिवार स्तर पर संवाद और फॉलोअप, शौचालय का निर्माण और फॉलोअप, ग्राम का खुले में शौच मुक्त घोषित होना तथा सत्यापन और शौच मुक्त स्थिति की निरंतरता और ओ.डी.एफ. प्लस कार्य योजना का क्रियान्वयन शामिल है। उन्होंने जिला पंचायत अध्यक्षों, उपाध्यक्षों तथा जनपद पंचायत अध्यक्षों से अपेक्षा की कि इस कार्यक्रम को जन आंदोलन बनाने के लिए समुदाय और सभी भागीदारों से चर्चा करें, भ्रमण व नियमित बैठकें कर प्रेरित करे। खुले में शौच मुक्त ग्रामों के उत्सव या समारोहों में भाग लेकर मीडिया संवादों में स्वच्छता को प्राथमिकता प्रदान कर सकते हैं।

सदस्य, जनपद अध्यक्ष, सदस्य अपने क्षेत्र में आयोजित होने वाली ग्राम सभा की बैठकों में भाग लें। विकास कार्यों के लिए कार्ययोजना बनावें, तथा आवश्यकता अनुसार अपने प्रस्ताव/सुझाव ग्राम सभा में रखें। **(कार्यवाही - आयुक्त, पंचायत राज संचालनालय)**

5. अनुसूचित क्षेत्रों में धारा-129 ख (4) अनुसार ग्राम सभा के सम्मिलन की अध्यक्षता, सरपंच या उपसरपंच के अतिरिक्त ग्राम सभा के अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य द्वारा की जाने का प्रावधान है। तदनुरूप सामान्य क्षेत्रों में ग्राम सभा के सम्मिलन की अध्यक्षता ग्राम सभा किसी अन्य सदस्य द्वारा की जाने के प्रावधान पर विचार किया जावेगा। **(कार्यवाही-आयुक्त पंचायत राज संचालनालय)**

6. ग्रामीण क्षेत्र के मैदानी कर्मचारी, शिक्षक आदि यदि अपने कर्तव्य पर नियमित रूप से उपस्थित नहीं होते हैं, तो ग्राम सभा में उस पर विचार कर उस बाबत टीप अंकित कर प्रस्ताव वरिष्ठ कार्यालय को भेजा जा सकेगा, जिससे संबंधित विभाग आवश्यक कार्यवाही कर सकें।

7. सभी विभागों द्वारा संचालित शासकीय योजनाओं के सामाजिक अंकेक्षण की व्यवस्था का प्रावधान किया जावेगा। **(कार्यवाही-समस्त कार्यक्रम अधिकारी, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग)**

8. ग्राम सभा सम्मिलन का कार्यवाही विवरण स्केन पर पंचायत दर्पण पोर्टल पर अपलोड किया जावेगा। **(कार्यवाही-आयुक्त पंचायत राज संचालनालय)**

9. ग्राम पंचायत/जनपद पंचायत/जिला पंचायत में स्थानीय निधि संपरीक्षा, सी.ए. द्वारा वित्तीय अंकेक्षण अनुवर्ती अंकेक्षण करवाया जा रहा है। ग्राम सभाओं में सामाजिक अंकेक्षण करवाया जा रहा है। उपरोक्त व्यवस्था को सुदृढ़ किया जावेगा। **(कार्यवाही-आयुक्त पंचायत राज संचालनालय)**

10. ग्राम सभा की अध्यक्षता सरपंच के अलावा अन्य से अध्यक्षता करने पर धारा 6 में संशोधन पर विचार किया जावेगा। **(कार्यवाही-आयुक्त पंचायत राज संचालनालय)**

11. ग्राम सभा का अनुश्रवण-ग्राम सभा का पर्यवेक्षण पी.सी.ओ. एवं ए.डी.ई.ओ. द्वारा किया जावेगा। यह समय सीमा में होना अनिवार्य होगा। **(कार्यवाही-आयुक्त पंचायत राज संचालनालय)**

ग्राम पंचायत

1. 14वें वित्त आयोग की राशि पूरी तरह ग्राम पंचायत को जाएगी जो 13वें वित्त आयोग से तीन गुना रहेगी। अतः राज्य वित्त आयोगी की राशि बड़े विकास कार्यों के लिये जिला पंचायत एवं जनपद पंचायत को दी जाए। इस संबंध में राज्य वित्त आयोग को प्रस्ताव भेजे गए हैं। राज्य को सामाजिक अंकेक्षण एवं वित्तीय अंकेक्षण सभी पंचायत को विभिन्न स्त्रोत से प्राप्त राशि करने हेतु रहेगा। **(कार्यवाही-आयुक्त पंचायत राज संचालनालय)**

2. प्रत्येक ग्राम पंचायत की पांच वर्षीय कार्ययोजना बनायी जाने हेतु निर्देश प्रसारित किये जाएंगे। **(कार्यवाही-आयुक्त पंचायत राज संचालनालय)**

3. पंचायतों को आर्थिक रूप से सशक्त करने हेतु कराधान/करारोपण में जो प्रावधान किये गये हैं, उस अनुरूप कर वसूली पंचायतें अनिवार्यतः करें। पंचायतें अपने स्वयं के आय स्त्रोत सृजित कर आय प्राप्ति के प्रयास करें। **(कार्यवाही-आयुक्त पंचायत राज संचालनालय)**

4. स्मार्ट ग्राम पंचायत हेतु कार्य योजना बनाई जा रही है। समस्त जनप्रतिनिधियों द्वारा अपने-अपने क्षेत्र में स्मार्ट ग्राम पंचायत के क्रियान्वयन हेतु भागीदारी सुनिश्चित करनी होगी। **(कार्यवाही-आयुक्त पंचायत राज संचालनालय)**

5. स्मार्ट पंचायत के कार्य को विस्तृत चरणबद्ध कार्यक्रम बनाकर कार्य लिये जाने है। **(कार्यवाही-आयुक्त पंचायत राज संचालनालय)**

6. स्मार्ट ग्राम की ओर अग्रसर करने का संकल्प लिया। इसके चारों घटक अधोसंरचना, सामाजिक सुरक्षा, रोजगार तथा उत्तरदायित्व की ओर योजनाबद्ध तरीके से बढ़ेंगे। सभी योजनाओं को समग्र रूप से लिया जावेगा। **(कार्यवाही-आयुक्त पंचायत राज संचालनालय)**

7. सचिव को सचिवीय अधिकार एक बार देने के बाद निरंतर रहेंगे स्थानांतरण की स्थिति में पुनः सचिवीय अधिकार देने की आवश्यकता नहीं होगी जहां पद रिक्त हैं वहां पर ग्राम रोजगार सहायक को सचिवीय अधिकार दिये जायेंगे। **(कार्यवाही-आयुक्त पंचायत राज संचालनालय)**

8. सचिव के कार्यों की मॉनीटरिंग जनपद या जिले से की जानी है।

9. अविवादित नामांतरण का

अधिकार पंचायत को देने की मांग की गई राजस्व विभाग को प्रस्ताव भेजा जावेगा किन्तु पंचायतें अतिक्रमण हटाने की जिम्मेदारी भी लें। **(कार्यवाही-आयुक्त पंचायत राज संचालनालय, प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग)**

10. भण्डार क्रय-नियम अनुसार क्रय की जाने वाली सामग्री में गुणवत्ता नियंत्रण स्थापित किया जावेगा। **(कार्यवाही-समस्त कार्यक्रम प्रभारी अधिकारी एवं ग्रामीण विकास विभाग)**

जिला पंचायत/ जनपद पंचायत

1. 14वें वित्त आयोग की समस्त राशि ग्राम पंचायतों को उपलब्ध करवाई जावेगी। परफॉरमेंस ग्रांट की राशि भी ग्राम पंचायतों को उपलब्ध करवाई जायेगी। राज्य वित्त आयोग की राशि जिला पंचायतों/जनपद पंचायतों को दिये जाने पर प्रस्ताव राज्य शासन द्वारा राज्य वित्त आयोग को भेजा जाएगा। **(कार्यवाही-आयुक्त पंचायत राज संचालनालय)**

2. जनपद पंचायतों/जिला पंचायतों में स्थाई समितियों का गठन किया गया है, समस्त स्थाई समितियां उनके सौंपे गये विषयों के अनुसार विकास कार्यों की समीक्षा करने, कार्य योजना बनाने की समीक्षा निरंतर करें। इस हेतु समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को निर्देश जारी किये जायेंगे। **(कार्यवाही-आयुक्त पंचायत राज संचालनालय)**

3. जिला पंचायत/जनपद पंचायतों के समस्त प्रतिनिधियों का यह दायित्व है कि समग्र के तहत संधारित डाटा सही रहे, प्रत्येक सदस्य अपने-अपने दायित्व सत्रों में इसकी मॉनीटरिंग करें। **(कार्यवाही-संचालक समग्र)**

4. स्वच्छता मिशन कार्यक्रम के तहत प्रत्येक सदस्य की जिम्मेदारी है कि वे अपने-अपने क्षेत्र में ग्रामों को शौच मुक्त रखने के अभियान में पूर्ण सहयोग दें एवं स्वच्छता कार्यक्रम में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। **(कार्यवाही-राज्य समन्वयक, स्वच्छ भारत अभियान)**

5. जिला एवं जनपद को अधिकार के साथ कर्तव्यों की भी पूर्ति करने का संकल्प लिया गया।

6. महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण है तो सक्षम तौर पर उत्कृष्ट कार्य करें तथा 50 प्रतिशत पुरुषों को सक्षम चुनौती दें। सभी को प्रशिक्षण समय समय पर दिया जावेगा। **(कार्यवाही-आयुक्त पंचायत राज संचालनालय)**

7. जनपद एवं जिला पंचायत अध्यक्ष को अनुश्रवण के अधिकार हेतु विस्तृत दिशा निर्देश जारी किये जायेंगे जिससे सशक्त बनते हुए क्रियान्वयन करें। **(कार्यवाही-समस्त कार्यक्रम अधिकारी, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग)**

8. सभी पंचायत के कार्य जो पंचायत के माध्यम से किये जाते हैं उन्हें पंचायत दर्पण के माध्यम से राशि देना एवं अनुश्रवण अनिवार्य होगा। **(कार्यवाही- आयुक्त, पंचायत राज संचालनालय)**

9. जिला पंचायत के कम से कम खाते रखने का संकल्प लिया जाये। जिस तरह ग्राम पंचायत में एक खाता कर दिया है उसी तरह जनपद एवं जिले के खाते भी सीमित किये जायें। इस संबंध में राज्य शासन द्वारा निर्देश जारी किये जाएंगे। **(कार्यवाही- समस्त कार्यक्रम अधिकारी, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग)**

10. भण्डार क्रय नियम तथा अन्य वित्तीय नियमों का उल्लंघन तो नहीं हो रहा है इसका सी.ए. से मासिक ऑडिट कराया जा रहा है जिससे वहीं सुधार हो सकेगा। अनियमितता पर शासकीय कर्मचारी का भी पदाधिकारी के साथ उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाता है। **(कार्यवाही- आयुक्त, पंचायत राज संचालनालय)**

11. बैठकों की तिथि भी निश्चित कर दी जाएगी। धारा 44 में प्रति माह बैठक हो तथा एजेण्डा एवं कार्यवाही विवरण का पालन प्रतिवेदन पोर्टल पर दर्ज होगा। **(कार्यवाही-आयुक्त, पंचायत राज संचालनालय)**

12. दो ग्राम पंचायतों का विस्तृत निरीक्षण जन प्रतिनिधि भी करें इस संबंध में DEO, CEO जनपद, CEO जिला पंचायत, कलेक्टर, SDO सभी को निरीक्षण करने के अधिकार हैं।

13. जनपद पंचायत में जिला पंचायत सदस्य को मनोनीत किये जाने पर विचार कर निर्णय लिया जाएगा।

14. 7 (सात) स्थायी समितियों की बैठक प्रत्येक माह में एक बार होना अनिवार्य रहेगा। इस हेतु सप्ताह निर्धारित रहेंगे।

15. पी.सी.ओ. राज्य केडर है अतएव स्थानांतरण राज्य स्तर से ही किये जायेंगे। **(कार्यवाही- आयुक्त, पंचायत राज संचालनालय)**

16. प्रोटोकॉल में जिला पंचायत अध्यक्ष की स्थिति को लेकर सामान्य प्रशासन विभाग को प्रस्ताव भेजा जावेगा। **(कार्यवाही- आयुक्त, पंचायत राज संचालनालय, प्रमुख सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, प्रमुख सचिव, गृह विभाग)**

17. मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम का अनुश्रवण महिला पंचायत प्रतिनिधियों द्वारा भी किया जावेगा। **(कार्यवाही- समन्वयक मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम)**

18. कराधान पंचायत अधिनियम

अनुसार होगा। करों को जिलों में देने के लिये भारत सरकार के निर्देशानुसार नियम बनाये जा रहे हैं। आश्रय शुल्क जिले के खाते में देने हेतु विस्तृत नियम बनाए जा रहे हैं। **(कार्यवाही- आयुक्त, पंचायत राज संचालनालय)**

19. जिला पंचायत अध्यक्ष/उपाध्यक्ष तथा जनपद पंचायत अध्यक्ष के लिये कम्प्यूटर की व्यवस्था संबंधित मुख्य कार्यपालन अधिकारी करेंगे तथा आवश्यकतानुसार डाटा एंट्री ऑपरेटर की व्यवस्था भी करेंगे। **(कार्यवाही- आयुक्त, पंचायत राज संचालनालय)**

20. म.प्र. जिला पंचायत (लेखा) नियम 1999 तथा म.प्र. जनपद पंचायत (लेखा) नियम, 1999 का प्रावधान म.प्र. पंचायत राज अधिनियम 1993 में किया गया है।

21. जिला पंचायत/जनपद पंचायतें इन नियमों के तहत अपने लेखा संधारण करती हैं।

22. जिला पंचायत स्तर पर तथा जनपद पंचायत स्तर पर ग्राम पंचायतों की तरह कम से कम बैंक खाते रखने पर कार्यवाही की जा रही है, जिससे वित्तीय नियंत्रण रहे।

23. मनरेगा योजना के तहत EFMS प्रणाली लागू कर ऑनलाइन भुगतान व्यवस्था लागू की गयी है। इसी प्रकार पंच परमेश्वर योजना/14वें वित्त आयोग की राशियों की भी ऑनलाइन भुगतान की व्यवस्था की जा रही है। जिसके लिये प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक खाता ही रखे जाने का प्रावधान किया गया है।

24. ग्राम पंचायतों द्वारा चैक भुगतान तथा नगद भुगतान पर रोक लगायी जाकर FTO System लागू किया जा रहा है। जिस हेतु प्रत्येक जनपद स्तर पर प्रशिक्षण कार्यक्रम शीघ्र प्रारंभ किये जा रहे हैं।

25. वित्तीय नियंत्रण हेतु कॉन्करेंट ऑडिट की व्यवस्था पंचायतों में लागू की गयी है। सी.ए. फर्म्स पंचायतों का ऑडिट कर प्रतिवेदन पंचायत दर्पण पोर्टल पर अपलोड करेंगे।

26. अध्यक्ष, जिला/जनपद पंचायत के लिये किराये पर वाहन लिये जाने के निर्देश मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के आदेश क्रमांक एफ-3-10/2006/22/पं-1 दिनांक 04 दिसम्बर 2010 द्वारा जारी किये गये हैं। मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय भोपाल के परिपत्र क्रमांक एफ-3-3/2008/22/पं.-1 दिनांक 17 अगस्त 2010 द्वारा जिला/जनपद पंचायतों के लिये किराये पर वाहन लिये जाने की अधिकतम राशि रुपये 18000/- (रु. अठारह हजार मात्र) प्रतिमाह निर्धारित की गई है। मध्यप्रदेश जिला पंचायत सदस्य (यात्रा भत्ता तथा अन्य भत्ते) नियम 1995 पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग भोपाल दिनांक 14 अगस्त 1995 के नियम 5 के प्रावधान अनुसार जिला पंचायत अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, जनपद पंचायत अध्यक्ष को स्वयं के वाहन द्वारा दौरा अनुज्ञेय नहीं होगा का प्रावधान लागू है। नियम 6 की कंडिका 2 अनुसार संभागीय आयुक्त की लिखित अनुज्ञा के बिना कोई वाहन संबंधित पंचायत की अधिकारिता के बाहर नहीं ले जाया जायेगा।

अध्यक्ष जिला पंचायतों/अध्यक्ष जनपद पंचायतों को शासकीय अधिकारी/कर्मचारी की भांति स्वयं के वाहन उपयोग करने की अनुमति दिये जाने के लिये मध्यप्रदेश जिला पंचायत सदस्य (यात्रा भत्ता तथा अन्य भत्ते) नियम 1995 में संशोधन कर विचार कर निर्णय लिया जाना होगा।

27. उपाध्यक्ष को मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के आदेश क्रमांक एफ-3-3/22/08/पं-1, दिनांक 27 फरवरी 2013 द्वारा पंचायत राज संस्थाओं के माध्यम से संचालित योजनाओं के क्रियान्वयन, निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण हेतु क्षेत्र भ्रमण के लिये निम्नलिखित शर्तों के अधीन लक्झरी वाहन छोड़कर किराये का वाहन उपलब्ध कराने के निर्देश हैं :-

1. वाहन माह में एक सप्ताह के लिये उपलब्ध कराया जावेगा.
2. वाहन का एक सप्ताह का किराया रु. 4500/- तक सीमित रहेगा।
3. वाहन के लिये ईंधन के उपयोग की सीमा 50 लीटर डीजल तक सीमित रहेगी।
4. वाहन का उपयोग जिला पंचायत की सीमाओं के भीतर किया जावेगा।
5. वाहन किराये की राशि गौण खनिज मद अंतर्गत प्राप्त होने वाली राशि पर भारित होगी।

28. वर्ष 2013 में ही मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा वित्त विभाग की स्वीकृति से पंच, सरपंच, जिला/जनपद सदस्यों, अध्यक्षों के मानदेय में वृद्धि की गयी है। इनके मानदेय में पुनः वृद्धि किये जाने पर विचार करने हेतु आमदनी के स्त्रोत बढ़ाने की स्थिति में वित्त विभाग को प्रस्ताव भेजा जा सकता है।

आभार : नव निर्वाचित जिला पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा जनपद पंचायत अध्यक्षों की एक दिवसीय कार्यशाला के समापन अवसर पर आभार प्रदर्शन जिला पंचायत अध्यक्ष रीवा श्री अभय कुमार मिश्रा तथा संचालन श्रीमती रंजना चितले द्वारा किया गया।

ctxk dk lEEkku vkj lj{kk gekjh ftEenkjh

पंचायत एवं ग्रामीण विकास तथा सामाजिक न्याय मंत्री श्री गोपाल भार्गव ने मध्यप्रदेश राज्य वरिष्ठ कल्याण आयोग द्वारा भोपाल में 21 जुलाई को आयोजित कार्यशाला में कहा कि वर्तमान समय में जब परिवारों में बिखराव और विघटन की घटनाएँ दिन-प्रतिदिन बढ़ रही हैं, ऐसे समय में बुजुर्गों का मार्गदर्शन ही समाज और राष्ट्र को सही दिशा प्रदान कर सकता है। ‘बुजुर्गों के प्रति सामाजिक सरोकार में संस्थाओं की भूमिका’ विषय पर सम्पन्न कार्यशाला में उन्होंने कहा कि बुजुर्गों का सम्मान और सुरक्षा का दायित्व समाज का है। युवा पीढ़ी को भी इस बारे में जागरूक किया जाना आवश्यक है। श्री भार्गव ने कहा कि राज्य शासन ने इसी उद्देश्य से मुख्यमंत्री तीर्थ-दर्शन योजना की शुरुआत की है। इस योजना को सारे देश में सराहा गया है। मध्यप्रदेश पहला राज्य है, जहाँ वरिष्ठजन कल्याण के लिये आयोग का गठन किया गया है। उन्होंने कहा कि विभिन्न देशों में लागू सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का अध्ययन कर उन्हें लागू करने की दिशा में प्रयास किये जाना चाहिये।

मध्यप्रदेश राज्य वरिष्ठ कल्याण आयोग की इस कार्यशाला को पूर्व मुख्यमंत्री श्री कैलाश जोशी ने भी संबोधित किया। शुभारंभ सत्र में उन्होंने कहा कि वरिष्ठजन के ज्ञान, शिक्षा और अनुभव का लाभ समाज को मिले, यह जरूरी है। मौजूदा समय में समाज में आयी विकृतियों और गिरावट की रोकथाम में बुजुर्ग महती भूमिका निभा सकते हैं। श्री जोशी ने वरिष्ठजन कल्याण के क्षेत्र में बेहतर काम कर रही संस्थाओं के आपसी संवाद और उन्हें प्रेरित करने के उद्देश्य से आयोग द्वारा किये जा रहे कार्यों को भी सराहा। कार्यशाला में संचालक समग्र सामाजिक सुरक्षा मिशन श्री अजीत कुमार भी मौजूद थे। आयोग के अध्यक्ष श्री व्ही.जी. धर्माधिकारी ने बताया कि देश की मौजूदा 127 करोड़ आबादी में से बुजुर्ग करीब दस फीसदी है। प्रदेश के आदिवासी बहुल जिलों में यह संख्या 5 फीसदी है। उन्होंने प्रदेश के आदिवासी बहुल जिलों में बुजुर्गों की कम संख्या पर चिंता जताते हुए उनके स्वास्थ्य कल्याण और कार्यक्रमों को बेहतर तरीके से लागू करने की जरूरत बतायी।

श्री धर्माधिकारी ने बताया कि आयोग ने वरिष्ठजन के हित में 488 अनुशंसाएँ की हैं। विभिन्न वरिष्ठजन के हित में शासकीय विभाग द्वारा 80 से अधिक आदेश जारी किये गये हैं। उन्होंने कहा कि वरिष्ठजन की समस्याओं का समाधान सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, वरन् समाज को भी इन दायित्वों में भागीदारी निभाना होगी। उन्होंने बताया कि वरिष्ठजन के प्रति सामाजिक सरोकार में संस्थाओं की भूमिका को और बेहतर बनाया जाने के मकसद से देश में इस विषय पर यह पहला आयोजन है। आयोग के सदस्य श्री एस.के. सारस्वत तथा श्री दौलतराम पटेल, आयुक्त निःशक्तजन कल्याण श्री बलदीप सिंह मैनी, पत्रकार श्री विजय कुमार दास और विभिन्न सामाजिक संस्थान के पदाधिकारियों ने भी संबोधित किया। विभिन्न विषय पर 6 समूह चर्चाएं हुईं। इन समूहों द्वारा अनुशंसाओं का प्रस्तुतीकरण भी किया गया। कार्यशाला में हेल्प एज इण्डिया सहित विभिन्न सामाजिक संस्थाओं ने अपने वरिष्ठजन कल्याण कार्यक्रमों को भी साझा किया। आयोग के उपाध्यक्ष श्री नानकराम वाधवानी तथा सदस्य सर्वश्री बद्रीलाल पाटीदार, गोपाल कृष्ण गोदानी भी उपस्थित थे।

● **देवेन्द्र जोशी**

प्रधानमंत्री ने मन की बात में सराहा

हरदा के ऑपरेशन मल युद्ध को

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने स्वच्छ भारत अभियान में मध्यप्रदेश के हरदा जिले में चल रहे नवाचार 'आपरेशन मल युद्ध' और 'ब्रदर नम्बर वन' अभियान की खुले मन से प्रशंसा की है। 26 जुलाई को आकाशवाणी से 'मन की बात' कार्यक्रम में देशवासियों को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने हरदा जिले के अधिकारियों को खुले में शौच जाने की प्रथा को रोकने की इस अभिनव पहल के लिये बधाई दी है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि मध्यप्रदेश के हरदा ज़िले के सरकारी अधिकारियों की पूरी टीम ने एक ऐसा काम शुरू किया जो मेरे मन को छू गया और मुझे बहुत पसंद है। श्री मोदी ने कहा कि 'हरदा ने स्वच्छ भारत अभियान को नया मोड़ दिया है और पूरे ज़िले में एक अभियान चलाया है 'ब्रदर नम्बर वन' यानि वो सबसे उत्तम भाई जो अपनी बहन को रक्षाबंधन पर एक टायलेट बनाकर भेंट करे।' प्रधानमंत्री ने कहा कि 'उन्होंने बीड़ा उठाया है कि ऐसे सभी भाइयों को प्रेरित करके उनकी बहनों को टायलेट देंगे ताकि पूरे ज़िले में खुले में कहीं माताओं-बहनों को शौच न जाना पड़े। यह काम रक्षा-बंधन के पर्व पर वो कर रहे हैं। देखिये रक्षा-बंधन का अर्थ कैसा बदल गया। मैं हरदा जिले के सरकारी अधिकारियों की पूरी टीम को बहुत-बहुत बधाई देता हूँ।' उल्लेखनीय है कि हरदा जिले में वर्ष 2014-15 में 9000 शौचालय निर्माण के विरुद्ध 5862 शौचालयों का निर्माण किया गया। साथ ही 24 ग्राम पंचायतों के गाँव खुले में शौच जाने की प्रथा से मुक्त हो गये हैं। वर्ष 2015-16 में 18 हजार 686 शौचालयों के विरुद्ध अब तक 1976 शौचालय बन गये हैं। करीब 4000 का निर्माण चल रहा है। इस प्रकार 15 ग्राम पंचायतों में 30 गांव खुले में शौच जाने से मुक्त हो गये हैं।

क्या है आपरेशन मल युद्ध?

हरदा जिले ने स्वच्छ भारत अभियान में अगले साल तक खुले में शौच मुक्त कर इस कुप्रथा को समाप्त करने का संकल्प लिया गया है। इसे आपरेशन मल युद्ध का नाम दिया गया। इस आपरेशन को मई 2014 में शुरू किया गया था। स्वच्छता के लिये अस्वच्छता से लड़ने के लिये समाज के बीच से कमाण्डो तैयार किये गये। ग्राम पंचायतों के सरपंच, सचिव, जन-प्रतिनिधियों और स्वैच्छिक संस्थाओं के लोगों, जुझारू अधिकारियों, कर्मचारियों एवं प्रेरकों को शामिल किया गया।

कैसे काम करते हैं कमांडो?

इन चयनित कमाण्डो को प्रशिक्षण देकर टोलियाँ तैयार की गईं और उन्हें सायंकाल चिन्हित ग्रामों में भेजा गया। प्रशिक्षित कमाण्डो द्वारा ग्राम में जहाँ पर ग्रामीण खुले में शौच करने जाते हैं उसी स्थान पर ग्रामीणों से चर्चाएँ की गयीं एवं तथा खुले में शौच बंद करने की समझाईश दी गई। ग्रामीणों को प्रेरित करने के लिये कमाण्डो ने ग्रामीणों के मल पर मिट्टी या राख भी डाली। कई ग्रामीणों द्वारा भी स्वयं के मल पर मिट्टी या राख डाली गई। ग्रामों में कमाण्डो की टोली पहुँचकर सायंकाल एवं प्रातः स्वच्छता के परिपेक्ष्य में समुदाय बैठक के माध्यम से चर्चा के दौरान ग्राम के इच्छुक ऊर्जावान एवं स्वैच्छिक रूप से समर्पित सदस्यों की टीम बनाई गई। यह टीम 'ग्राम स्तरीय निगरानी समिति' के नाम से संचालित है। टीम द्वारा आने वाले समय में गाँव के लोगों को खुले में शौच न करने तथा शौचालय का उपयोग करने के लिये प्रेरित किया जायेगा। टीम में स्थानीय महिलाओं को भी शामिल किया गया है।

क्या है ब्रदर नं.-1 - पहल?

यह पहल सभी भाइयों से नं.-1 बनने के लिये की गई है। बहनों को भाई रक्षा-बंधन पर कई उपहार देते हैं लेकिन हरदा जिले में भाइयों के बीच अनोखी प्रतियोगिता आयोजित की गई है। इसमें जो भाई अपने बहन के मान-सम्मान के लिये शौचालय बनाकर देगा वह उत्तम भाई कहलायेगा। इसके लिये 15 जुलाई से 15 अगस्त तक जिला पंचायत, जनपद पंचायत में सभी भाई अपनी बहनों को शौचालय देने के लिये आवेदन करेंगे।

यह प्रतियोगिता शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के लिये रखी गई है। सबसे सुंदर और स्वच्छ शौचालय बनाने वाले भाइयों को जिला स्तरीय कार्यक्रम में सम्मानित किया जायेगा। आवेदन शुल्क पाँच रुपये रखा गया है। आवेदन-पत्र में वार्ड, मोहल्ले और नगर पंचायत की जानकारी, गाँव और मोहल्ले का नाम, शौचालय बनाने में कितनी राशि लगी और जाँच दलों के द्वारा सत्यापन रिपोर्ट का विवरण आदि शामिल है।

मध्यप्रदेश को मिला

गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकार्ड सर्टिफिकेट

विश्व हाथ धुलाई दिवस 15 अक्टूबर 2014 को बने विश्व कीर्तिमान का सर्टिफिकेट गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकार्ड द्वारा मध्यप्रदेश को दे दिया गया है। अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास श्रीमती अरुणा शर्मा तथा स्वच्छ भारत मिशन, मध्यप्रदेश के दल ने 24 जुलाई 2015 को यह प्रमाण-पत्र प्राप्त किया। राज्य कार्यक्रम अधिकारी, राज्य जल एवं स्वच्छ मिशन श्रीमती हेमवती बर्मन भी इस अवसर पर उपस्थित थीं।

गिनीज वर्ल्ड रिकार्ड के अनुसार विश्व हाथ धुलाई दिवस पर मध्यप्रदेश में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा 51 जिलों में 13 हजार 196 अलग-अलग स्थानों पर हाथ धुलाई कार्यक्रम में एक ही समय में एक साथ 12 लाख 76 हजार 425 विद्यार्थियों ने भागीदारी कर नया विश्व कीर्तिमान स्थापित किया। इससे पहले हाथ धुलाई का विश्व रिकार्ड अर्जेन्टीना, पेरू और मेक्सिको के नाम पर दर्ज था। इन तीन देशों में गत 14 अक्टूबर 2011 को अलग-अलग स्थानों पर एक साथ 7 लाख 40 हजार 870 लोगों ने हाथ धोकर विश्व कीर्तिमान स्थापित किया था। मध्यप्रदेश ने इस कीर्तिमान को पीछे छोड़ते हुए 15 अक्टूबर 2014 को एक साथ हाथ धुलाई का नया विश्व कीर्तिमान रचा। विधिवत सत्यापन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद नये विश्व कीर्तिमान को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकार्ड में दर्ज किया गया है। मध्यप्रदेश को नया विश्व कीर्तिमान रचने की गौरवपूर्ण उपलब्धि का प्रमाण पत्र गिनीज वर्ल्ड रिकार्ड्स द्वारा भेजा गया है।

स्वच्छता के बारे में जागरूकता लाने के मकसद से साबुन से हाथ धुलाई का कार्यक्रम हुआ था। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकार्ड के सत्यापन के लिये विशेष रूप से चयनित प्रदेश के 19 हजार 735 स्कूल में वीडियो केमरों तथा मोबाइल फोन द्वारा वीडियोग्राफी की गयी थी। इस आयोजन में भागीदार सभी बच्चों के नाम सहित प्रमाणित विवरण और स्कूलवार अनकट वीडियोग्राफी गिनीज बुक की ओर विधिवत प्रक्रिया द्वारा भेजी गई थी। गिनीज बुक द्वारा प्रमाणित विवरण के आधार पर विश्व हाथ धुलाई के नये विश्व कीर्तिमान को मान्यता प्रदान कर प्रमाण-पत्र भेजा गया है।

उल्लेखनीय है कि भावी पीढ़ी को स्वच्छता शिक्षा देने और नागरिकों को स्वच्छता अभियान से जुड़ने के लिये प्रेरित करने के उद्देश्य से मध्यप्रदेश में यह अनूठा आयोजन हुआ था। इस राज्यव्यापी कार्यक्रम को सफल बनाने के लिये प्रदेश में व्यापक तैयारियाँ की गई थीं। स्कूल शिक्षा तथा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के साथ ही सभी नगरीय एवं ग्रामीण निकायों ने इसमें व्यापक भागीदारी निभाई। राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन, ब्रिटिश सरकार के अंतर्राष्ट्रीय विकास विभाग (डीएफआईडी) में कार्यरत संस्था एम.पी.टास्ट की वॉश परियोजना तथा वाटर एड सहित विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाओं ने भी इसमें सक्रिय भागीदारी की थी।

मनरेगा कन्वर्जेंस से होंगे जल संरक्षण के कार्य

मध्यप्रदेश के 97 विकासखंडों में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना

वर्षा आधारित कृषि क्षेत्रों में सिंचाई सुविधा के विस्तार और कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिये प्रधानमंत्री सिंचाई योजना में मध्यप्रदेश के 44 जिलों के 97 विकासखंडों को शामिल किया गया है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री गोपाल भार्गव ने बताया कि भारत सरकार की इस योजना में मनरेगा और जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन कार्यक्रम के कन्वर्जेंस से जल संरक्षण के कार्य किये जायेंगे। प्रदेश में कृषि को लाभ का व्यवसाय और किसानों के आर्थिक उत्थान के प्रयासों को सफल बनाने में इस योजना से व्यापक मदद मिलेगी।

अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास श्रीमती अरुणा शर्मा ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना कार्यों के प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश मैदानी अमले को दिये हैं। उन्होंने जल संवर्धन, जल वितरण, भू-जल दोहन की कार्य-योजना तैयार कर उसे लागू करने को कहा है। जल संरक्षण तथा भू-जल संवर्धन के कामों में कंटूर ट्रेंच, गली प्लग, बोल्डर स्ट्रक्चर, स्टोन बंड, गेबियन संरचना, फीडर चेनल के कार्य होंगे।

जल संरक्षण के उद्देश्य से परकोलेशन तालाब, नदी, नालों पर मिट्टी तथा बोल्डर के बंधान, स्टाप और चेक डेम, एनीकट, तालाब, मेढ़ बंधान, खेत तालाब, खेत रिचार्ज पिट, कुआं रिचार्ज, भूमिगत डाइक, पुरानी जल संग्रहण संरचनाओं का सुधार, जीर्णोद्धार और गाद निकालने के कार्य करवाये जायेंगे। इसी प्रकार जल वितरण एवं भू-जल दोहन के लिये कुआं और नहर निर्माण, नहरों की लाइनिंग, जल वितरण प्रणाली, उद्वहन सिंचाई जैसे कार्य करवाये जायेंगे। इसके अलावा क्षेत्र की आवश्यकताओं के अनुरूप सिंचाई और जल संरक्षण से जुड़े अन्य उपयोगी कार्य भी हो सकेंगे।

प्रदेश के 44 जिलों के चयनित 97 विकासखंडों में आगर-मालवा जिले का

वर्षा आधारित कृषि क्षेत्रों में सिंचाई सुविधा के विस्तार और कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिये प्रधानमंत्री सिंचाई योजना में मध्यप्रदेश के 44 जिलों के 97 विकासखंडों को शामिल किया गया है। भारत सरकार की इस योजना में मनरेगा और जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन कार्यक्रम के कन्वर्जेंस से जल संरक्षण के कार्य किये जायेंगे। प्रदेश में कृषि को लाभ का व्यवसाय और किसानों के आर्थिक उत्थान के प्रयासों को सफल बनाने में इस योजना से व्यापक मदद मिलेगी।

विकासखण्ड नलखेड़ा, अलीराजपुर जिले का सोण्डवा, अनूपपुर जिले का पुष्पराजगढ़ तथा अशोकनगर जिले का मुंगावली विकासखण्ड शामिल है। इसी तरह बालाघाट जिले का बैहर और बिरसा, बड़वानी का निवली, राजपुर, सेंधवा तथा ठीकरी, बैतूल का आठनेर, बैतूल, भैंसदेही, भीमपुर, चिचौली तथा शाहपुर विकासखण्ड, भोपाल का बैरसिया, बुरहानपुर का खकनार, छतरपुर का बड़ामलहरा, बिजावर, बक्सवाहा तथा राजनगर, छिन्दवाड़ा का बिछुआ, हर्रई, तामिया, दमोह का जबेरा और पटेरा, दतिया जिले का सेवढ़ा, देवास जिले का बागली और कन्नोद, धार जिले का धरमपुरी, गंधवानी, सरदारपुर तथा उमरवन, डिण्डौरी का डिण्डौरी, गुना का बमोरी तथा चाचौड़ा, ग्वालियर का भितरवार और होशंगाबाद जिले का केसला विकासखण्ड इस योजना में शामिल किया गया है। इसके अलावा जबलपुर जिले का कुन्डम, झाबुआ का मेघनगर, पेटलावद, राना, थांदला, कटनी का बड़वारा, खण्डवा का छेगांव, खालवा, पंधाना, खरगोन का भगवानपुरा, भीकनगाँव, कसरावद, सेगांव तथा झिरन्या, मण्डला का बीजाडान्डी तथा नारायणगंज, मंदसौर का सीतामऊ, नीमच का मनासा, पन्ना का अजयगढ़, गुन्नौर, पन्ना, पवई तथा शाहनगर, रायसेन का सिलवानी, राजगढ़ जिले का खिलचीपुर तथा राजगढ़ और रतलाम का बाजना विकासखंड इस योजना में शामिल है।

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में मनरेगा और जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन कार्यक्रम में जो विकासखंड लाभांवित होंगे, उनमें रीवा जिले का हनुमना, सागर का बंडा, जैसीनगर, केसली, रहली तथा शाहगढ़, सीहोर का इछावर, सिवनी का छपारा तथा लखनादोन, शहडोल का ब्यौहारी, बुढ़ार, गोहपारु, श्योपुर का कराहल, शिवपुरी का खनियाधाना, कोलारस तथा नरवर, सीधी का मंझौली, रामपुर नैकिन, सीधी, सिंगरौली का चितरंगी तथा देवसर, टीकमगढ़ का बल्देवगढ़, जतारा, निवाड़ी, पलेरा, पृथ्वीपुर तथा टीकमगढ़, उज्जैन जिले का महिदपुर, उमरिया का करकेली तथा विदिशा जिले का लटेरी और नटेरन विकासखण्ड शामिल हैं।

मनरेगा कन्वर्जेंस से सहेजेंगे वर्षा की हरेक बूँद

मनरेगा और एकीकृत जल ग्रहण क्षेत्र प्रबंधन कार्यक्रम के कन्वर्जेंस से प्रदेश की तकरीबन साढ़े आठ लाख हैक्टेयर जमीन में वर्षा की एक-एक बूंद सहेजी जायेगी। इससे हर खेत में पानी पहुँचेगा और कृषि उत्पादन में बढ़ोतरी होगी। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में प्रदेश के चयनित 44 जिलों के 97 विकासखंडों में मनरेगा और एकीकृत जल ग्रहण क्षेत्र प्रबंधन कार्यक्रम के कन्वर्जेंस से जल-संरक्षण एवं जल संवर्धन के कार्य किये जायेंगे। योजना के बेहतर क्रियान्वयन पर राज्य-स्तरीय कार्यशाला में 3 जुलाई को मैदानी अमले को एक दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया। कार्यशाला में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत प्रदेश के चयनित जिलों के मनरेगा परियोजना अधिकारी एवं एकीकृत जल ग्रहण क्षेत्र प्रबंधन के तकनीकी विशेषज्ञ शामिल थे।

मध्यप्रदेश की पौध-रोपण आयोजना को भारत सरकार ने सराहा

भारत सरकार के ग्रामीण विकास विभाग ने मध्यप्रदेश द्वारा ग्रीन इण्डिया मिशन को पूरा करने के उद्देश्य से पौध-रोपण की बनायी गई रणनीति की सराहना की है। केन्द्र ने अन्य राज्यों को मध्यप्रदेश का उदाहरण देते हुए मनरेगा कनवर्जेंस से पौध-रोपण के लिये इसी तरह की रणनीति तैयार कर उसे अमल में लाने को कहा है।

प्रदेश में मनरेगा के साथ विभिन्न विभागों के कन्वर्जेंस से आगामी साल में 3.25 करोड़ आजीविका मूलक पौधे रोपे जायेंगे। इससे मनरेगा जाबकार्डधारियों को काम भी मिलेगा और आजीविका के साधन भी उपलब्ध होंगे।

इस काम को अंजाम देने के लिये राज्य शासन के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने विस्तृत रणनीति तैयार की है। रणनीति के जरिये हितग्राहियों के चयन से लेकर पौधों से होने वाली उपज के लिये उचित मार्केटिंग व्यवस्था तक को शामिल किया गया है। साथ ही पौध-रोपण कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन के लिये विस्तृत कार्य-योजना तैयार की गई है। पौधे को लगाने, रखरखाव आदि व्यवस्था के लिये तकनीकी बारीकियों की जानकारी और मार्गदर्शन वाली पुस्तिका "सामर्थ्य" भी मैदानी अमले को भेजी गयी है। मनरेगा आयुक्त श्रीमती स्मिता भारद्वाज ने बताया कि मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद द्वारा मैदानी अमले को तकनीक की बारीकियाँ बताने के लिये 23 जुलाई 2015 से प्रदेश के सभी संभागों में संभागीय स्तर पर कार्यशालाएँ की जा रही हैं।

मनरेगा से पेड़ लगायें - पैसे कमायें

प्रदेश में मनरेगा से जरूरतमंद जॉब-कार्डधारी ग्रामीण परिवार को रोजगार के साथ बड़े पैमाने पर स्थायी आजीविका के मौके सुलभ करवाये जा रहे हैं। अब मनरेगा तथा उद्यानिकी के कन्वर्जेंस से खेतिहर मजदूरों की जमीन पर अच्छी आमदनी करने वाले पौधे लगाये जायेंगे। एक एकड़ जमीन में हुए पौध-रोपण से महज तीन से 5 साल बाद हितग्राही को 50 हजार से 2.75 लाख रुपये सालाना आमदनी होगी।

ऐसे किसान जो मनरेगा के जॉब-कार्डधारी हैं और जिनके पास कम से कम 0.4 हैक्टेयर जमीन, स्वयं के सिंचाई साधन तथा पौधों की सुरक्षा के इंतजाम हैं वे इस योजना का लाभ ले सकेंगे। योजना में स्थायी आमदनी करने वाले फल, फूल, औषधि एवं सुगंधित बागानों को लगाया जा सकेगा। इसके अलावा केला, पपीता जैसे पौधे, जिनसे शीघ्र आय होती है, भी लगाये जा सकेंगे।

भारत सरकार ने अगले दशक में मनरेगा तथा ग्रीन इंडिया मिशन के कन्वर्जेंस से पूरे देश में 50 लाख हेक्टेयर भूमि में पौध-रोपण का लक्ष्य रखा है। इसमें मनरेगा के 30 लाख पात्र परिवारों को आजीविका से जोड़ा जायेगा। अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास श्रीमती अरुणा शर्मा तथा प्रमुख सचिव उद्यानिकी श्री प्रवीर कृष्ण ने मनरेगा तथा उद्यानिकी विभाग के कन्वर्जेंस से पात्र हितग्राहियों की जमीन पर फलदार पौधे रोपने एवं उनके उचित रख-रखाव संबंधी दिशा-निर्देश मैदानी अमले को भेजे हैं।

योजना में अनुसूचित जाति, जनजाति, आदिम-जाति, अधिसूचित अनुसूचित जनजाति, अन्य गरीबी रेखा वाले परिवार को पात्रता होगी। इसके साथ ही ऐसे परिवार जिनके मुखिया विकलांग या विधवा महिला हैं या जो परिवार इंदिरा आवास, भूमि सुधार के लाभार्थी हैं, उन्हें भी इस योजना का लाभ दिया जा सकेगा। इसी तरह वन अधिकार अधिनियम में हक प्रमाण-पत्र धारक तथा ऐसे लघु एवं सीमांत कृषक जो कृषि ऋण माफी एवं राहत योजना 2008 में यथा परिभाषित हैं, वे भी इसका लाभ ले सकेंगे।

जिला-स्तर पर पदस्थ उद्यानिकी के सहायक संचालक या उप संचालक इस कार्य के लिये कार्य एजेंसी होंगे। इन्हें मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत की तरह मजदूरी और सामग्री के भुगतान के अधिकार होंगे। श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान एवं सामग्री प्रदाता को सामग्री का भुगतान इलेक्ट्रॉनिक फण्ड मैनेजमेंट सिस्टम से सीधे उनके बैंक खातों में किया जायेगा। जिले में उद्यानिकी के उप संचालक तथा सहायक संचालक मैदानी अमले के जरिये हितग्राहियों को चुनेंगे तथा तकनीकी स्वीकृति जारी करेंगे। कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति कलेक्टर द्वारा जारी की जायेगी। योजना में हितग्राही द्वारा 90 फीसदी पौधों को जीवित रखने पर तथा एक निश्चित संख्या के पौधों की नींदाई, गुड़ाई एवं रख-रखाव करने की मजदूरी टास्क आधार पर मनरेगा से की जायेगी। पौधों की उचित देखभाल न होने पर हितग्राही को मिल रही राशि में नियमानुसार कटौती भी की जायेगी। काम में जरूरत पड़ने पर हितग्राही परिवार के वयस्क सदस्य के अलावा भी अन्य जॉब-कार्डधारी श्रमिकों को काम पर लगाया जा सकेगा। पौध-रोपण के लिए पौधे एवं उनकी प्रजाति का चयन हितग्राही की पसंद से होगा। अच्छी गुणवत्ता एवं उचित ऊँचाई के स्वस्थ पौधों का ही चयन किया जायेगा। प्रदेश, जिला, जनपद एवं ग्राम-स्तर पर योजना के क्रियान्वयन की सघन मॉनीटरिंग की जायेगी।

• अनिल गुप्ता

फलदार पौधे बनेंगे आजीविका का साधन

मनरेगा तथा अन्य योजनाओं के कन्वर्जेंस से मनरेगा के हितग्राहियों की निजी जमीन पर आजीविका मूलक फलदार पौधे लगाने, सार्वजनिक भूमि पर वृक्षारोपण के इस मिशन को कामयाब बनाने के मद्देनजर राज्य स्तर पर 9 जुलाई से 13 जुलाई के बीच तीन दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया।

इस कार्यशाला में मनरेगा, उद्यानिकी, रेशम, वन विभाग, तथा बाँस मिशन के अधिकारियों ने वृक्षारोपण से संबंधित तकनीकी बारीकियों के बारे में बताया।

कार्यशाला के समापन के दौरान प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए मनरेगा आयुक्त श्रीमती स्मिता भारद्वाज ने कहा कि मनरेगा तथा विभिन्न विभागों के संयोजन से खेतिहर मजदूरों की आजीविका के सुदृढ़ीकरण की दिशा में सकारात्मक प्रयास किये जायें। उन्होंने कहा कि पौध-रोपण का यह काम ग्रामीण इलाकों में 50-50 हितग्राहियों के क्लस्टर बनाकर किया जाये। मैदानी अमला पौध-रोपण की तकनीकी बारीकियों को समझकर उसे व्यावहारिक अमल में लाये, जिससे मजदूरों को रोजगार के साथ आजीविका के अवसर मुहैया हो सकें।

मनरेगा आयुक्त ने कहा कि वृक्षारोपण के पूर्व उस जमीन की मिट्टी का परीक्षण कराया जाये जिससे उस मिट्टी में जिन तत्वों की कमी हो उन्हें पूरा किया जा सके। साथ ही पौधों को हानि पहुंचाने वाले जन्तुओं को समाप्त करने के लिये बायो पेस्टीसाईड का प्रयोग किया जाये।

कार्यशाला में संचालक उद्यानिकी श्री एम.के. धाकड़, मिशन संचालक बाँस मिशन श्री ए. भट्टाचार्य, मनरेगा के श्री एम.पी.एस. बुंदेला, श्री योगेन्द्र गिरी सहित अन्य अधिकारियों द्वारा तकनीकी एवं क्रियान्वयन संबंधी जानकारी दी गयी।

कार्यशाला में बताया कि अब मनरेगा तथा विभिन्न विभागों के कन्वर्जेंस से खेतिहर मजदूरों की जमीन पर अच्छी आमदनी करने वाले पौधे रोपे जायेंगे। साथ ही नर्सरियों का विकास कर ग्रामीणों को आजीविका से जोड़ा जायेगा। इन पौधों के उत्पाद को बेचने के लिये उचित मार्केटिंग की व्यवस्था भी की जायेगी।

शहरी क्षेत्र में चलेगा वृक्षारोपण अभियान

राज्य शासन ने शहरी क्षेत्र में नगर नियोजन और पर्यावरण संतुलन की दृष्टि से व्यापक पैमाने पर वृक्षारोपण अभियान चलाने का फैसला लिया है। नगर निगम, नगरपालिका और नगर परिषद के अलावा विकास प्राधिकरण को पौध-रोपण के लिये लक्ष्य तय किये गये हैं। नगर निगमों के आयुक्त, विकास प्राधिकरण के सीईओ और नगरपालिका परिषद एवं नगर परिषद के मुख्य नगरपालिका अधिकारियों को इस संबंध में सर्वेक्षण करवाने के निर्देश दिये हैं।

कौन लगायेगा कितने पौधे - वृक्षारोपण अभियान में इंदौर और भोपाल नगर निगम कम से कम डेढ़ लाख पौधे लगायेंगे। उज्जैन, जबलपुर, ग्वालियर नगर निगम एक-एक लाख पौधे रोपेंगे। सिंगरौली और छिन्दवाड़ा 50-50 हजार, मुरैना, खण्डवा, सतना 25-25 हजार, रतलाम, देवास, कटनी, बुरहानपुर, रीवा और सागर 20-20 हजार, समस्त नगरपालिका परिषद 5000 तथा नगर परिषदों को 2500 पौधे लगवाने का लक्ष्य दिया गया है। इंदौर, भोपाल, उज्जैन, जबलपुर और ग्वालियर विकास प्राधिकरण को 50-50 हजार तथा देवास एवं रतलाम विकास प्राधिकरण को कम से कम 20-20 हजार पौधे लगाने का लक्ष्य दिया गया है। सर्वेक्षण में यह देखा जायेगा कि कितने क्षेत्रफल पर वृक्षारोपण किया जाना है। इस बात का पता लगाया जायेगा कि कितने क्षेत्रफल में किस प्रजाति के कितने पौधे लगाये जा सकते हैं। यह आकलन पौधे के बीच के निर्धारित अंतर को ध्यान में रखकर करने को कहा गया है। वर्तमान वर्षा ऋतु में सघन वृक्षारोपण शहरी क्षेत्र के सभी प्रमुख मार्ग, उद्यान और विकास योजना में आरक्षित ग्रीन बेल्ट के क्षेत्र तथा अन्य स्थानों में किया जायेगा। नगर की आवासीय कॉलोनियों के कॉलोनाइजर और रहवासी संघ के सहयोग से वृक्षारोपण कार्यक्रम संचालित होगा। इसके अतिरिक्त केन्द्र एवं राज्य शासन के विभाग एवं सार्वजनिक उपक्रम तथा शैक्षणिक परिसर में भी वृक्षारोपण किया जायेगा। वृक्षारोपण के लिये प्रजातिवार पौधों की जरूरत के आकलन के आधार पर उनके प्रदाय के लिये नर्सरी से समुचित समन्वय करने को कहा गया है। पौधों की खरीदी में पूरी पारदर्शिता रखने तथा पौधा स्वच्छ एवं गुणवत्ता का हो, यह सुनिश्चित किया जायेगा। रोपित पौधों की अच्छी बढ़त एवं उत्पादन के लिये उनकी सुरक्षा और रख-रखाव पर भी ध्यान देने को कहा गया है। रख-रखाव के लिये सिंचाई, नींदाई, गुड़ाई, कटाई-छँटाई, पौध-संरक्षण, उर्वरक, खाद एवं कीटनाशक देने जैसे कार्यों को समुचित ढंग से करने के निर्देश दिये गये हैं। इन कार्यों से पौधों की उत्तरजीविता बेहतर हो सकेगी।

अभियान के बाद वृक्षारोपण का स्थान, किस प्रजाति के कितने पौधे लगाये गये, नर्सरी से लिये गये पौधों की दर, व्यय राशि आदि का रिकार्ड भी रखा जायेगा। सभी नगरीय निकाय के निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति वर्षा ऋतु में आवश्यक रूप से करने को कहा गया है। वृक्षारोपण की जानकारी निर्धारित प्रपत्र में प्रत्येक 15 दिन में 31 अगस्त तक अनिवार्य रूप से नगरीय विकास और पर्यावरण विभाग के संभागीय कार्यालय में भेजने को कहा गया है।

● प्रलय श्रीवास्तव

ग्रामीण विकास योजना

मध्यप्रदेश में ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की हकीकत का जायजा लेने आये उच्च स्तरीय केन्द्रीय दल ने प्रदेश में योजनाओं के बेहतर अमल को न केवल सराहा वरन् अन्य राज्यों के लिये भी अनुकरणीय बताया है। प्रदेश के धार, इंदौर, देवास और सीहोर जिले के ग्रामीण अंचलों का मैदानी जायजा लेने के बाद सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, भारत सरकार श्री जे.के. मोहपात्रा ने 30 जून को मंत्रालय में अपर मुख्य सचिव श्रीमती अरुणा शर्मा तथा सचिव श्री संजीव कुमार झा सहित विभागीय अधिकारियों से चर्चा की। इस मौके पर भारत सरकार के अतिरिक्त सचिव श्री अमरजीत सिन्हा और संयुक्त सचिव श्री टी. मैथ्यू भी मौजूद थे।

प्रदेश में विभिन्न ग्रामीण विकास कार्यक्रमों और योजनाओं का लाभ सुदूर अंचलों तक पहुँचाने और जरूरतमंद हितग्राहियों की बेहतरी के लिये हुए सफल प्रयासों को वीडियो प्रेजेंटेशन के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। केन्द्रीय सचिव श्री मोहपात्रा ने समग्र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम से पेंशन, स्वच्छता और आवास योजनाओं का लाभ प्रदेश में हितग्राहियों तक सीधे पहुँचाने के अनूठे प्रयासों को सराहा। उन्होंने नई दिल्ली में सभी राज्यों के समक्ष मध्यप्रदेश के अनूठे नवाचार "समग्र" का प्रेजेंटेशन किये जाने का आग्रह किया ताकि अन्य राज्य में भी हितग्राहीमूलक योजनाओं को सामाजिक, आर्थिक एवं जाति जनगणना (एसईसीसी) के डाटा से जोड़कर लोगों को सीधे लाभांवित किया जा सके।

श्री मोहपात्रा ने मनरेगा से प्रदेश में स्थाई परिसंपत्तियों का निर्माण बड़ी तादाद में किये जाने को भी सराहा। उन्होंने समुदाय के लिये उपयोगी निर्माण कार्यों को आगे भी निरंतर जारी रखने की जरूरत बताई। श्री मोहपात्रा ने कहा कि प्रदेश को निरंतर पर्याप्त राशि उपलब्ध करवाई जायेगी। प्रदेश में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की विशेष उपलब्धियों की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि तमिलनाडु के बाद मध्यप्रदेश देश का दूसरा ऐसा राज्य है जहाँ पर्यावरण संरक्षण के लिये प्लास्टिक वेस्ट का उपयोग गुणवत्तापूर्ण मजबूत सड़कों के निर्माण में हो रहा है। प्रदेश में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में अब तक 61 हजार 271 किलोमीटर सड़कों और 61 पुलों का निर्माण हो चुका है। इनमें से 400 किलोमीटर लंबी सड़कों का निर्माण प्लास्टिक वेस्ट के उपयोग से किया गया है। उन्होंने मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना की जानकारी भी ली। प्रदेश में अब तक 14,632 किलोमीटर लंबी 6434 ग्रेवल सड़कों के निर्माण को मंजूरी दी गई है। अब तक 12,471 किलोमीटर लंबी 5836 बाहरमासी ग्रेवल सड़कों का निर्माण पूरा हो चुका है। इन सड़कों के निर्माण पर 2,169 करोड़ रुपये की राशि खर्च हुई है तथा 6202 ग्रामीण बसाहटों को बारहमासी आवागमन सुविधाओं का लाभ मिल रहा है। केन्द्रीय सचिव श्री मोहपात्रा ने मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास मिशन के माध्यम से पाँच लाख आवास के निर्माण के प्रयासों को भी सराहा। उन्होंने बताया कि शीघ्र ही भारत सरकार द्वारा ग्रामीण आवास के लिये नई नीति तैयार की जायेगी। प्रदेश की इस अनूठी योजना की विशेषताओं का भी इस नई नीति में समावेश पर विचार होगा।

प्रदेश में ग्रामीण गरीबों के आर्थिक उत्थान तथा स्व-सहायता समूह के जरिये महिला सशक्तीकरण के प्रयासों को भी उन्होंने सराहा। उन्होंने राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन और जिला गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के जरिये मध्यप्रदेश के सुदूर अंचलों में आये सामाजिक तथा आर्थिक बदलाव को उन्होंने

ाओं का बेहतर अमल

अन्य राज्यों के लिये अनुकरणीय बताया। श्री मोहपात्रा ने नई दिल्ली में बैठक में मध्यप्रदेश में आजीविका मिशन के विशिष्ट नवाचारों पर आधारित प्रेजेंटेशन प्रस्तुत करने को भी कहा ताकि अन्य राज्य भी प्रेरित हो सके। उल्लेखनीय है कि प्रदेश में 57 लाख गरीब ग्रामीण परिवारों को आजीविका गतिविधियों से लाभान्वित करने का लक्ष्य है। अब तक 1 लाख से अधिक स्व-सहायता समूह का गठन कर उनके जरिये 11 लाख 95 हजार 577 हितग्राहियों को आजीविका गतिविधियों से जोड़ा जा चुका है। प्रदेश के 515 गाँवों में सभी बेराजगार युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर सुलभ करवाये गये हैं। इनमें से कई ग्रामीण युवाओं को भारतीय सेना में विभिन्न पदों पर नियुक्ति में सफलता हासिल हुई।

इस अवसर पर सांसद आदर्श ग्राम योजना के लिये चयनित गाँव में शुरू की जाने वाली सामुदायिक विकास योजना और कल्याण कार्यक्रमों के संबंध में भी प्रेजेंटेशन हुआ। श्री मोहपात्रा ने मनरेगा में पौध रोपण योजनाओं की सफलता के लिये प्रकाशित तकनीकी मार्गदर्शिका का विमोचन भी किया। इससे पहले मुख्य कार्यपालन अधिकारी ग्रामीण आवास एवं सड़क विकास प्राधिकरण श्रीमती अलका उपाध्याय, आयुक्त मनरेगा श्रीमती स्मिता भारद्वाज, आयुक्त पंचायत डॉ. रघुवीर श्रीवास्तव, संचालक समग्र सामाजिक सुरक्षा मिशन श्री अजीत कुमार मुख्य कार्यपालन अधिकारी ग्रामीण आजीविका मिशन श्री एल.एम. बेलवाल ने संबंधित योजना और कार्यक्रमों पर प्रेजेंटेशन दिया।

जीरापुरा में महिला स्व-सहायता समूहों से सीधा संवाद

जीरापुरा में अधिकारियों ने राष्ट्रीय आजीविका परियोजना अन्तर्गत गठित महिला स्व सहायता समूहों तथा ग्राम विकास संगठनों के महिला सदस्यों से चर्चा की। उन्होंने महिला स्वसहायता समूहों के सदस्यों से आजीविका परियोजना के संचालन के बाद महिलाओं की आर्थिक स्थिति में हुए बदलाव के संबंध में सीधे संवाद किया। उन्होंने आजीविका परियोजना के तहत समूहों की बचत, सीआईएफ राशि, पंचसूत्र, प्रशिक्षण, बचत से लिए गए ऋण के पुनर्भुगतान की स्थिति, बेरोजगारों को रोजगार देने, ग्राम विकास संगठन के कार्य, उप समितियों की क्रियाशीलता, लखपति क्लब आदि के संबंध में विस्तार से चर्चा की। समूहों के सदस्यों के डिफाल्टर नहीं होने पर प्रसन्नता व्यक्त की। केन्द्रीय दल ने समूहों के सदस्यों से योजना में बदलाव के लिए सुझाव चाहे। महिलाओं से शौचालय बनवाने के संबंध में भी पूछताछ की। स्व सहायता समूहों की महिलाओं के सरपंच व पंच बनने तथा ग्रामीण विकास में भूमिका निभाने पर दल ने प्रसन्नता व्यक्त की तथा दल ने मुख्यमंत्री आवासों का अवलोकन किया तथा 04 हितग्राहियों को स्वीकृति पत्र वितरित किये। ग्राम भीलबरखेड़ा में नरसिंह-झितरा का कपिल धारा कूप तथा मुख्यमंत्री आवास योजना अन्तर्गत निर्मित दो आवासों बुलीबाई-नंनू तथा नरसिंह-झितरा के मकानों का अवलोकन किया। नरसिंह झितरा के खेत पर पहुँचकर कद्दू की फसल का अवलोकन भी किया। भीलबरखेड़ा में मुख्यमंत्री आवास योजना अन्तर्गत 04 हितग्राहियों को नर्मदा-झाबुआ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक द्वारा स्वीकृत 50-50 हजार रुपये के स्वीकृति पत्र वितरित किए गए। राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा निर्मित स्वसहायता समूह द्वारा छाछ, गौमूत्र, गोबर, नीम, तम्बाकू आदि के माध्यम से बनाए गए जैविक उर्वरकों का दल ने अवलोकन किया तथा उनके उपयोग के संबंध में पूछताछ की।

• हेमलता हुरमाड़े

मध्यप्रदेश में विकास योजन

म ध्यप्रदेश में केन्द्र प्रवर्तित ग्रामीण विकास योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन की भारत सरकार के उच्च स्तरीय दल ने सराहना की है। केन्द्रीय दल ने 29 जून को धार जिले के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा कर ग्रामीण समाज में आये सकारात्मक बदलाव को देखा। दल ने ग्रामीणों से सीधा संवाद कर केन्द्रीय योजनाओं की मैदानी हकीकत और उससे गाँव वालों के जीवन में आई खुशहाली के बारे में चर्चा भी की।

भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय के सचिव श्री जे.के. मोहपात्रा, अतिरिक्त सचिव श्री अमरजीत सिन्हा ने ग्राम सुलीबयड़ी, आँवलिया, भील बरखेड़ा और जीरापुर में संचालित ग्रामीण विकास योजनाओं का मौके पर अवलोकन किया। भील बरखेड़ा में ग्रामीणों से ग्रामीण विकास योजनाओं और जीरापुर में राष्ट्रीय आजीविका परियोजना के महिला स्व-सहायता समूह से सीधा संवाद भी किया। ग्रामीणों ने केन्द्रीय दल को बताया कि कपिलधारा कूप और वनाधिकार पट्टे मिलने से उनकी आर्थिक स्थिति में बदलाव आया है। ग्रामीणों ने बताया कि सिंचाई सुविधाओं में हुए विस्तार से अब वे एक फसल के स्थान पर 3 फसल लेने लगे हैं। इससे जहाँ पहले उन्हें 5-10 हजार रुपये की आय होती थी वहाँ अब वे 60 से 70 हजार रुपये कमा रहे हैं। कपिलधारा कूप रिचार्ज हो रहे हैं अब गर्मियों में भी कुओं में पानी रहता है जिससे वह कद्दू और अन्य सब्जियों की खेती करते हैं। भील बरखेड़ा में मनरेगा में हुए विकास कार्यों से गाँव के लोगों के जीवन-यापन में काफी बदलाव आया है। कद्दू की अच्छी फसल होने से इंदौर की मण्डी में यह गाँव 'कद्दू गाँव' के रूप में पहचाना जाने लगा है। केन्द्रीय दल ने ग्रामीणों से मनरेगा में मजदूरी के भुगतान के संबंध में भी पूछताछ

भारत सरकार के सचिवद्वय ने जिले में ग्रामीण विकास कार्यों का किया अवलोकन

भा रत सरकार के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के सचिव श्री जे.के. मोहपात्रा और अतिरिक्त सचिव श्री अमरजीत सिन्हा ने 29 जून को देवास जिले के ग्राम जामगोद का भ्रमण किया। उन्होंने इस गांव में ग्रामीण विकास विभाग की विभिन्न गतिविधियों का अवलोकन किया, ग्रामीणों से चर्चा की और मनरेगा के तहत हुए कार्यों से ग्रामीणों को मिले लाभ की जानकारी ली। भ्रमण के दौरान आयुक्त मनरेगा भोपाल श्रीमती स्मिता भारद्वाज, ग्रामीण आवास एवं सड़क विकास प्राधिकरण की सी.ई.ओ. श्रीमती अलका उपाध्याय भी उपस्थित थीं।

कलेक्टर श्री आशुतोष अवस्थी ने गांव में हुए कार्यों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि निर्मल नीर के तहत बने कुएं से गांव के 300 परिवारों को शुद्ध पेयजल मिल रहा है। नल जल योजना के माध्यम से ग्रामीणों द्वारा यह व्यवस्था स्वयं संचालित की जा रही है। सचिवद्वय ने गांव में बने महिलाओं के स्वसहायता समूह द्वारा सैनेटरी नैपकिन कार्य को भी देखा, और महिलाओं की पहल की सराहना की। प्रभारी सीईओ जिला पंचायत श्री प्रबल सिपाहा ने जिले में नीम बीज रोपण के अभियान की जानकारी दी। अभियान के तहत पूरे जिले में नीम का व्यापक वृक्षारोपण किए जाने की योजना है। श्री मोहपात्रा ने इस अभियान को पर्यावरण के लिए उपयोगी बताते हुए सराहना की। उन्होंने गांव में वृक्षारोपण भी किया। इस अवसर पर गांव की आंगनवाड़ी का निरीक्षण भी किया।

● सचिन गंगराडे

नाओं का सफल क्रियान्वयन

की। ग्रामीणों ने दल को बताया कि उन्हें 15 दिन में मजदूरी का भुगतान हो रहा है। यह राशि बैंक के माध्यम से उनके खाते में जमा होती है। अतिरिक्त सचिव श्री सिन्हा गाँव के लोगों के जीवन में हुए आर्थिक बदलाव को देखकर प्रसन्न हुए।

केन्द्रीय दल ने ग्राम भील बरखेड़ा में नर्सिंग-झितरा में कपिलधारा कूप और मुख्यमंत्री आवास योजना में निर्मित आवास का अवलोकन किया। दल ने भील बरखेड़ा के 4 हितग्राही को 50-50 हजार रुपये की स्वीकृति-पत्र भी वितरित किये। दल के साथ ग्रामीण विकास विभाग और जिला प्रशासन के अधिकारी भी साथ थे।

कपिल धारा व दूसरी योजनाओं से गांव में समृद्धि आई है

कलेक्टर श्रीमती जयश्री कियावत ने बताया कि भीलबरखेड़ा में पहले किसान जहां एक फसल सोयाबीन तथा मक्का उगाते थे, वे अब गेहूँ, सब्जियां व बागवानी फसलें पैदा करते हैं। कपिल धारा व दूसरी योजनाओं से गांव में समृद्धि आई है। वर्तमान में गांव में 39 पक्के मकान, 80 मोटर साइकिल, 02 चार पहिए लक्जरी वाहन, 08 ट्रेक्टर व 02 मेटाडोर हैं। उन्होंने बताया कि भीलबरखेड़ा में 95 कपिल धारा कूप तथा 72 हितग्राहियों को वनाधिकार पट्टे दिए गए हैं। पट्टेधारकों को डीजल तथा विद्युत पम्प भी प्रदाय किया गया है। गाँव में इंदिरा आवास, मुख्यमंत्री आवास व अन्य ग्रामीण विकास की योजनाओं में भी लाभान्वित किया गया है। कलेक्टर ने बताया कि महिला स्व-सहायता समूहों को मध्यान्ह भोजन व शौचालय निर्माण में काम दिया जा रहा है। अब शासन ने यह भी निर्णय लिया कि राशन की दुकानें भी संचालन हेतु महिला स्व-सहायता समूहों को दी जाएंगी।

आंवलिया में अदरक की खेती का किया अवलोकन

आंवलिया में केन्द्रीय दल द्वारा अदरक की खेती का अवलोकन किया तथा उन्नत कृषकों से चर्चा की। आंवलिया के कृषक श्री खड़कसिंह ने अपने खेत की अदरक की फसल को दिखाया तथा बताया कि पिछले वर्ष उन्हें अदरक से अच्छा मुनाफा हुआ था। इंटरनेट पर मण्डियों के भाव तलाशे, जिससे 6 हजार रुपये प्रति क्विंटल भाव मिले। उनको एक एकड़ की फसल से लगभग 6 लाख रुपये की आय प्राप्त हुई। यहां उन्नत कृषक श्री राम पाटीदार ने गेहूं की स्थानीय स्तर पर विकसित किस्म नर्मदा-14 की बालियां दिखाईं तथा आधी-ओलावृष्टि की स्थिति में भी किस्म की सहनशीलता के संबंध में अवगत कराया। उन्नत कृषक श्री बाबूलाल परिहार द्वारा केसर की खेती किए जाने के संबंध में भी जानकारी दी तथा उत्पादित केसर को भारत सरकार के सचिव व दूसरे अधिकारियों को दिखाया।

कद्दू गाँव के रूप में है भीलबरखेड़ा की पहचान

ग्रामीणों द्वारा तालाब गहरीकरण की मांग पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री श्रीकांत बनोठ ने कहा कि बरसात बाद गहरीकरण का कार्य प्रारंभ कराएंगे। उन्होंने कहा कि मनरेगा के कारण भीलबरखेड़ा में जीवन-यापन में काफी बदलाव आया है। कद्दू की फसल लेने के कारण इन्दौर की मण्डी में भीलबरखेड़ा को "कद्दू गाँव" के रूप में जाना जाता है। उन्होंने नालछा नदी पुनर्जीवन योजना के संबंध में भी अवगत कराया। नदी के केचमेंट एरिया में 22 गाँव आते हैं। उन्होंने बताया कि वाटरशेड योजना में भूमि उपचार व अन्य कार्य कराए गए, जिसके अच्छे परिणाम प्राप्त हुए हैं। योजना के तहत लगभग 60 प्रतिशत काम पूरा हुआ है।

15 दिन में होता है मजदूरी का भुगतान - भारत सरकार के सचिव ने ग्रामीणों से मनरेगा में मजदूरी के भुगतान के संबंध में पूछताछ की। ग्रामीणों ने बताया कि 15 दिन में मजदूरी का भुगतान होता है। मजदूरी की राशि बैंक के माध्यम से खाते में प्राप्त होती है। अतिरिक्त सचिव श्री सिन्हा ने कहा कि गाँव में लोगों के जीवन में बदलाव देखकर बहुत अच्छा लगा। किसान एक फसल के स्थान पर तीन फसलें ले रहे हैं, इसके अलावा वे नई-नई फसलें व बागवानी फसलें भी उगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन द्वारा तालाब गहरीकरण तथा भीलबरखेड़ा में नीचे घाट से होकर सड़क मार्ग का ग्रेडिएंट ठीक करवाया जाएगा, जिससे लोग आ-जा सकें।

मनरेगा मजदूरी का भुगतान हुआ आसान

मनरेगा श्रमिकों को मजदूरी के जल्द भुगतान की व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद द्वारा समय-समय पर बुनियादी इंतजाम किये हैं। इसी दिशा में 1 अप्रैल 2013 से प्रदेश में इलेक्ट्रानिक फण्ड मैनेजमेंट सिस्टम के जरिये मनरेगा श्रमिकों को उनके बैंक खातों में मजदूरी का भुगतान सीधे भेजा जा रहा है। इस व्यवस्था को शुरू करने वाला मध्यप्रदेश देश का पहला राज्य है। प्रदेश के इस नवाचार को जहाँ केन्द्र सरकार ने सराहा, वहीं देश के अनेक राज्य के प्रतिनिधियों ने मध्यप्रदेश आकर इस सिस्टम के जरिए मजदूरी भुगतान व्यवस्था की जानकारी ली।

इसी तरह के नवाचारों के क्रम में मध्यप्रदेश में फरवरी 2015 से शुरू किये गये पब्लिक फण्ड मैनेजमेंट सिस्टम को 1 अप्रैल 2015 से देश के सभी राज्य में लागू कर दिया गया है। इस प्रणाली से महात्मा गाँधी नरेगा साफ्टवेयर के साथ बैंकिंग सिस्टम और पोस्ट ऑफिस का समन्वय कर श्रमिकों को मजदूरी के निर्बाध भुगतान की व्यवस्था सुनिश्चित की गयी है। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र द्वारा इस प्रणाली का सबसे पहले मध्यप्रदेश में सफलता से उपयोग किया गया है।

इस प्रणाली के बेहतर क्रियान्वयन और समस्या के समाधान के लिए 14 जुलाई को नर्मदा भवन के सभाकक्ष में एक दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में अपर मुख्य सचिव श्रीमती अरुणा शर्मा, मनरेगा आयुक्त श्रीमती स्मिता भारद्वाज, अतिरिक्त सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास श्री ब्रजेश कुमार, एनआईसी के नई दिल्ली स्थित सीनियर तकनीकी निदेशक श्री पी.के. मित्तल, पब्लिक फण्ड मैनेजमेंट सिस्टम के नई दिल्ली स्थित वरिष्ठ लेखाधिकारी श्री सत्येन्द्र सिंह और सलाहकार श्री सी.एस. कौशिक सहित प्रमुख बैंकों के मुंबई स्थित वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी, पोस्ट ऑफिस, एनआईसी और ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार के अधिकारी कार्यशाला में मौजूद रहे। कार्यशाला को संबोधित करते हुए अपर मुख्य सचिव श्रीमती अरुणा शर्मा ने कहा कि पब्लिक फण्ड मैनेजमेंट सिस्टम के जरिये मनरेगा श्रमिकों को समय पर मजदूरी भुगतान की व्यवस्था करने की दिशा में सकारात्मक प्रयास करना होंगे। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, पोस्ट आफिस, बैंक तथा मनरेगा का तकनीकी अमला आपस में समन्वय स्थापित कर भुगतान प्रक्रिया में आने वाली समस्याओं का त्वरित निराकरण कराने की ठोस व्यवस्था करें। अपर मुख्य सचिव ने कहा कि पब्लिक फण्ड मैनेजमेंट सिस्टम के जरिये मजदूरी भुगतान की समूची प्रक्रिया की तकनीकी बारीकियां क्रियान्वयन करने वाले मैदानी अमले तक पहुंचायी जायें ताकि उन्हें पूरी व्यवस्था का व्यवहारिक ज्ञान हो और मजदूरी भुगतान निर्बाध रूप से हो।

कार्यशाला में आयुक्त मनरेगा, मध्यप्रदेश श्रीमती स्मिता भारद्वाज ने सिस्टम के जरिये बैंक तथा पोस्ट ऑफिस द्वारा मनरेगा श्रमिकों को मजदूरी के भुगतान की व्यवस्था के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होने इस समूची प्रक्रिया में आ रहीं अड़चनों के बारे में उदाहरण सहित बताया। मनरेगा आयुक्त ने कहा कि पब्लिक फण्ड मैनेजमेंट सिस्टम के माध्यम से मजदूरों को उनके खातों में समय पर मजदूरी का भुगतान हुआ है। परन्तु इस व्यवस्था में छोटी-छोटी तकनीकी खामियां दुरुस्त करना जरूरी है। सिस्टम के क्रियान्वयन में आई दिक्कतों और उनके समाधान पर भी चर्चा हुई। कार्यशाला में विभिन्न बैंक और पोस्ट ऑफिस के प्रतिनिधि तथा एनआईसी के तकनीकी अधिकारियों ने सिस्टम की कार्य प्रणाली के संबंध में अपने अनुभव को भी साझा किया।

इससे पहले तकनीकी निदेशक राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र श्रीमती मेघा दलवी ने सिस्टम की विशेषता और कार्य-प्रणाली पर प्रेजेन्टेशन दिया।

बरसात में प्रधानमंत्री सड़क पर नहीं थमेगा सफर

प्रदेश के ग्रामीण अंचलों में बरसात के दौरान प्रधानमंत्री सड़क पर आवागमन में बाधा नहीं आने दी जायेगी। इस मक़सद से तकनीकी, मैदानी अमला सजगता के साथ सड़क की निगरानी रखेगा। मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण ने इस बारे में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किये हैं। बरसात में सड़कों के संधारण और सड़कों को नुकसान से बचाने के काम में लापरवाही पाये जाने पर संबंधित अमले की जवाबदेही निर्धारित होगी।

प्रधानमंत्री सड़क पर बनी पुलियों पर जहाँ आमतौर पर तेज बरसात में बाढ़ की वजह से आवागमन में कठिनाई आती है, वहाँ सावधानी और सूचना के लिये खतरे के निशान को दर्शाने वाले बोर्ड लगाये गये हैं। पुल और पुलियों के आसपास नालियों की सफाई कर बरसात का पानी जमा होने से रोकने की व्यवस्था के लिये मैदानी अमले को निर्देशित किया है। प्रधानमंत्री सड़क पर बनायी जा रही पुलियों के आसपास रखी गयी निर्माण सामग्री और पुलिया निर्माण के लिये खोदी गयी मिट्टी की वजह से कोई दुर्घटना न हो, इस बारे में सावधानी बरतने को कहा गया है। सड़क के दोनों ओर शोल्डर पर रखी गयी निर्माण सामग्री तथा ग्रामीणों द्वारा डाले गये कचरे को भी तुरंत हटाने के निर्देश दिये गये हैं।

प्रधानमंत्री सड़क पर बने पुल-पुलियों और सड़क के गार्ड स्टोन की पुताई करवाये जाने और इन पर पानी के बहाव की दिशा अंकित करने का काम भी किया गया है। जहाँ गार्ड स्टोन टूट गये हैं, उन्हें तुरंत बनाये जाने को कहा गया है। संबंधित ठेकेदारों से भी कहा गया है कि वे सड़क पर आवागमन में बाधा न आये, इसलिये बरसात के दौरान बाढ़ की वजह से नदी के बहाव के साथ आने वाले पेड़, झाड़ आदि को बाढ़ उतरते ही तत्काल हटाने का इंतजाम करें। संबंधित सहायक प्रबंधक तथा उप-यंत्रियों को भी निर्देश दिये गये हैं कि वे बरसात की शुरुआत और अति-वर्षा के दौरान अपने कार्यक्षेत्र की सड़क पर निरंतर भ्रमण करें, जिससे बाढ़ के समय सड़क को होने वाले नुकसान को रोका जा सके। मैदानी अमले द्वारा निरीक्षण की कार्यवाही के फोटो भी प्रधानमंत्री सड़क की निगरानी के लिये बनाये गये ई-मार्ग सॉफ्टवेयर पर अपलोड करने को कहा गया है।

गाडरवाड़ा गाँव में खुले में शौच अब बीती बात

छिंदवाड़ा जिले के गाँव गाडरवाड़ा में अब कोई भी खुले में शौच नहीं करता है। अगर कोई भूले-भाले चला भी गया तो बाल कमांडो की टीम सीटी बजा-बजाकर कर उसका बैठना मुश्किल कर देती है। यह संभव हुआ स्वच्छ भारत अभियान और जिला प्रशासन के प्रयासों से।

जिले में स्वच्छता अभियान को गाँव-गाँव तक पहुँचाने की मुहिम जिला कलेक्टर श्री महेशचंद्र चौधरी ने छेड़ रखी है। इसके चलते जब वे अमरवाड़ा विकासखंड के गाँव गाडरवाड़ा पहुँचे तो उन्होंने लोगों को अपने ही घर में शौचालय बनाने के लिये प्रेरित किया। साथ ही उन्हें इसके लिये सरकार द्वारा दी जा रही मदद के बारे में बतलाया। उनकी इस पहल को गाँव वालों का समर्थन मिला और देखते ही देखते घर-घर में शौचालय बन गये। बात यहीं खत्म नहीं हुई, खुले में शौच की परम्परा स्थायी रूप से बंद हो इसके लिये स्वयं गाँव वालों ने निगरानी प्रेरक दल और बाल कमांडो की टीम गठित की जो निरंतर खुले में शौच की बुराइयों के बारे में लोगों को बताते हैं। बाल कमांडो की टीम ने तो खुले में शौच करने वालों की आदत को खत्म करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

गाँव की एक समस्या का भी समाधान हुआ वह थी पानी की। कलेक्टर ने तत्काल गाँव में नल-जल योजना शुरू कर दी। अब यह गाँव निर्मल गाँव होने का हकदार बन गया है। इससे उसे विकास के लिये भी अधिक सुविधाएँ मिलेंगी। एक बुराई छोड़ने के कितने फायदे हैं इस बात का अब पता चला गाँव वालों को। इसे देख आस-पास के गाँव वाले भी स्वयं आगे आये हैं।

जिला विकेन्द्रीकृत नियोजन अंतर्गत गठित विभिन्न समितियों व दलों के गठन और दायित्व

प्रदेश के विकास में स्थानीय लोगों की भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से प्रदेश में विकेन्द्रीकृत नियोजन प्रक्रिया का क्रियान्वयन वर्ष 2009-10 से किया जा रहा है। आज प्रदेश के समस्त जिलों द्वारा विकेन्द्रीकृत नियोजन के माध्यम से जिले की विकास योजनाओं का निर्माण किया जा रहा है। प्रदेश में विकेन्द्रीकृत नियोजन के सुचारु रूप से संचालन के लिए राज्य योजना आयोग मध्यप्रदेश द्वारा विभिन्न स्तरों पर संस्थागत व्यवस्था की गई है साथ ही विस्तृत मार्गदर्शिका जारी की गई है।

विकेन्द्रीकृत नियोजन के लिए विभिन्न स्तरों पर की गई संस्थागत व्यवस्था, उनके गठन तथा कार्यों की संक्षिप्त जानकारी -

विभिन्न स्तरों पर गठित समितियां और कार्य

जिला स्तर

जिला योजना समिति : जिला योजना अधिनियम 1995 के अंतर्गत प्रत्येक जिले में जिला योजना समिति का गठन किया गया है।

जिला योजना समिति के सदस्य

(1) समिति में भिन्न-भिन्न जिलों में 10, 15 या 20 सदस्य होंगे जैसा कि अनुसूची में विनिर्दिष्ट किया जाए।

(2) (एक) समिति के सदस्यों की कुल संख्या के 4/5 सदस्य, यथास्थिति, जिले या राजस्व जिलों के समूह (ग्रुप) में जिला पंचायत तथा नगर पालिकाओं के निर्वाचित

सदस्यों के द्वारा तथा उनमें से विहित रीति में निर्वाचित किये जायेंगे।

(दो) ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्रों में से निर्वाचित किये जाने वाले सदस्यों की संख्या का अनुपात यथा संभव निकटतम रूप से वही होगा जिस अनुपात में यथास्थिति, जिले या राजस्व जिलों के समूह (ग्रुप) में नगरीय तथा ग्रामीण क्षेत्रों की जनसंख्या है।

(3) समिति के शेष सदस्य -

(क) मध्यप्रदेश राज्य का एक मंत्री जिसे राज्य सरकार द्वारा नामित किया जायेगा, समिति का अध्यक्ष (चेयरपर्सन) होगा।

(ख) जिले का कलेक्टर जो सदस्य सचिव होगा।

(ग) जहां पर अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट समिति के सदस्यों की संख्या-

(एक) पन्द्रह है तो एक सदस्य, या

(दो) बीस है तो दो सदस्य, जो राज्य सरकार द्वारा नामित

परन्तु उस जिले का कलेक्टर जिसमें जिला पंचायत वर्णित है, जिला योजना समिति का सदस्य-सचिव होगा।

(4) उपधारा (3) के खण्ड (ग) के अधीन नाम निर्देशित सदस्य ऐसी अवधि के लिए पद धारण करेंगे जैसा कि राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित की जाए।

विशेष आमंत्रित सदस्य

(1) (क) ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों का, जो जिले में पूर्णतः या भागतः समाविष्ट है, प्रतिनिधित्व करने वाले लोक सभा के सदस्य तथा राज्य विधान सभा के सदस्य समिति के सम्मिलनों में स्थायी विशेष आमंत्रित होंगे।

(ख) राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले राज्य सभा सदस्य उनकी अपनी पसंद के एक जिले की समितियों के सम्मिलनों में स्थाई विशेष आमंत्रित होंगे।

(2) ऐसे आमंत्रित, जो मंत्री हैं या संसद सदस्य हैं समिति की बैठक में उनकी ओर से उपस्थित होने के लिए एक प्रतिनिधि को नाम निर्दिष्ट कर सकेंगे।

(3) जिले में जिला पंचायत के अध्यक्ष तथा नगरपालिक निगम के महापौर भी उस दशा में स्थायी विशेष आमंत्रिती होंगे, जबकि वे समिति के सदस्य निर्वाचित नहीं हुए हैं।

जिला योजना समिति की भूमिका

1. राष्ट्रीय तथा राज्य स्तरीय उद्देश्यों के ढांचे के भीतर रहते हुए स्थानीय आवश्यकताओं तथा उद्देश्यों का अभिनिर्धारण करना। 2. उपलब्ध प्राकृतिक तथा मानव संसाधनों के अधिकतम तथा न्याय सम्मत उपयोग तथा विदोहन को सुनिश्चित करने की दृष्टि से विकास के लिए नीतियों, कार्यक्रमों तथा प्राथमिकताओं का निर्धारण करना। 3. जिले के लिए रोजगार योजना तैयार करना। 4. पंचायतों तथा नगरीय निकायों द्वारा तैयार की गयी योजनाओं को समेकित करते हुए जिले के सामाजिक-आर्थिक, भौतिक, सामयिक तथा स्थान संबंधी आयामों के परिप्रेक्ष्य में जिले की पंचवर्षीय और वार्षिक विकास योजना का प्रारूप तैयार करना तथा उसे राज्य की योजना में सम्मिलित करने के लिए राज्य सरकार को प्रस्तुत करना। 5. जिले के विकास की योजना समय सीमा में तैयार करने के लिये सहभागी नियोजन प्रक्रियाओं से निम्न कार्यों को जिले में सुनिश्चित करना-

(क) ग्राम सभा स्तर पर विकेन्द्रीकृत नियोजन पर जागरूकता (ख) स्थानीय निकाय की स्थाई समिति के सदस्यों की क्षमता का विकास इत्यादि।

6. जिला योजना के स्वीकृत होने के उपरांत स्थानीय निकाय, संबंधित विभाग और अन्य क्रियान्वयन संस्थाओं एवं नियोजन इकाईयों के साथ योजना क्रियान्वयन के लिए समीक्षा करना।

जिला योजना समिति की उप-समितियां : मध्यप्रदेश जिला योजना अधिनियम 1995 में विभिन्न क्षेत्रकों की योजनाओं को परीक्षित करने तथा अंतिम रूप देने के लिए आवश्यकता अनुसार अस्थाई उप-समितियों के गठन का प्रावधान है। मध्यप्रदेश विकेन्द्रीकृत नियोजन प्रणाली के अंतर्गत मुख्यतः 6 (शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पोषण, आजीविका, अधोसंरचना प्रबंधन, ऊर्जा ईंधन तथा वैकल्पिक ऊर्जा और नागरिक अधिकार संरक्षण) क्षेत्रकों के आधार पर जिला योजना तैयार करने पर विशेष जोर दिया गया है तथा इसी अनुरूप जिला योजना समिति की उप-समितियों का निर्धारण तथा गठन किया जाना चाहिए।

जिला योजना समिति की उप-समितियों की भूमिका : जिला योजना समिति की उप-समितियां संबंधित क्षेत्रकों में जिले की आवश्यकता की पहचान और उस आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए नियोजन तथा जिला नियोजन में गतिविधियाँ सुनिश्चत करना है। साथ ही अलग-अलग नियोजन इकाईयों की क्षेत्रकवार प्रस्तावित योजनाओं का समेकन।

जिला स्तरीय नियोजन दल (ग्रामीण) : इस दल का गठन जिला योजना समिति के मार्गदर्शन में किया जायेगा। इसमें कम से कम 6 सदस्य होंगे जो संबंधित विभागों के अधिकारी नियोजन के विषय विशेषज्ञ, सक्रिय स्वयंसेवी संस्थाएं तथा अन्य संस्थाओं से जुड़े लोग होंगे।

भूमिका : जिले में नियोजन के निचले स्तरों को आवश्यक सहयोग, उनका प्रशिक्षण कार्य के लिये आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराना। जनपद पंचायतों की समेकित योजनाओं को प्राप्त करना और उनके समेकन से जिला ग्रामीण योजना तैयार करना। योजना के अंतर्गत क्षेत्रकवार विश्लेषण कर संबंधित उप-समितियों को दिखाकर उनके सुझावों को समाहित करना।

जिला स्तरीय अनुश्रवण दल : जिला स्तरीय अनुश्रवण दल में कलेक्टर एवं उसके द्वारा नामित अधिकारी होंगे।

जिला स्तरीय अनुश्रवण दल की भूमिका : इसका कार्य जनपद स्तर पर हो रही नियोजन प्रक्रिया की निगरानी और कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करना है। यह सुनिश्चित करना कि विभिन्न स्तरों पर गठित दल सुचारु रूप से कार्य करें। जिला तथा जनपद स्तर पर हो रहे प्रशिक्षण कार्यक्रमों की निगरानी और उनकी गुणवत्ता सुनिश्चित करना।

जनपद स्तर की व्यवस्था

जनपद स्तरीय नियोजन दल

जनपद स्तरीय नियोजन दल का गठन मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद द्वारा किया जायेगा जिसमें जनपद स्तर के अधिकारी, सेवा अवकाश प्राप्त अधिकारी, स्वयं सेवा संस्थान के प्रतिनिधि होंगे।

इस दल में कम से कम 6 सदस्य होंगे। जनपद आवश्यकतानुसार सदस्यों की संख्या में परिवर्तन कर सकती है।

जनपद स्तरीय नियोजन दल की भूमिका

नियोजन के निचले स्तरों को आवश्यक सहयोग, उनका प्रशिक्षण तथा कार्य के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराना।

ग्राम पंचायत से प्राप्त योजनाओं का जनपद स्तर पर समेकन करना तथा जनपद की योजना तैयार करना। दो से अधिक ग्राम पंचायतों से संबंधित कार्यों को योजना में शामिल करना।

जनपद स्तरीय अनुश्रवण दल

जनपद स्तरीय अनुश्रवण दल में कलेक्टर द्वारा नामित अधिकारी होंगे।

भूमिका : इसका कार्य ग्राम पंचायत स्तर पर हो रही नियोजन प्रक्रिया की निगरानी तथा कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करना है। यह सुनिश्चित करना कि विभिन्न स्तरों पर गठित दल सुचारु रूप से कार्य करें।

ग्राम स्तरीय तकनीकी सहायता दल

इस दल का गठन मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत द्वारा किया जायेगा जिसमें जमीनी स्तर के विभिन्न विभाग के अधिकारी तथा कर्मचारी और स्वयंसेवी संस्था के प्रतिनिधि होंगे। सदस्यों की संख्या 4-6 या उससे अधिक हो सकती हैं।

भूमिका : दो से तीन पंचायतों पर एक दल का गठन होगा जो कि ग्राम पंचायत में आने वाले समस्त ग्रामों में नियोजन प्रक्रिया के क्रियान्वयन जैसे - संचालित योजनाओं की ग्रामीणों को जानकारी, समस्याओं पर चर्चा तथा संभावित उपाय, ग्राम विकास समिति को ग्राम नियोजन में सहयोग इत्यादि के लिये जिम्मेदार है।

जिला स्तरीय नियोजन दल (शहरी) नगरीय नियोजन

जिला स्तरीय नियोजन दल

शहरी क्षेत्रों को तकनीकी मार्गदर्शन उपलब्ध कराने के लिए इस दल का गठन किया जायेगा जिसके संचालन में जिला शहरी विकास अभिकरण की मुख्य भूमिका है। इसमें कम से कम 10 सदस्य होंगे, जो कि विभिन्न विभागों के अधिकारी, विशेषज्ञ अपशिष्ट प्रबंधन, जल वितरण एवं स्वैच्छिक संस्था के प्रतिनिधि होंगे।

जिला स्तरीय नियोजन दल की भूमिका

नियोजन दल, क्षेत्र में प्रक्रिया के संचालन के लिए जिम्मेदार होगा। जिला योजना समिति के सहयोग से वह निचले स्तर के नियोजन दलों को आवश्यक तकनीकी सहायता, प्रशिक्षण तथा संसाधन उपलब्ध करवाएगा।

नगर निगम नियोजन दल

इसमें निगम के स्तर के कम से कम 10 सदस्य होंगे जिसमें विभाग के अधिकारी एवं ठोस अवशिष्ट प्रबंध, नगरीय क्षेत्र में जल प्रबंध, नियोजन इत्यादि के विषय विशेषज्ञ या स्वयं सेवी संस्था को शामिल किया जाना चाहिये।

नगर निगम नियोजन दल की भूमिका

नियोजन प्रक्रिया का संचालन, निचले स्तर को आवश्यक मार्गदर्शन, प्रशिक्षण तथा संसाधन उपलब्ध कराना। नगर निगम का ड्राफ्ट प्लान तैयार करना तथा वार्ड और जोनल स्तरों की योजनाओं का समेकन कर नगर निगम की योजना तैयार करना।

नगर पालिका/नगर पंचायत स्तरीय नियोजन दल

नगर पालिका/नगर पंचायत स्तरीय नियोजन दल में कम से कम 8 सदस्य होंगे। इसमें संबंधित विभाग के अधिकारी, विषय विशेषज्ञ, स्वैच्छिक संस्था के प्रतिनिधि होंगे।

नगर पालिका/नगर पंचायत स्तरीय नियोजन दल की भूमिका

निचले स्तर की नियोजन इकाई को सहायता तथा वार्ड स्तर पर तैयार योजना का समेकन कर नगर पालिका/नगर पंचायत की योजना तैयार करना है।

वार्ड स्तरीय तकनीकी सहायता दल

नगरीय निकायों में वार्डों के स्तर पर एक तकनीकी सहायता दल का गठन होगा। इसमें संबंधित विभाग के अधिकारी, संबंधित विषय विशेषज्ञ, स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधि होंगे। इसमें कम से कम 5 सदस्य होंगे, जो वार्ड स्तर पर नियोजन करेंगे।

ग्राम मास्टर प्लान ग्राम के विकास संबंधी सम्पूर्ण दस्तावेज़ है जिसमें ग्राम के समग्र तथा समावेशी विकास के लिये आवश्यक गतिविधियों का चयन, प्राथमिकीकरण तथा पात्र हितग्राहियों का निर्धारण स्वयं ग्रामवासियों द्वारा किया जाता है इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य तथा पोषण, आजीविका, अधोसंरचना, ऊर्जा एवं नागरिक अधिकार संरक्षण की विस्तृत कार्ययोजनाओं का समेकन होता है।

ग्राम मास्टर प्लान

1 ग्राम मास्टर प्लान क्या है?

1.1 संक्षिप्त विवरण : ग्राम मास्टर प्लान ग्राम का विकास संबंधी सम्पूर्ण दस्तावेज़ है जिसमें ग्राम के समग्र तथा समावेशी विकास के लिये आवश्यक गतिविधियों का चयन, प्राथमिकीकरण तथा पात्र हितग्राहियों का निर्धारण स्वयं ग्रामवासियों द्वारा किया जाता है। समस्त वर्गों जैसे महिलायें, अनुसूचित जाति, जनजाति, बुज़ुर्ग आदि की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए ग्राम में आधारभूत संरचनाओं और सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जाती है। उल्लेखनीय है कि मध्यप्रदेश विधानसभा द्वारा पारित संकल्प क्रमांक 14 के अनुपालन के अनुक्रम में राज्य योजना आयोग के सहयोग से प्रत्येक ग्राम का मास्टर प्लान निर्मित हुआ है।

ग्राम मास्टर प्लान अंतर्गत नियोजन के उन छः क्षेत्रकों की विस्तृत कार्ययोजनाओं का समेकन होता है जो मानव विकास को प्रभावित करते हैं। यह छः क्षेत्रक हैं - शिक्षा, स्वास्थ्य तथा पोषण, आजीविका, अधोसंरचना, ऊर्जा एवं नागरिक अधिकार संरक्षण।

1.2 ग्राम मास्टर प्लान हेतु आवश्यक प्रपत्र

अब तक की व्यवस्था के तहत तकनीकी सहायता दल को ग्राम कार्ययोजना निर्माण के लिये निर्धारित प्रपत्रों की आवश्यकता होती है, जिसमें उनके सहयोग द्वारा ग्राम में उपलब्ध संसाधनों, सेवाओं, प्रस्तावित गतिविधियों तथा पात्र हितग्राहियों से संबंधित जानकारी का संकलन किया जाता है। ग्राम मास्टर प्लान सिर्फ योजना प्रपत्रों का संकलन मात्र नहीं है, अपितु ग्राम मास्टर प्लान एक ग्राम के विकास की सम्पूर्ण तस्वीर है।

विभिन्न प्रक्रियाओं के समेकन का अंतिम व ग्राम विकास कार्यवाही के लिये प्रथम परिणाम है। अतः ग्राम मास्टर प्लान, प्रस्तावित कार्ययोजना प्रपत्रों पर लिए जाने वाले विभागीय निर्णय जैसे स्वीकृत कार्य/गतिविधि के लिये बजट आदि तथा पूर्व के स्वीकृत कार्यों की क्रियान्वयन स्थिति को समाहित करता हुआ ग्राम के विकास की विस्तृत प्रोफ़ाइल बताता है।

सहभागी नियोजन प्रक्रिया

2 ग्राम मास्टर प्लान निर्माण प्रक्रिया

2.1 नियोजन के दौरान ध्यान देने योग्य बातें

- तकनीकी सहायता दल (टी.एस.जी.) के प्रत्येक सदस्य द्वारा टी.एस.जी. हेतु पठन सामग्री का अध्ययन अवश्य कर लेना चाहिए।
- एक दिन पहले बैठक की मुनादी करवाएं, मुनादी में समय, स्थान और उद्देश्य स्पष्ट हों।
- बैठक की सूचना पंचायत सचिव और कोटवार के माध्यम से पूर्व में दी जानी चाहिए।
- बैठक की सूचना के समय यह स्पष्ट कर देना चाहिए कि बैठक में ग्राम नियोजन प्रक्रिया के माध्यम से ग्राम की कार्ययोजना निर्माण पर बातचीत होगी।
- बैठक का समय ऐसा रखा जाये जब सभी ग्रामवासी आसानी से आ सकें, बैठक में यह प्रयास करें कि महिलायें भी अधिक से अधिक संख्या में शामिल हो सकें।
- दल के सदस्य ग्राम का भ्रमण करें एवं ग्रामीणों से हाल चाल पूछें।
- व्यवहार में विनम्रता हो तथा बुज़ुर्गों एवं महिलाओं को सम्मान दें।
- ग्राम के सभी संस्थाओं का, स्कूल, आंगनवाड़ी इत्यादि का अवलोकन करें।
- ग्रामीणों को विभागीय योजनाओं की जानकारी दें।
- ग्राम के विकास से जुड़े मुद्दों पर लोगों को जिम्मेदारी का आभास करायें।
- क्षेत्रकवार समस्याओं पर समस्त वर्गों के साथ विचार-विमर्श करें।

2.1.2 क्या न करें

- ग्राम के बारे में पूर्वानुमान न लगायें।
- सचिव, सरपंच तथा एक तिहाई पंचों की अनुपस्थिति में ग्राम की कार्ययोजना बनाने का कार्य न किया जाए।
- ग्रामीणों से वार्तालाप के दौरान अपशब्दों का प्रयोग तथा आवेश में बात न करें।
- ग्रामीणों से भोजन इत्यादि की व्यवस्था के लिए न कहें।
- तकनीकी सहायता दल ग्राम की कार्ययोजना बनाने में तथा कार्ययोजना को उचित रूप प्रदान करने में ग्राम सभा की मदद करें न कि स्वयं कार्ययोजना बनाएं।

2.2 वातावरण निर्माण

यह मुख्यतः समुदाय के साथ एक संबंध स्थापित करने तथा सम्पूर्ण प्रक्रिया को समुदाय के स्तर पर स्थापित करने और समुदाय को नियोजन प्रक्रिया में सम्मिलित होने के लिये प्रेरित करने की प्रक्रिया है। पूरी प्रक्रिया की सफलता का आधार इस चरण पर निर्भर करता है।

2.2.1 ग्राम विकास समिति का उन्मुखीकरण : ग्राम विकास समिति ग्राम सभा की स्थाई समिति है, जिसे मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 के अंतर्गत ग्राम में नियोजन करने की जिम्मेदारी दी गई है। नियोजन प्रक्रिया, तकनीकी अधोसंरचना तथा बजट आदि मुद्दों पर तकनीकी सहायता दल आवश्यकता पड़ने पर इनकी मदद करेगा। यदि आवश्यकता हो तो ही ग्राम विकास समिति का विस्तार कर, सरपंच की अध्यक्षता में ग्राम नियोजन समिति का गठन किया जाये।

2.2.2 बैठकें, संपर्क, प्रचार-प्रसार : तकनीकी सहायता दल को वातावरण निर्माण के लिये स्थानीय स्तर पर ग्राम पंचायत सदस्यों और ग्राम स्तरीय सरकारी कार्यकर्ताओं (आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, एएनएम, ग्राम सेवक, अध्यापकों इत्यादि), प्रमुख ग्रामवासियों और विभिन्न ग्राम समितियों आदि के सदस्यों से मिलना चाहिए।

इसके साथ स्थानीय स्तर पर सक्रिय स्वैच्छिक संस्थाओं तथा महाविद्यालयों के विद्यार्थियों को नियोजन प्रक्रिया में सहयोग देने के लिये सम्मिलित किया जाना चाहिए। शासकीय योजनाओं तथा ग्राम मास्टर प्लान का ग्राम स्तर पर व्यापक प्रचार-प्रसार करना चाहिए। ग्राम नियोजन प्रक्रिया के एक दिन पहले बैठक की मुनादी करवाएं, मुनादी में समय, स्थान एवं उद्देश्य स्पष्ट हों।

2.3 ग्रामीण सहभागी सर्वेक्षण (पी.आर.ए.) विधि तथा समावेशी नियोजन प्रक्रिया : सर्वप्रथम पी.आर.ए. के अनुसार ग्राम के भ्रमण (ट्रांजेक्ट वॉक) पश्चात सामाजिक और संसाधन मानचित्र ग्रामीणों की सहभागिता से तैयार किया जाना चाहिए, तत्पश्चात् ग्राम में शासकीय और सार्वजनिक सुविधाओं की चर्चा की जाना चाहिए। मानचित्र बनाने में स्थानीय सामग्री जैसे- मिट्टी, पत्थर, लकड़ी, रंगोली पाउडर आदि का प्रयोग किया जाना चाहिए।

2.3.1 ग्राम का भ्रमण (ट्रांजेक्ट वॉक): ट्रांजेक्ट वॉक विधि का उपयोग कर ग्राम की बसाहट, कृषि क्षेत्र, मृदा, पहाड़, नदी-नालों, चारागाह, सामूहिक क्षेत्रों और अन्य संसाधनों की जानकारी प्राप्त की जाती है। साथ ही इस विधि का मुख्य उद्देश्य है कि क्षेत्र में प्राकृतिक संसाधनों के जो विभिन्न प्रकार हैं उन्हें स्वयं जाकर देखना, उनके विषय में जानकारी लेना, तथा समस्याओं और उपलब्धताओं को स्वयं समझना।

2.3.2 संसाधन मानचित्र : ग्राम में उपलब्ध प्राकृतिक एवं भौतिक संसाधन जैसे- जल, जमीन, जंगल, भवन एवं संरचनाएं ग्राम के प्रमुख संसाधन हैं। ग्राम का संसाधन मानचित्रण ग्रामीणों की सहायता द्वारा ही बनाया जाना चाहिए। संसाधन मानचित्र के आधार पर ग्राम की वर्तमान स्थिति और कमियों का विश्लेषण किया जा सकता है।

2.3.3 सामाजिक मानचित्र : सामाजिक मानचित्र बनाने का मुख्य उद्देश्य ग्राम की सामाजिक संरचना को समझना है। इसमें ग्राम में रहने वाले कमजोर वर्ग, विधवा, विकलांगों आदि के साथ उन्हें मिलने वाली सुविधाओं और कमियों को दिखाया जाता है। इसे बनाते समय ग्राम के लोग अपनी राय देते हैं। सामाजिक मानचित्र की मदद से बसाहट एवं संसाधन में पहुँच तथा दूरी का विश्लेषण तथा सामाजिक वर्गवार तथा आर्थिक स्तरवार ग्राम की बसाहट का विश्लेषण संभव हो पाता है।

2.3.4 उपेक्षित वर्गों के साथ समूह चर्चा : उपेक्षित वर्गों, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, महिलाएं, विकलांग तथा निराश्रित की भागीदारी के लिए इन वर्गों के समूहों के साथ पृथक-पृथक चर्चा की जानी चाहिये।

- नियोजन प्रक्रिया के प्रारंभ होने के पहले समाज के वंचित वर्गों तक ग्राम सभा की बैठक में सम्मिलित करने के लिए सूचनाओं का प्रचार करना।
- बैठक के दौरान उन्हें अपने विचार तथा अभिव्यक्ति व्यक्त करने में पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करना।
- इन वर्गों द्वारा बतायी गयी समस्याओं और प्राथमिकताओं को महत्व देते हुए उन्हें चिन्हित करना।

सामाजिक समावेशन की दिशा में तकनीकी सहायता समूहों की भूमिका

जेंडर संवेदनशीलता : जैसा कि हम जानते हैं कि विकास के कार्यों में महिलाओं की सहभागिता का स्तर बढ़ाये जाने की आवश्यकता है। अतः यह आवश्यक है कि तकनीकी सहायता दल के सदस्य, महिलाओं की नियोजन में भागीदारी को बढ़ावा देने के लिये हर संभव प्रयास करें। ग्राम में महिलाओं से संबंधित कई मुद्दे हो सकते हैं जैसे- महिलाओं का दूर से पानी लाना, महिला स्वयं सहायता समूह के उत्पाद के लिए पर्याप्त बाजार व्यवस्था न होना, शाला में बालिकाओं के लिये पृथक शौचालय का न होना, घर में

शौचालय की आवश्यकता आदि। अतः महिलाओं की भागीदारी बढ़ाकर जेंडर मुद्दों पर नियोजन प्रक्रिया में चर्चा अवश्य की जाना चाहिए।

जानकारी एकत्रीकरण एवं विश्लेषण

ग्राम की आधारभूत जानकारी : ग्राम को बेहतर समझने के लिए ग्राम की आधारभूत जानकारी नियोजन के लिये अत्यंत आवश्यक है। जैसे- जनसंख्या, परिवारों व किसानों का वर्गीकरण, शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधा, विद्युत व पेयजल व्यवस्था, सिंचाई के साधन व अन्य मूलभूत संसाधनों की वर्तमान स्थिति। इन जानकारियों को संकलित करने के लिए आधारभूत जानकारी प्रपत्र का इस्तेमाल किया जाएगा। इस प्रक्रिया से यह भी पता चलेगा कि कौन-कौन सी सुविधाएं ग्राम में न होकर कितने किलोमीटर दूरी पर हैं।

ग्राम की मुख्य समस्याओं की पहचान तथा विश्लेषण के लिये तकनीकी सहायता दल सभी वर्गों के साथ पृथक-पृथक चर्चा करेंगे। तकनीकी सहायता दल इस प्रक्रिया को ग्राम विकास समिति के माध्यम से सुनिश्चित करेंगे। चर्चा में विभिन्न क्षेत्रकों जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, आजीविका, अधोसंरचना, ईंधन एवं ऊर्जा और नागरिक अधिकार एवं संरक्षण से सम्बंधित मुद्दों तथा समस्याओं को चिन्हित किया जाना चाहिए।

ग्राम बजटीय कार्ययोजना : समस्याओं के समाधान के लिये तकनीकी सहायता दल संसाधनों की उपलब्धता, मापदण्डों, तकनीकी संभावना, बजट आदि को ध्यान में रखते हुए आवश्यक गतिविधियों को कार्ययोजना में शामिल करेंगे। समस्याओं की गंभीरता तथा ग्रामवासियों की सहमति से ही गतिविधियों की प्राथमिकता तथा क्रियान्वयन स्थल निर्धारित किए जाएंगे।

गतिविधि निर्धारण एवं प्राथमिकीकरण : ग्राम की सबसे प्रमुख समस्या को दूर करने के क्रम में ग्रामीणों के अनुसार जो गतिविधि सबसे अधिक महत्वपूर्ण है उसे

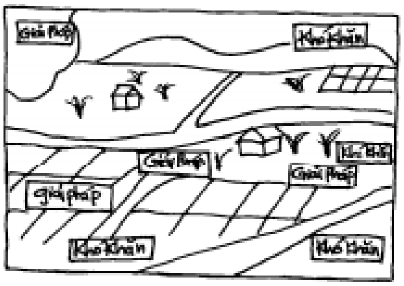

प्राथमिकता क्रम में पहला स्थान दिया जायेगा। यदि ग्राम सभा चाहे तो वह पहले से तय प्राथमिकता क्रम में कुछ बदलाव कर सकती है, ग्राम सभा को इसका अधिकार है, परंतु तकनीकी सहायता दल इस दौरान ध्यान रखेंगे कि यदि इससे उपेक्षित वर्गों का हित प्रभावित होता हो तो वे इसे ग्राम सभा के ध्यान में लायेंगे। ग्राम स्तर पर प्रस्तावित गतिविधियों का पूर्ण विवरण टी.एस.जी. के तकनीकी सहयोग से प्रपत्रों में भरा जाना है। जैसे गतिविधि की इकाई, इकाई लागत, प्रस्तावित इकाइयां, संबंधित योजना, विभाग, कुल अनुमानित लागत, लाभान्वित क्षेत्रक आदि की जानकारी। विभागों द्वारा पूर्व वर्षों में स्वीकृत कार्यों की वर्तमान क्रियान्वयन स्थिति का आकलन भी ग्राम मास्टर प्लान निर्माण प्रक्रिया के दौरान तकनीकी सहायता दल के सहयोग से किया जाता है।

चिन्हित हितग्राहियों की जानकारी : प्रस्तावित व्यक्तिगत तथा सामूहिक गतिविधियों के संभावित पात्र हितग्राही भी चर्चा के दौरान चिन्हित किए जाना चाहिए। आवश्यक जानकारी जैसे संबंधित योजना, आयु, बी.पी.एल. क्रमांक, शैक्षणिक योग्यता आदि प्रपत्र में अंकित किए जाना चाहिए।

ग्राम सभा के सुझाव एवं अनुमोदन : तकनीकी सहायता दल के सहयोग से ग्राम की कार्ययोजना तैयार होने के बाद ग्राम विकास समिति इसे ग्राम सभा में सुझाव और अनुमोदन के लिये प्रस्तुत करेगी। ग्राम सभा में उपस्थित सदस्यों के साथ चर्चा कर, गतिविधियों की प्राथमिकता तथा पात्र हितग्राहियों के अनुमोदन के लिये निर्णय लिया जाएगा। ग्राम सभा यदि कोई संशोधन चाहे या कोई सुझाव दे उसे ज़रूर सम्मिलित किया जाए। ग्राम विकास समिति कार्ययोजना को तकनीकी सहायता दल के सहयोग से अंतिम स्वरूप प्रदान कर ग्राम सभा से अनुमोदित कराकर निश्चित प्रारूप में ग्राम पंचायत को भेजेगी।

ग्राम पंचायत स्तर पर समेकन : ग्राम पंचायत की योजना ग्रामों की कार्ययोजना का समेकन है। ग्राम सभा से योजना का अनुमोदन होने के उपरांत ग्राम पंचायत स्तर पर इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा। ग्राम पंचायत स्तर पर ग्रामों की योजना के अतिरिक्त वही काम सम्मिलित किये जा सकेंगे जो दो या दो से अधिक ग्रामों को जोड़कर किये जाने से संबंधित हों।

जनपद स्तर पर कार्ययोजना का समेकन : जनपद स्तर पर समस्त ग्राम मास्टर प्लान के समेकन तथा वेब आधारित सॉफ्टवेयर में डाटा की प्रविष्टि की जाती है। और फिर यह उक्त योजना जिला स्तर पर भेजी जाती है।

जिला स्तर पर समेकन तथा डीपीसी के समक्ष प्रस्तुतीकरण : जनपद स्तर से समेकित योजना जिला स्तर पर भेजी जाती है जहां जिला स्तर से प्रस्तावित गतिविधियों को योजना में जोड़ा जाता है। फिर यह योजना जिला योजना समिति के समक्ष चर्चा तथा अनुमोदन के लिए प्रस्तुत की जाती है।

नगरीय वार्ड स्तरीय तकनीकी सहायता दल : दो से तीन वार्डों पर प्रक्रिया संचालन, तकनीकी मार्गदर्शन तथा नियोजन की कार्यवाही को पूर्ण कराने के लिये स्थानीय अधिकारियों/स्वयं सेवी संस्थाओं/सामाजिक कार्यकर्ताओ को सम्मिलित करते हुए नगरीय तकनीकी सहायता दलों को नियोजन की कार्यवाही सौंपी गयी है। यह दल मोहल्ला स्तरीय समितियों के साथ समन्वय कर नियोजन की प्रक्रिया को ग्रामीण प्रक्रिया अनुसार ही पूर्ण करते हैं तथा इन योजनाओं का समेकन करके वार्ड स्तरीय योजना तैयार की जायेगी।

तकनीकी सहायता दल-महत्व और भूमिका

तकनीकी सहायता दल

एक सहजकर्ता : योजना निर्माण प्रक्रिया में तकनीकी सहायता दलों की महत्वपूर्ण भूमिका है। तकनीकी सहायता दल की मुख्य जिम्मेदारी संबंधित ग्राम पंचायत अथवा वार्ड में आने वाले सभी ग्रामों में नियोजन प्रक्रियाओं के आधार पर एक सहजकर्ता की तरह विभिन्न हितभागियों के साथ मिलकर ग्राम तथा वार्ड की कार्य योजना तैयार कराना तथा ग्रामों की योजना के समेकन से ग्राम पंचायत की योजना तैयार करने में तकनीकी सहयोग देना होता है। फलस्वरूप जिले के स्तर पर समेकित योजना तैयार करना व्यावहारिक हो जाता है और योजनाएं वास्तविकता के अधिक निकट होती हैं।

गठन और सदस्य : ग्राम पंचायत स्तरीय तकनीकी सहायता दल में विभिन्न विभागों के जमीनी स्तर के अधिकारी, कर्मचारी तथा सक्रिय स्वयंसेवी संस्था, स्वैच्छिक संगठन/स्वयं सहायता समूह, विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के विद्यार्थी आदि हो सकते हैं। टी.एस.जी. का गठन दो या तीन ग्राम पंचायतों के क्लस्टर पर किया जाता है तथा प्रत्येक टी.एस.जी. में 4-6 या उससे अधिक सदस्य हो सकते हैं जैसे:-

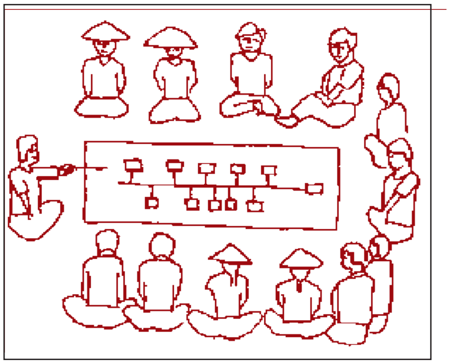

- **शिक्षा क्षेत्रक के लिए -** जनशिक्षक, संकुल समन्वयक इत्यादि;
- **स्वास्थ्य तथा पोषण क्षेत्रक के लिए -** ए.एन.एम., एम.पी.डब्ल्यू., पर्यवेक्षक महिला एवं बाल विकास विभाग, इत्यादि;
- **आजीविका क्षेत्रक के लिए -** कृषि विस्तार अधिकारी, अतिरिक्त विकास विस्तार अधिकारी, उप-वन क्षेत्रपाल इत्यादि;
- **अधोसंरचना क्षेत्रक के लिए -** ग्रामीण यांत्रिकी, लोक निर्माण, सिचाई, मनरेगा इत्यादि से उप-यंत्री;
- **ऊर्जा, ईंधन तथा वैकल्पिक ऊर्जा के लिए-** वन, राजस्व विभाग से वन क्षेत्रपाल, पटवारी इत्यादि;
- **नागरिक अधिकार संरक्षण क्षेत्रक के लिए-** सक्रिय एवं अनुभवी स्वयं सेवी संस्था या स्वैच्छिक संगठन इत्यादि।

नियोजन प्रक्रिया के लिए टी.एस.जी. चेकलिस्ट

- आगामी योजना वर्ष के लिए ग्राम मास्टर प्लान, वार्ड प्लान, प्रपत्रों, प्रशिक्षण सामग्री आदि को जिला/जनपद स्तर से प्राप्त करना।
- समस्त समुदायों, उपेक्षित वर्गों की भागीदारी और आवश्यकताओं को ग्राम अथवा वार्ड नियोजन प्रक्रिया में शामिल किया जाना सुनिश्चित करना।
- गतिविधियों को सही योजना, विभाग, लागत, क्षेत्रक आदि से जोड़ना।
- संभावित हितग्राहियों के सही चयन में सहयोग देना।
- नियोजन के लिए सम्पूर्ण जानकारी तथा डेटा की गुणवत्ता सुनिश्चित करना।
- पूर्व वर्षों के अनुमोदित कार्यों की वर्तमान क्रियान्वयन स्थिति सम्मिलित करना।
- ग्राम तथा वार्ड सभा को निर्मित कार्ययोजना के प्रस्तुतीकरण, चर्चा तथा अनुमोदन के लिए सहयोग देना।
- अनुमोदित ग्राम कार्ययोजना को ग्राम पंचायत स्तर पर समेकन के बाद जनपद पंचायत स्तर पर ऑनलाइन डाटा एंट्री के लिए जमा कराना।
- वार्ड सभा द्वारा अनुमोदित कार्य योजना को ऑनलाइन डाटा एन्ट्री के लिए जमा कराना।

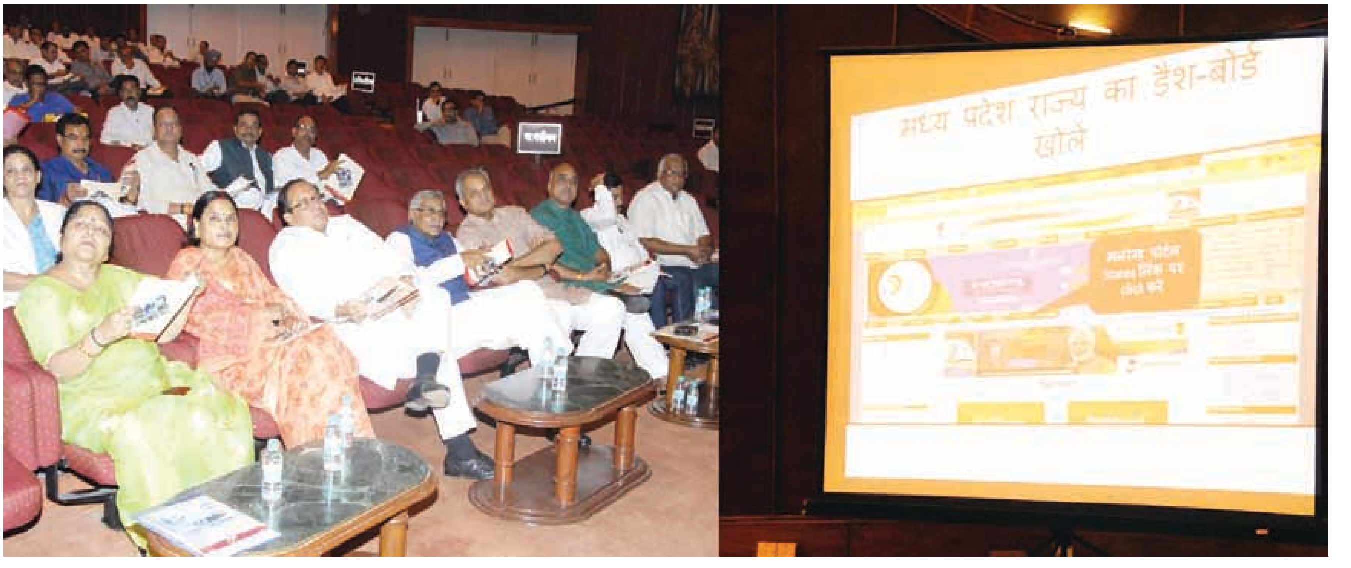

पंचायत दर्पण, मनरेगा और समग्र पोर्टल से
बेहतर निगरानी और क्रियान्वयन

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित तीन उपयोगी पोर्टल पंचायत दर्पण, मनरेगा पोर्टल और समग्र पोर्टल की कार्य-प्रणाली का प्रेजेन्टेशन 22 जुलाई को विधानसभा स्थित मानसरोवर सभागृह में किया गया। विधायकगण को इन पोर्टल के संबंध में विस्तृत जानकारियां प्रदान की गईं। इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष डॉ. सीताशरण शर्मा, उपाध्यक्ष डॉ. राजेन्द्र सिंह और स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री श्री दीपक जोशी भी मौजूद थे।

विधानसभा अध्यक्ष डॉ. शर्मा ने पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित विभिन्न पोर्टल की कार्य-प्रणाली की विशेषताओं की सराहना की। उन्होंने कहा कि पोर्टल के माध्यम से ग्राम पंचायतों में संचालित सामुदायिक विकास और हितग्राहीमूलक योजनाओं की प्रगति के बारे में अद्यतन जानकारी सदस्यों को आसानी से मिल सकेगी। इससे उन्हें विकास कार्यों और जन-कल्याणकारी कार्यक्रमों की निगरानी और मॉनीटरिंग में भी मदद मिलेगी।

अपर मुख्य सचिव श्रीमती अरुणा शर्मा ने ग्रामीण विकास योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन के बारे में विभागीय पोर्टल की उपयोगिता पर प्रकाश डाला। उन्होंने विधानसभा सदस्यों से आग्रह किया कि वे इन पोर्टल के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित योजनाओं पर निगाह रखें और विकास कार्यक्रमों के बेहतर क्रियान्वयन के बारे में जिम्मेदार अधिकारियों का मार्गदर्शन करें। सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास श्री संजीव कुमार झा ने पंचायतों के माध्यम से संचालित योजनाओं की जानकारी के लिये बनाये गये पंचायत दर्पण पोर्टल की कार्य-प्रणाली को प्रदर्शित किया।

मनरेगा आयुक्त श्रीमती स्मिता भारद्वाज ने मनरेगा पोर्टल के जरिये महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी रोजगार योजना के संबंध में मिलने वाली सभी जानकारियों के बारे में बताया। उन्होंने मनरेगा की प्रबंधकीय सूचना प्रणाली और ऑनलाइन भुगतान व्यवस्था से भी अवगत कराया।

संचालक समग्र सामाजिक सुरक्षा मिशन श्री अजीत कुमार ने समग्र के माध्यम से क्रियान्वित योजनाओं का लाभ हितग्राहियों देने की कार्य-प्रणाली को प्रदर्शित किया। उन्होंने समग्र खाद्य पोर्टल के माध्यम से 5.25 करोड़ पात्र हितग्राहियों को खाद्य सुरक्षा का लाभ प्रदान करने और समग्र शिक्षा पोर्टल से 30 विभिन्न प्रकार की छात्रवृत्तियों का लाभ 80 लाख से अधिक विद्यार्थियों को देने की कार्य-प्रणाली को दर्शाया।

समग्र पेंशन पोर्टल के जरिये 30 लाख से अधिक हितग्राहियों को केन्द्र और राज्य सरकार से मिल रही 6 विभिन्न प्रकार की पेंशन योजनाओं के भुगतान की व्यवस्था के बारे में बताया। प्रमुख सचिव विधानसभा श्री भगवानदेव ईसराणी ने आभार माना।

● देवेन्द्र जोशी

भारत का पारंपरिक विज्ञान व्यक्तिगत स्वत्व के लिए नहीं था, वह सामूहिक अनुभव और उपयोग की चीज थी, सामुदायिक सम्पदाओं की तरह, एक कॉमन प्रापर्टी रिसोर्स। पंचायतों के रूप में जागृत हो रहे स्थानीय समाज को अब अपने परिवेश के प्रति विशेष रूप से सजग होना होगा। पंचायतें जिस 'भारतमाता ग्रामवासिनी' के 'धूल भरे मैले से आंचल' से निकली हैं, उसमें हो सकता है कि बहुत नफासत, चटक मटक और आभिजात्य न हो, लेकिन वे इस दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं कि भारतीय ग्राम समाज के आत्मविश्वास को संजोकर रख सकने की सामर्थ्य उनमें है। पंचायतें ग्राम समाज के इस आत्मविश्वास की पुनर्वापसी का एक महत्वपूर्ण यंत्र हैं। इस आलेख के माध्यम से पंचायतों और विविध पक्षों के सहभागी विज्ञान का पक्ष स्पष्ट कर रही हैं मुक्ति श्रीवास्तव।

पंचायतें और सहभागी विज्ञान

पंचायतें एक दिन भारत को आधुनिक विज्ञान के प्रति भारतीय नौकरशाही और मध्यमवर्ग की मोहान्ध वासना से भी मुक्ति दिलाएंगी। उनके द्वारा ही उस द्वैत-मुक्त विज्ञान (non-dualist science) का पुनरुत्थान होगा जिसे जे.पी.एस. उबेराय ने अपनी पुस्तक 'साइंस एंड कल्चर' (1978) में प्रामाणिक रूप से स्वराजी कहा है। आधुनिक विज्ञान की जड़ें भी उसकी किसी 'संस्कृति' में हैं और वह किसी पैकेज डील का अंग रहा है। यह सौदागरी गुलाम के द्वारा किया गया सौदा है। आशीष नंदी की सलाह है कि आधुनिक विज्ञान का भारतीय उद्देश्यों के लिए संपादित संस्करण इस्तेमाल करने की जगह भारत समसामयिक प्रयोजनों के लिए पारंपरिक विज्ञान का एक संपादित संस्करण इस्तेमाल कर सकता है। मुझे याद है कि भारतीय दक्षिणपंथियों का एक समय यह कहकर मजाक उड़ाया जाता था कि दुनिया में विकसित हर नई वैज्ञानिक चीज का सन्दर्भ इन्हें भारतीय पुरा-ग्रंथों में नजर आता है जबकि ये स्वयं कुछ नहीं करते। लेकिन औद्योगिक समाजों की जिस विशेषता को ये दक्षिणपंथी अपनी सांस्कारिक विनम्रतावश बता नहीं सके वह विशेषता थी इन समाजों का अपहरण और लूट (plunder) के सिद्धांत पर आधारित होना। ये समाज बिना चोरी के विकसित नहीं हो सकते थे, इसलिए औद्योगिक क्रान्ति बिना साम्राज्यवाद के सफल नहीं हो सकती थी। मेनचेस्टर के लिए भारत अपरिहार्य था। यदि भारत में आज कुछ भारी उद्योग हैं तो वहां भी एक सूक्ष्म आंतरिक औपनिवेशन देखा जा सकता है। लूट के इस सिद्धांत को आज भी पूरी बेशर्मी से अपनाया जा रहा है। वणिकवृत्ति द्विजत्व का - सर्जना, कल्पना और मौलिकता का दावा करने के लिए चोरी से अधिक कुछ कर भी नहीं सकती, इसलिए बौद्धिक संपदा अधिकारों का सारा प्रपंच है। इसे कभी तृतीय विश्व के देशों में मर्क, लिन्टास, सीबा गायगी जैसी कंपनियों द्वारा 'प्लांट स्क्रीनिंग प्रोग्राम' के नाम से चलाया जाता है, कभी हल्दी, नीम, बासमती चावल का पेटेंट अपने लिए हड़पने की कोशिश की जाती है। जो बात नहीं समझी जा रही है वह यह कि डलहौजी की हड़प नीति (doctrine of lapse) यदि उन्नीसवीं सदी के भूमि-आधारित साम्राज्यवाद के लिए थी तो आज के बहुराष्ट्रीय कंपनियों के आर्थिक, साम्राज्यवाद में भी हड़पनीति काम कर रही है। तीसरी दुनिया के प्राकृतिक संसाधन और पुरा ज्ञान से सम्पन्न आदिम क्षेत्र आज द्विज हैं - कल्पना और मौलिकता के ब्राह्मणत्व से सम्पन्न। दूसरी ओर वाणिज्य-निपुण कंपनियाँ वैश्यवृत्ति के साथ वेश्यावृत्ति भी करने के लिए सारे ताम-झाम जुटाए हुए हैं। 1 जनवरी 1966 और 5 अगस्त 1997 को दो पेटेंट अमेरिकियों ने काले जीरे पर सिल्विया ली हांग/फिलिप हांग और माइल्स सी. हफ्सट्टलर व गैरी एम. स्टुअर्ट के नाम पर जारी कराए। सरसों पर 14 से अधिक पेटेंट कनाडा, फ्रांस, चीन और अमेरिकी कंपनियों के नाम जारी हो चुके हैं। रिसर्च फाउंडेशन फॉर साइंस, टेक्नोलाजी एंड इकोलोजी ने ऐसे 27 पेटेंटों का उल्लेख किया है जो आयुर्वेद और

भारतीय जनता के दैनिक अनुभव की चीज हैं लेकिन जिनके शोधकर्ता के रूप में कभी विस्कोंसिन एल्युमनी कंपनी, कभी प्राक्टर एंड गैंबल कम्पनी, कभी सेंज फामर्स्यिटिकल कंपनी लिमिटेड, जापान, कभी न्यूयार्क विश्वविद्यालय के नाम सामने आ रहे हैं। रायल्टी इन्हें चुकाई जाएगी क्योंकि ये वैज्ञानिक टेंपर के लोग महान मनीषी हैं - इन्होंने जिस तप और साधना का परिचय दिया है वह तृतीय विश्व के पिछड़े हुए अंधविश्वासी लोगों में कहां संभव है? उनके पास परंपरा के प्रति लायल्टी (निष्ठा) है, रखे रहें। इनके पास रायल्टी है।

ग्रियर्सन से आज से दो शताब्दियों पूर्व के भारतीयों को तत्कालीन यूरोपियों से कहीं अधिक बुद्धिमान और सुसंस्कृत पाया था तो मुझे लगता है कि गलत नहीं था। मौखिक परंपरा ने उन्हें आज भी पश्चिमी चोरों से बेहतर बना रखा है। पेटेंट अधिकारों की विशेषता है उनका एकान्त (exclusive) स्वत्व में होना जबकि भारत का पारंपरिक विज्ञान व्यक्तिगत स्वत्व के लिए नहीं था, वह सामूहिक अनुभव और उपयोग की चीज थी, सामुदायिक सम्पदाओं की तरह, एक कॉमन प्रापर्टी रिसोर्स। क्योंकि विद्या को यदि धन माना भी गया तो आदर्श यह था : 'दाने कुते वर्द्धति चैव नित्यं विद्याधनं सर्वधनप्रधानम्' - वह दान से नित्य बढ़ती है, विद्या सब धनों में श्रेष्ठ है, या यह कि 'हे सरस्वती, यह (विद्या) तुम्हारा बड़ा ही अनोखा कोष है जो दान देने से बढ़ता है किन्तु गाड़ कर रखने से नष्ट हो जाता है।'

अपूर्वः कोडपि कोषोडयं विद्यते तव भारति।
दानेन वृद्धिमायाति संचयेन विनश्यति।।

भारत ने अपनी लोक-स्वास्थ्य-परंपराएं इसी तरह से अभिवर्द्धित की थीं। प्राचीन भारतीय विद्वान अपने 'व्यक्ति' का इतना 'वर्जन' करते थे कि कई ग्रंथों के मूल लेखक का पता लगाना आज तक एक टेढ़ी खीर रहा आया है। ठीक उसी के सांस्कृतिक प्रति-बिन्दु के रूप में यह कॉपी-राइट और पेटेंट वाली दुनिया है जो ज्ञान को इस कदर पूंजीकृत करती है कि ईवान ईलिच के शब्दों में, 'मेडिकल निमेसिस' पैदा हो जाता है। इसमें गाड़ कर रखने वाली मूर्खता भी वैसे ही नहीं है, जैसे ज्ञान-दान का औदार्य नहीं है। यहां ज्ञान का दान नहीं होता, व्यापार होता है। जो देश विद्या के बारे में इस गलतफहमी में ग्रस्त रहा कि 'न चौर चौर्य न राजदण्डयं' (विद्या रूपी धन को चोर चुरा नहीं सकता) या 'सर्वद्रव्येषु विद्यैव द्रव्यमाहुरनुत्तमम अहार्यत्वात्' (चुराने के योग्य न होने के कारण सब धनों में विद्या रूपी धन को श्रेष्ठ धन कहा गया है), वह बौद्धिक संपदा अधिकारों की चोरी के बारे में सजग भी कैसे हो सकता है? 'विद्याधन' और 'बौद्धिक संपदा' अर्थात्मक रूप से काफी नजदीक हैं। फर्क है तो संस्कृति का। एक में विद्या ही धन है, दूसरे में विद्या धन प्राप्त करने का, रायल्टी कमाने का साधन है।

देश के एक राज्य में इस बात पर विचार चल रहा है कि क्या पंचायतों को कंपनी का स्टेटस दिया जा सकता है। हालांकि उनके अभिप्राय कंपनी के रूप में पंचायतों को कुछ दूसरे लाभ दिलाने के हैं, लेकिन मुझे इसमें भारत के बौद्धिक संपदा अधिकारों की रक्षा की एक संभावना नजर आती है और पारंपरिक विज्ञान की समाजोपयोगी उपलब्धियों के संरक्षण का अवसर भी। पंचायतों के रूप में जागृत हो रहे स्थानीय समाज को अब अपने परिवेश के प्लंडर के प्रति विशेष रूप से सजग होना होगा। क्षेमेन्द्र जैसे आचार्य ने कभी अपने कवियों को उपदेश दिया था कि वे लोक साहित्य की वाचिक परंपरा से अपना परिचय बढ़ाएं क्योंकि नए अभिप्राय वहीं से मिल सकते हैं। उनका उपदेश कवियों ने कुछ ग्रहण किया हो, लेकिन क्या पंचायतें और शासन ग्रहण करेंगे ताकि बौद्धिक संपदा अधिकारों के अधिकाधिक अर्जन की दौड़ में शामिल होकर जो यहां के 'लोक' का है, उसको यहां से तस्करित होने से बचाया जा सके। संस्कारिता को अज्ञेय ने भारतीय समाज की निर्मात्री प्रतिभा कहा था लेकिन हमारे संस्कार विदेशी कंपनियों के पूंजी-भंडार का निर्माण कर रहे हैं। पूर्व के आश्रित देश पश्चिम के सिर्फ आर्थिक उपनिवेश ही नहीं थे, बौद्धिक उपनिवेश भी थे। यह बौद्धिक उपनिवेशन आज तक न केवल चला आया है बल्कि और मजबूत हुआ है, इसका उदाहरण हमारी परंपरागत रूप से लेकर अब तक कायम वे बौद्धिक संपदाएं हैं जिन्हें विदेशी लोग अपार धनराशि कृतने के लिए अब अपनी जता-बता रहे हैं।

पंचायतें जिस 'भारतमाता ग्रामवासिनी' के 'धूल भरे मैले से आंचल' से निकली हैं, उसमें हो सकता है कि बहुत नफासत, चटक मटक और आभिजात्य न हो, लेकिन वे इस दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं कि भारतीय ग्राम समाज के आत्मविश्वास को संजोकर रख सकने की सामर्थ्य उनमें है। यह आत्मविश्वास उन लोगों ने खत्म किया जो स्वयं को तो प्रगतिशील मानते थे, लेकिन औसत ग्रामीण को पिछड़ा हुआ, पुरापंथी, 'वैज्ञानिक टेंपर' से रहित बताते चले आए। चंद्र किताबी अक्षर पढ़कर उन्हें उन लोगों के तिरस्कार का अधिकार मिल जाता है जो जमीन, मिट्टी, पेड़-पौधे, खेत, फसलें, आकाश को पढ़ना जानते रहे हैं। जो लोग स्वयं दस पेड़ों के पृथक-पृथक नाम नहीं बता सकते हैं, जिन्हें ज्वार और बाजरे, कोदों-कुटकी के फर्क नहीं मालूम - वे भारत के करोड़ों-करोड़ लोगों को निरक्षर और अज्ञानी बताने की धृष्टता करते आए हैं। आखिरकार मिट्टी की पहचान, मौसम की भौंहों को पढ़ना, आकाश के तेवर का पूर्वानुमान करना यदि साइंटिफिक टेंपर नहीं है तो क्या माइकल जैक्सन की भोंडी नकल में कूल्हे मटकाना साइंटिफिक टेंपर है? पंचायतें ग्राम समाज के इस आत्मविश्वास की पुनर्वापसी का एक महत्वपूर्ण यंत्र हैं। इसी मायने में मुझे उनका सबसे अधिक महत्व समझ में आता है। यदि यह पुनर्वापसी नहीं होती तो पंचायतें कोई खोज (डिस्कवरी) या पुनर्खोज (रि-डिस्कवरी) नहीं होंगी, एक आविष्कार होंगी। शताब्दियों से विदेशी आक्रमणों की धूल जिस पर बैठ गई हो, यह वह सांस्कृतिक कृति नहीं, यह तो एक नवाचार होगा। कुछ कुछ अमेरिकी बासमती चावल जैसा, नाम वही, चीज दूसरी और बदमजा।

मध्यप्रदेश में सुगंधित मीठे दूध का वितरण शुरू

अस्सी लाख बच्चों को मिलेगा लाभ

बच्चों की तंदुरुस्ती के लिये मध्यप्रदेश में मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम में 15 जुलाई से प्राथमिक स्कूल और आँगनवाड़ी में सप्ताह में तीन दिन सुगंधित मीठा दूध (स्वीटेन्ड और फ्लेवर्ड मिल्क) के वितरण की शुरुआत हो गई है। फ्लेवर्ड मिल्क को सुरक्षित और स्वच्छ तरीके से तरल रूप में तैयार कर बच्चों को दिया जा रहा है। हर बच्चे को 100 मि.ली. फ्लेवर्ड मिल्क दिया जाएगा।

योजना में प्रदेश के 79 लाख 84 हजार बच्चों को सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुगंधित दूध मिलेगा। कुल 85 हजार प्राथमिक शालाओं के 45 लाख 84 हजार बच्चों और आँगनवाड़ी के 34 लाख बच्चों को इसका लाभ मिलेगा। बच्चों के स्वास्थ्य की बेहतरी के लिये इस योजना पर इस वित्त वर्ष में करीब 265 करोड़ और अगले वर्ष में करीब 291 करोड़ खर्च होंगे।

पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री गोपाल भार्गव ने बताया कि बच्चों को फ्लेवर्ड मिल्क देने के बेहतर नतीजे सामने आये हैं। विदिशा जिले में पायलेट प्रोजेक्ट के रूप में चार माह के लिये प्रतिदिन दूध बच्चों को दिया गया था। इस अनूठी पहल से बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार के साथ बच्चों की उपस्थिति में भी सुधार देखा गया। शिक्षकों और ग्रामीणों ने भी इस प्रयास को सराहा। विदिशा के इस प्रयोग से बच्चों के वजन, ऊँचाई और सामान्य स्वास्थ्य में सुधार आया। बच्चों की बौद्धिक क्षमता के सकारात्मक विकास के साथ कुपोषण को दूर करने में भी मदद मिली। मध्यप्रदेश सहकारी दुग्ध संघ द्वारा प्रदाय किये जाने वाले मिल्क पाउडर से यह दूध तैयार किया जा रहा है। यह मिल्क पाउडर 5 फ्लेवर इलाइची, चाकलेट, पायनेपल, स्ट्राबेरी, रोज के पेक में उपलब्ध करवाया गया है। फ्लेवर को मिल्क पाउडर में पहले से ही मिश्रित कर पेक तैयार किया जाता है। दुग्ध महासंघ के अमले द्वारा मिल्क पाउडर से दूध तैयार करने का प्रशिक्षण भी आँगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और स्कूल के शिक्षकों को दिया गया है। स्वच्छ पानी को सावधानी से उबालकर तथा उसे ठंडा करने के बाद बच्चों की संख्या के आधार पर मिल्क पाउडर मिलाकर दूध तैयार किया जाता है। दुग्ध संघ द्वारा 25-25 किलो के बल्क पेक में जिला पंचायत तक फ्लेवर्ड मिल्क पाउडर के वितरण की व्यवस्था की गई है। क्रियान्वयन एजेंसी द्वारा स्व-सहायता समूह और स्कूल स्तर तक स्थानीय परिवहन व्यवस्था के जरिये इसे पहुँचाया जा रहा है। पाउडर के परिवहन के समय जरूरी सावधानी बरतने के बारे में इस एजेंसी को प्रशिक्षित किया गया है। पाउडर के हर पेक पर निर्माण की तिथि और एक्सपायरी डेट आवश्यक रूप से मोटे अक्षर में अंकित रहेगी। मिल्क पाउडर की एक्सपायरी डेट दो माह रहेगी।

प्रदेश में सौ आदर्श आँगनवाड़ी खुलेंगी

केन्द्रीय महिला-बाल विकास मंत्री श्रीमती मेनका गाँधी ने महिला-बाल विकास मंत्री श्रीमती माया सिंह के आग्रह पर प्रदेश के लिए 100 उत्कृष्ट और आदर्श आँगनवाड़ी केन्द्र खोलने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी। श्रीमती सिंह ने 17 जुलाई को नई दिल्ली में श्रीमती गाँधी से मुलाकात की। उन्होंने मध्यप्रदेश में महिलाओं और बच्चों के सर्वांगीण विकास के किये जा रहे नवाचारों की सराहना की और उन्हें अनुकरणीय बताया।

मंत्री श्रीमती माया सिंह ने महिला-बाल विकास के लंबित मुद्दों पर केन्द्रीय मंत्री श्रीमती गाँधी से चर्चा की। उन्होंने भारत सरकार द्वारा सहमति प्राप्त परियोजनाओं में नियमित फंडिंग और उसमें वृद्धि की मांग की। आई.सी.डी.एस. मिशन में जिलों में स्थापित होने वाले सेल उमरिया, अनूपपुर और आगर मालवा में खोलने के प्रस्ताव को स्वीकृति देने को कहा। अभी यह सेल 48 जिलों में कार्यरत हैं। श्रीमती सिंह ने प्रदेश में राज्य-स्तरीय पोषण रिसोर्स सेंटर और फास्टर केयर पूल बनवाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि केयर पूल बनने से जिलों को जरूरत के मुताबिक राशि दी जा सकेगी। प्रदेश में वन स्टाप क्रायसिस सेंटर शुरू करने का भी आग्रह किया।

श्रीमती सिंह ने केन्द्रीय मंत्री श्रीमती गाँधी को किशोरी बालिकाओं के लिए शुरू किये गये उदिता प्रोजेक्ट के बारे में बताया। उन्होंने आँगनवाड़ी चलो अभियान और दूध वितरण की जानकारी दी। श्रीमती गाँधी ने प्रदेश सरकार द्वारा किये जा रहे प्रयासों पर बधाई दी। उन्होंने कहा कि शीघ्र ही प्रदेश में वन स्टाप क्रायसिस सेंटर को स्वीकृति दी जाएगी। उन्होंने अन्य मुद्दों पर भी शीघ्र निर्णय लेने का आश्वासन दिया।

● **मनोज पाठक**

बेटी के जन्म पर उत्सव होगा

पंचायत स्तर पर बेटी के जन्म को उत्सव के रूप में मनाया जाएगा। बधाई गीत के साथ ढोल भी बजेंगे। इसके लिए 23 हजार पंचायत में सरपंच तथा पार्षद की अध्यक्षता में समिति गठित होगी जो ये कार्यक्रम करेगी। महिला-बाल विकास मंत्री श्रीमती माया सिंह ने यह जानकारी देते हुए बताया कि इससे समाज में बेटी के प्रति सम्मान पैदा होगा और भ्रूण हत्या पर रोक लगेगी।

मंत्री श्रीमती माया सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने विभागीय समीक्षा में कहा था कि ऐसी पहल करें जिससे जन-जन तक बेटी के प्रति प्रेम और सम्मान भाव पैदा हो। उन्होंने बताया कि इसी संदर्भ में यह निर्णय लिया गया है कि गाँव-गाँव में बालिका के पैदा होने पर खुशियाँ मनाई जायें। प्रदेश की हर आँगनवाड़ी में सप्ताह में एक दिन मंगल-दिवस मनाया जाता है। इसी दिन यह कार्यक्रम होगा। आयोजन के लिए सरपंच या पार्षद की अध्यक्षता में एक समिति गठित होगी। समिति की सदस्य सचिव आँगनवाड़ी कार्यकर्ता होगी। इसके अलावा स्वास्थ्य एवं महिला बाल समिति की अध्यक्ष, आशा कार्यकर्ता, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता और सभी महिला पंच इस समिति की सदस्य होंगी। समिति की सदस्य आँगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता और महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता बालिका के जन्म के पंजीकरण के बाद जन्म-दिन समारोह करेंगी। इस समारोह में बालिका और जन्म देने वाली माताओं का सम्मान होगा।

एक हुए मुख्यमंत्री शहरी स्वच्छता मिशन और स्वच्छ भारत मिशन

प्रदेश में नगरीय स्वच्छता को उन्नत करने के लिए राज्य स्तर पर संचालित मुख्यमंत्री शहरी स्वच्छता मिशन और स्वच्छ भारत मिशन को समन्वित कर लिया गया है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में 14 जुलाई को संपन्न मंत्रि-परिषद् की बैठक में यह निर्णय लिया गया। यह भी निर्णय लिया गया कि मुख्यमंत्री शहरी स्वच्छता मिशन के अंतर्गत स्वीकृत शौचालयों को प्रचलित प्रक्रिया से बनवाया जाए।

चयनित हितग्राही को यह अतिरिक्त विकल्प दिया जाएगा कि वह स्वयं या निकाय के माध्यम से शौचालय निर्माण करवा सके। स्वच्छ भारत मिशन में व्यक्तिगत स्वच्छ शौचालय के निर्माण के लिए प्राप्त केंद्रीय अनुदान और राज्य अनुदान का वितरण भी निर्धारित किया गया। इसके अनुसार इकाई लागत 13 हजार 600 रुपये में से केंद्रांश 4000 रुपए, राज्यांश 6,880 रुपये, निकाय अंशदान 1360 रुपए और हितग्राही अंशदान 1360 रुपए रहेगा। मिशन में राज्य के प्रत्येक शौचालयविहीन भवन स्वामी को व्यक्तिगत शौचालय निर्माण के लिए अनुदान की पात्रता होगी।

शौचालय निर्माण अनुदान प्रावधान निर्धारित - सामुदायिक शौचालय निर्माण के लिए अनुदान के प्रावधान भी निर्धारित किए गए हैं। इसके अनुसार नगर परिषद और नगर पालिका परिषद क्षेत्र में केंद्रांश 40 प्रतिशत और राज्य शासन का अनुदान 50 प्रतिशत और निकाय अंशदान 10 प्रतिशत रहेगा। भोपाल और इंदौर नगर निगम को छोड़कर केंद्रांश 40 प्रतिशत, राज्य शासन अनुदान 45 प्रतिशत और निकाय अंशदान 15 प्रतिशत रहेगा। भोपाल और इंदौर नगर निगम के लिए केंद्रांश 40 प्रतिशत, राज्य शासन अनुदान 40 प्रतिशत और निकाय अंशदान 20 प्रतिशत रहेगा। नगरीय क्षेत्रों में सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण जन-निजी-भागीदारी (पीपीपी) के माध्यम से करवाए जाने का अनुमोदन मंत्रि-परिषद् द्वारा किया गया।

राज्य-स्तरीय स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) उच्चाधिकार समिति गठित - सेप्टेज प्रबंधन के लिए मुख्यमंत्री शहरी स्वच्छता मिशन में नगर परिषद और नगर पालिका परिषद में राज्य शासन का अनुदान 90 प्रतिशत और निकाय अंशदान 10 प्रतिशत रहेगा। इस कार्य के लिए भोपाल और इंदौर नगर निगम को छोड़कर प्रदेश के शेष नगर निगमों के लिए राज्य शासन अनुदान 85 प्रतिशत और निकाय अनुदान 15 प्रतिशत रहेगा। भोपाल और इंदौर नगर निगम में राज्य शासन अनुदान और निकाय अंशदान क्रमशः 80 और 20 प्रतिशत रहेगा। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) उच्चाधिकार समिति का गठन भी किया गया।

आँगनवाड़ी में सप्ताह में 3 दिन मीठा दूध - प्रदेश की आँगनवाड़ियों में सप्ताह में तीन दिवस दुग्ध प्रदाय का निर्णय लिया गया। मंत्रि-परिषद् के इस निर्णय से आँगनवाड़ियों के 29 लाख और सभी प्राथमिक शालाओं के 45 लाख 84 हजार बच्चों को लाभ मिलेगा। मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम में बच्चों को 100 एमएल मात्रा में मीठा सुगंधित दूध प्रदाय किया जाएगा।

ग्यारह नगरीय निकायों के लिये आम निर्वाचन कार्यक्रम जारी

राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री आर. परशुराम ने नगरीय निकाय आम निर्वाचन-2015 का कार्यक्रम 20 जुलाई को जारी कर दिया है। जारी कार्यक्रम के अनुसार नगर निगम उज्जैन और मुरैना सहित 9 नगरीय निकायों के आम चुनाव और 2 निकायों के उप चुनाव 12 अगस्त को होंगे। इसमें महापौर, अध्यक्ष और पार्षद के लिये मतदान होगा। श्री परशुराम ने बताया कि नगर पालिक निगम उज्जैन और मुरैना के साथ नगर पालिक परिषद विदिशा, राजगढ़ जिले की सारंगपुर, नगर परिषद मंदसौर जिले की सुवासरा, बालाघाट की लाँजी, छतरपुर की घुवारा, रीवा की चाकघाट और रीवा की कोटर में आम निर्वाचन होंगे। इसके अलावा नगर पालिका परिषद हरदा और बैतूल की नगर परिषद भैंसदेही में उप चुनाव होगा। श्री परशुराम ने बताया कि निर्वाचन की सूचना का प्रकाशन और नाम निर्देशन-पत्र प्राप्त करने का कार्य 21 जुलाई को प्रातः 10.30 बजे से शुरू होगा। इसी दिन आरक्षण के संबंध में सूचना का प्रकाशन तथा मतदान केन्द्रों की सूची का प्रकाशन भी होगा। नाम निर्देशन प्राप्त करने की अंतिम तारीख 28 जुलाई है। नाम निर्देशन-पत्र 28 जुलाई को शाम 3 बजे तक प्राप्त किये जा सकेंगे। नाम निर्देशन-पत्रों की संवीक्षा (जाँच) 29 जुलाई को होगी। अभ्यर्थिता से नाम वापस लेने की अंतिम तारीख 31 जुलाई है। अभ्यर्थियों को निर्वाचन प्रतीकों का आवंटन भी 31 जुलाई को किया जायेगा। मतदान 12 अगस्त, 2015 को प्रातः 7 बजे से शाम 5 बजे तक होगा। मतगणना और निर्वाचन परिणामों की घोषणा 16 अगस्त को होगी। मतगणना प्रातः 9 बजे से प्रारंभ होगी।